हिमाचल प्रदेश विधान सभा

विधान सभा की बैठक शुक्रवार, दिनांक 5 दिसम्बर , 2014 को माननीय अध्यक्ष, श्री बृज बिहारी लाल बुटेल की अध्यक्षता में विधान सभा भवन, तपोवन, धर्मशाला-176215 में 11:00 बजे पूर्वाह्न आरम्भ हुई।

शोकोद्‌गार

/1100/5.12.2014SS-JT/1

शोकोद्‌गार

अध्यक्षः इस सत्र में भाग लेने के लिए मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरा सभी माननीय सदस्यों से यह निवेदन रहेगा कि सदन की कार्यवाही को सौहार्दपूर्ण वातावरण में चलाने के लिए मुझे सहयोग दें। मेरा यह भरसक प्रयास रहेगा कि माननीय सदस्यों को सदन के नियमों की परिधि में रहकर अपनी बात रखने का पूर्ण अवसर मिले, वहीं मैं सरकार से भी यह अपेक्षा करूंगा कि वह माननीय सदस्यों द्वारा चाही गई सूचना का उत्तर उन्हें दें। इससे पूर्व कि आज की कार्यवाही आरम्भ करें मेरा आप सभी सभामण्डप में उपस्थित सदस्यों से निवेदन है कि राष्ट्रीय गान के लिए अपने-अपने स्थान पर खड़े हो जाएं।

(सभामण्डप में उपस्थित सभी सदस्य/अधिकारी राष्ट्रीय गान के लिए अपने-अपने स्थान पर खड़े हुए।)

जारी श्रीमती के0एस0

05/12/2014/1105/**केएस/जेटी**/1

अध्यक्षः अब माननीय मुख्य मंत्री जी स्वर्गीय श्री दिले राम, पूर्व सदस्य, हि0प्र0 विधान सभा के निधन पर शोकोद्‌गार प्रस्तुत करेंगे।

मुख्य मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, मुझे इस माननीय सदन को यह सूचित करते हुए अत्यन्त दुख हो रहा है कि पूर्व विधायक श्री दिले राम जी का 16 सितम्बर, 2014 को निधन हो गया। यह माननीय सदन उनके निधन पर गहरा दुख प्रकट करता है। स्वर्गीय श्री दिले राम का जन्म 9मार्च, 1940 को मण्डी जिला में सुन्दर नगर के नगवाहन में हुआ था। उन्होंने प्रारम्भिक शिक्षा राजकीय प्राथमिक पाठशाला कनैड़ में प्राप्त की तथा राजकीय उच्च माध्यमिक पाठशाला सुन्दरनगर से दसवीं की परीक्षा उत्तीर्ण की । इसके उपरान्त उन्होंने 62-1961में जे.बी.टी. प्रशिक्षण संस्थान, नाहन से जे.बी.टी. का प्रशिक्षण प्राप्त किया । वर्ष 1971 तक जे.बी.टी. अध्यापक व एन.सी.सी. अधिकारी के पद पर सरकारी कर्मचारी के रूप में अपनी सेवाएं प्रदान की।

स्वर्गीय श्री दिले राम पहली बार वर्ष 1977 में नाचन विधान सभा क्षेत्र से जनता पार्टी से विधान सभा सदस्य चुने गए तथा अनुसूचित जाति एवं जनजाति निगम के अध्यक्ष नियुक्त किए गए। तत्श्चागत् वर्ष 1982 तथा फरवरी, 1990 में पुनः विधान सभा के सदस्य चुने गए । वे 28 जून, 1991 को राज्य मंत्री पंचायत नियुक्त किए गए तथा 20 अप्रैल 1992 को खाद्य एवं आपूर्ति के केबिनैट स्तर के मंत्री बनाए गए। वर्ष 2007 से 2012 की अवधि में राज्य वित्तायोग के अध्यक्ष रहे। वे छःबार जिला मण्डी से भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष रहे । यह माननीय सदन स्वर्गीय श्री दिले राम जी द्वारा प्रदेश तथा समाज के लिए की गई सेवाओं की भूरि-भूरि प्रशंसा करता है। उनके निधन पर हार्दिक संवेदना प्रकट करते हुए यह माननीय सदन ईश्वर से

05/12/2014/1105/केएस/जेटी/2

दिवंगत आत्मा की शान्ति तथा उनके परिवारजनों को इस असहनीय दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करने की प्रार्थना करता है।

05/12/2014/1105/केएस/जेटी/3

अध्यक्षः अब श्री गुलाब सिंह जी शोकोद्गार प्रकट करेंगें।

श्री गुलाब सिंहः माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा सदन के नेता जी ने जीवन का परिचय स्वर्गीय श्री दिले राम का दिया, वे एक बहुत ही निर्धन परिवार में अनुसूचित जाति से ताल्लुक रखने वाले अपने कठिन परिश्रम से, मेहनत से शिक्षक बने और जन-सेवा, समाज सेवा से भी जुड़े रहे। 1977 में जो जन क्रान्ति सारे देश में आई उससे वे प्रभावित हुए। शिक्षक के पद से उन्होंने त्यागपत्र दिया और जनता पार्टी के टिकट पर नाचन विधान सभा से सदस्य निर्वाचित हुए। यह इत्तेफाक है कि उस जन क्रान्ति के आन्दोलन के समय के बहुत सारे लोग आज भी इस माननीय सदन में हैं। श्री दिले राम जी 1977में जनता के द्वारा निर्वाचित हुए और हमारा भी उनसे 1977 में यहीं पर परिचय हुआ था 1977 1 के इस आन्दोलन में जहां श्री कौल सिंह जी-----

श्रीमती अ0व0 द्वारा जारी---

5.12.2014/1110/ag-av/1

शोकोद्‌गार----जारी

श्री गुलाब सिंह ठाकुर ------क्रमागत

जहां श्री कौल सिंह ठाकुर, श्री सुजान सिंह और श्री महेश्वर सिंह यहां बैठे हैं। वे भी हमारे साथ यहां बैठा करते थे। वे अपनी ईमानदार छवि, स्पष्टवादिता, सादगी और अपने सख्त व्यवहार के लिए जाने जाते थे। वे इस माननीय सदन के चार बार सदस्य बने। चेयरमैन, अनुसूचित जाति मोर्चा, अनुसूचित जाति कार्पोरेशन के रहे। आदरणीय श्री शांता कुमार के मंत्री मंडल में महत्वपूर्ण विभागों के मंत्री रहे और प्रोफैसर प्रेम कुमार धूमल की सरकार में वे वित्तायोग के चेयरमैन भी रहें। वे ईमानदार और निष्ठावान थे और अपने लोगों के प्रति समर्पित थे। लेकिन उनकी विचारधारा और शैली अलग थी। वे अपने विचार व्यंग्य और कविता के माध्यम से प्रकट करते थे। उनकी कविता और व्यग्यात्मक तरीके से समाज को एक मेसैज जाता था। वे कविता और हंसी- मजाक के माध्यम से अपनी भावना को प्रकट किया करते थे। उनकी समाज सेवा में बहुत रुचि थी। नाचन के विकास के लिए,जिला मण्डी और पूरे प्रदेश के विकास के लिए उनकी सेवाएं हमेशा याद रखी जायेंगी। उनका संगठन के प्रति बहुत बड़ा जुझारुपन था। इसी वजह के कारण उन्होंने जिला मण्डी के भारतीय जनता पार्टी के संगठन का 6 बार नेतृत्व किया। उनमें हमेशा सभी लोगों को साथ चलाने का मादा झलकता था। उनके निधन से प्रदेश और जिला मण्डी के लोगों को बहुत क्षति हुई है। वे एक बहुत बड़ी व जानलेवा बीमारी के शिकार हुए। उनका सारा परिवार उनकी लम्बी आयु के लिए काफी समय तक जुटा रहा। मगर अंत में सितम्बर माह में वे इस संसार से चल दिए। हम सबकी प्रार्थना है कि उनकी दिवंगत आत्मा को शांति मिले। हम उनके दिखाए गए मार्ग पर चलें। प्रदेश को आगे ले जाने के लिए और जिला मण्डी की अनेक समस्याओं को निपटाने में उनका जो योगदान रहा है वह अवस्मरणीय है। हमारी ईश्वर से प्रार्थना है कि उनके शोक संतप्त परिवार को इस दुख को सहन करने की शक्ति मिले।

समाप्त

5.12.2014/1110/ag-av/2

अध्यक्ष : अब स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जी शोकोद्‌गार में भाग लेंगे।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री : अध्यक्ष महोदय, स्वर्गीय श्री दिले राम जी जो इस विधान सभा के पूर्व सदस्य और पूर्व मंत्री भी रहे हैं वे आज हमारे बीच में नहीं हैं।

वे इसी वर्ष 16 सितम्बर को स्वर्गवास हुए हैं। जैसे माननीय मुख्य मंत्री जी ने शोकोद्‌गार प्रस्तुत किए मैं भी उसमें शामिल होता हूं। उन्होंने मण्डी जिला के नाचन निर्वाचन क्षेत्र का चार बार प्रतिनिधित्व किया और वर्ष 1970 में पहली बार हमारे साथ इस विधान सभा के सदस्य बने। वे बड़े निष्ठावान व स्पष्टवादी थे तथा साधारण जीवन व्यतीत करते थे। वे अनुसूचित जाति से संबंध रखते थे और हमेशा गरीबों की वकालत करते थे। जैसे यहां------

श्री बी.जे.द्वारा जारी

05.12.2014/1115/negi/ag/1

माननीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री .. जारी..

जैसे यहां कहा गया है कि वह 6बार जिला मण्डी भाजपा के अध्यक्ष रहे हैं। लेकिन जब पिछला चुनाव हुआ तो हांलांकि वह भाजपा के जिला मण्डी के अध्यक्ष थे लेकिन भाजपा द्वारा उनका टिकट काट दिया गया और किसी नए व्यक्ति को, नौजवान को आगे लाया गया। उसका भी उनको बहुत शोक लगा और उन्होंने हमें कहा कि मैं मण्डी जिले का अध्यक्ष था, भाजपा का बहुत पुराना सदस्य था और मैं माननीय शांता कुमार जी की सरकार में मंत्री भी रह चुका था फिर भी भाजपा ने मेरा टिकट काट दिया। पहले उन्होंने भाजपा से इस्तीफ़ा दे दिया लेकिन फिर भाजपा में शामिल हुए और वहां से जो विधायक श्री विनोद कुमार जी यहां पर आए हैं इनका भी उन्होंने बहुत समर्थन किया। आज हम उनके मृत्यु पर श्रद्धा के सुमन अर्पित करते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उनकी आत्मा को स्वर्ग में शांति मिले और उनके परिवार को इस असहनीय दुःख को सहने की शक्ति दे। अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद।

समाप्त

05.12.2014/1115/negi/ag/2

अध्यक्षः अब श्री जय राम ठाकुर जी इस चर्चा में भाग लेंगे।

श्री जय राम ठाकुरः माननीय अध्यक्ष महोदय, जो शोकोद्‌गार प्रस्ताव माननीय मुख्य मंत्री जी ने इस माननीय सदन में प्रस्तुत किया है, मैं भी उस पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं।

अध्यक्ष महोदय, श्री दिले राम जी 4 बार इस माननीय सदन के सदस्य रहे, सरकार में मंत्री भी रहे और बहुत लम्बे समय तक नाचन विधान सभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हुए जहां नाचन विधान सभा क्षेत्र को विकास की राह पर आगे बढ़ाने में अपना योगदान दिया वहां मण्डी जिला और हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को मजबूत बनाने में उनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा। श्री दिले राम जी अध्यापक थे, जैसे सभी माननीय सदस्यों ने यहां पर कहा । जब 1977 में नाचन विधान सभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने की बात आई तो उस वक्त वह मेरे विधान सभा क्षेत्र के प्राइमरी स्कूल सुधारनी में एक अध्यापक के नाते अपनी सरकारी सेवाएं दे रहे थे । इस बात का वह हमेशा से जिक्र करते थे । हमारे विधान सभा क्षेत्र में जब भी उनका जाना होता था तो वह अपने भाषण में, अपनी बात में इस बात का जिक्र करने की कोशिश करते थे । उन्होंने बहुत लम्बे समय तक उस स्कूल में अपनी सेवाएं दी और उसके साथ इस बात को भी कहते रहते थे कि मेरे लिए सचमुच में , जिस स्कूल में मैंने सेवाएं दी और उस स्कूल से पढ़ कर निकले बच्चे आज दिन तक उनको याद करते हैं, उन सबकी शुभकामनाओं के बाद , मैं पहली बार चुनाव लड़ा और विधान सभा में पहुंचा।

आदरणीय अध्यक्ष महोदय, यह भी सच है, वैसे तो आज दिन तक भारतीय जनता पार्टी के मण्डी जिला के बड़े-बड़े नेतृत्व हमारे सामने रहे हैं लेकिन 6 बार जिला का अध्यक्ष होने के नाते किसी ने आजतक इस पद का, इस दायित्व का निर्वहन नहीं किया और अगर यह किसी ने किया है तो वह श्री दिले राम जी ने किया है । अनुसूचित जाति से संबंध होने के नाते हमेशा उनका यह प्रयत्न रहता था कि अनुसूचित जाति वर्ग में भारतीय जनता पार्टी को मज़बूत करने के लिए हमें और

05.12.2014/1115/negi/ag/3

प्रयास और काम करने की आवश्यकता है । यहां पर उनकी छवि के बारे में जिक्र किया गया। वह बहुत लम्बे समय तक राजनीति में रहे लेकिन एक छींटा तक इतने लम्बे समय के कार्य काल में उनके ऊपर नहीं लगा। ईमानदारी उनकी एक बहुत बड़ी पूंजी थी । इसके साथ-साथ वह एक बहुत हंसमुख आदमी थे । जब पार्टी के स्तर पर कोई निर्णय करने की बात आती थी या कोई बात कहने की बात आती थी तो वह निर्भीक हो करके अपनी बात कहते थे। लेकिन इसके बावजूद किसी बैठक में

जब तल्ख माहौल होता था तो कवि होने के नाते , क्योंकि उनको कविताएं लिखने का भी शौक था, वह बहुत अच्छी कविताएं लिखते थे जिनमें अच्छा मज़ाक भी होता था और अच्छा संदेश भी होता था, वह उन कविताओं के माध्यम से माहौल को ठीक करने की कोशिश करते थे। अध्यक्ष महोदय , यह भी उनकी एक बहुत बड़ी खासियत थी, बहुत सारे श्लोक..

श्री एस.एल.एस. द्वारा जारी..

05.12.2014/1120/SLS-JT-1

श्री जय राम ठाकुर ---- जारी

बैठक या कोई भी कार्यक्रम शुरू करने से पहले वह संस्कृत के श्लोक से शुरुआत करते थे। बहुत सारे लोगों को संस्कृत समझ नहीं आती थी और हमें भी कठिन लगती थी ,इसलिए हम उन्हें कहते थे कि हिंदी में बोलो। इसलिए वह संस्कृत का पूरा अनुवाद करते थे और हम सबको हिंदी में समझाते थे। उनके भीतर यह एक बहुत बड़ी कला थी। उसे लेकर भी आज की तारीख में हम उनकी कमी महसूस कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय, यह भी एक संयोग है कि जिस दिन उनका देहांत हुआ, उससे एक दिन पहले हम उनके निवास स्थान पर उनका कुशल क्षेम पूछने के लिए गए थे। परिवार में बहुत निराशा का माहौल था क्योंकि लगभग एक महीने से वह कौमा की हालत में थे। ऐसी परिस्थिति में जब हमने उनको देखा, उनके दर्शन किए और उसके बाद वहां से आए तो दूसरे दिन सुबह हमें सूचना मिली कि अब दिले राम जी इस दुनिया में नहीं हैं। हमें इस बात का बहुत दुःख हुआ और पीड़ा पहुंची।

अध्यक्ष महोदय, मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि वह एक बहुत गरीब परिवार से संबंध रखते थे। इसके साथ ही वह अनुसूचित जाति वर्ग से भी संबंध रखते थे। हिमाचल प्रदेश की राजनीति में उनका बहुत सराहनीय योगदान रहा है। भारतीय जनता पार्टी को ,प्रदेश को और मण्डी जिला को उनके देहांत से बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। मैं ईश्वर से कामना करता हूं कि उनके परिवार को इस सदमे को सहन करने की शक्ति दे। हम चाहते हैं कि श्री दिले राम जी के योगदान को स्मरण करते हुए इस माननीय सदन की संवेदनाएं उनके परिवार तक पहुंचे।

अध्यक्ष महोदय, आपने समय दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

05.12.2014/1120/SLS-JT-2

अध्यक्ष : इस सदन में श्रद्धा-सुमन अर्पित करने के लिए चंद शब्द ही काफी होते हैं। अभी बहुत से लोगों ने बोलना है, इसलिए सभी माननीय सदस्य अपने श्रद्धा-सुमन चंद शब्दों में ही व्यक्त करें।

अब श्री विनोद कुमार जी श्रद्धा-सुमन अर्पित करेंगे।

श्री विनोद कुमारः अध्यक्ष जी, दिवंगत स्वर्गीय श्री दिले राम जी भारतीय जनता पार्टी के नेता थे। श्री दिले राम जी का देहांत 16 सितम्बर को हुआ। श्री दिले राम जी हिमाचल प्रदेश भाजपा के प्रमुख नेता थे। उनका जन्म 3 फरवरी, 1940 को हुआ। उनके पिता का नाम श्री नन्तु राम था। उन्होंने 10वीं की परीक्षा गवर्नमैंट हाई स्कूल सुन्दरनगर से पास की। तदोपरांत जे. बी. टी. अध्यापक के रूप में उन्होंने सरकारी नौकरी की। उन्होंने एन . सी. सी. अधिकारी के तौर पर भी स्कूलों में कार्य किया। समाज सेवा में उनकी विशेष रूची रही। 1977 में उन्होंने सरकारी सेवा से त्यागपत्र दे दिया तथा भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर नाचन विधान सभा क्षेत्र से चुनाव लड़ा और पहली बार विधान सभा के लिए निर्वाचित हुए। 1982 में भी उन्हें भाजपा का टिकट मिला और दोबारा विधान सभा के लिए चुने गए। 1989 में वह तीसरी बार हिमाचल प्रदेश विधान सभा में पहुंचे और श्री शांता कुमार जी के नेतृत्व में पहली बार पंचायत राज्य मंत्री बने।

जारी ....गर्ग जी

05/12/2014/1125/RG/JT/1

श्री विनोद कुमार----क्रमागत

उनकी लगन एवं योग्यता के कारण श्री शान्ता कुमार जी ने उन्हें अपनी कैबिनेट में शामिल किया। श्री दिले राम जी ने खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री तथा सिंचाई एवं जन-स्वास्थ्य मंत्रालय को भी बखूबी संभाला। श्री दिले राम जी भारतीय जनता पार्टी, जिला मण्डी के 6बार अध्यक्ष रहे तथा भारतीय जनता पार्टी की मजबूती के लिए हमेशा कार्य करते रहे। वे प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के उपायक्ष भी रहे। वर्ष 2007 में वे चौथी बार विधायक बने। वर्ष 2009-10 में तत्कालीन मुख्य मंत्री प्रो. प्रेम कुमार धूमल जी ने उन्हें प्रदेश वित्तायोग का अध्यक्ष मनोनीत किया और अध्यक्ष के रूप में

उन्होंने शानदार काम किया। उन्होंने पूरे हिमाचल प्रदेश का दौरा किया तथा आयोग की रिपोर्ट सरकार को सौंपी। 16 सितम्बर, 2014 को उनका स्वर्गवास हो गया।

अध्यक्ष महोदय, स्वर्गवासी श्री दिले राम जी एक कर्मठ एवं ईमानदार व्यक्ति थे। उनके परिवार को तथा हमें , उनकी कमी हमेशा अखरती रहेगी। वे अपनी स्पष्टवादिता के लिए जाने जाते थे। ईश्वर उनके परिवार को इस सदमे को सहन करने की शक्ति प्रदान करे। जैसा कि यहां पर श्री जय राम ठाकुर जी कह रहे थे कि श्री दिले राम जी को कविता करने व शायरी करने का बहुत शौक था। मुझे आज भी याद है कि जब मेरी टिकट की बात चली थी , अभी हमारे मंत्री जी ने जो बात कही कि मुझे टिकट मिलने के बाद उन्हें शायद इस बात का बुरा लगा, लेकिन शायद ऐसा नहीं था। इसलिए मैं आज भी इस सदन को स्पष्ट करना चाहता हूं कि मुझे यदि टिकट मिला है, तो इसमें उन्होंने ही मेरे नाम का प्रस्ताव किया था ,मेरे नाम का समर्थन किया था तभी मुझे टिकट भी मिला और इसी कारण आज मैं यहां इस विधान सभा में पहुंचा हूं। इसलिए टिकट के लिए पूरा-का-पूरा आशीर्वाद उनका मेरे साथ रहा है। एक बार जब हम अकेले में बैठे थे ,तो वह मुझे भी एक शायरी सुना रहे थे जो मैं इस सदन के समक्ष रख रहा हूं। उन्होंने मुझे एक बात कही कि इस बात को हमेशा याद रखनाः

आज खुदा से मुलाक़ात हुई,
थोड़ी ही सही मगर बात हुई,
मैंने ख़ुदा से पूछा कि आप लोग कैसे हैं,

05/12/2014/1125/RG/JT/2

तो ख़ुदा ने कहा ,रिश्ता बनाए रखना,
बिल्कुल मेरे जैसे हैं।

धन्यवाद।

समाप्त

5/12/2014/1125/RG/JT/3

अध्यक्ष : मैं समझता हूं कि जब माननीय सदन के नेता ने अपने शोकोद्‌गार व्यक्त कर दिए हैं, तो अब काफी हो गया। अब श्री महेश्वर सिंह जी शोकोद्‌गार में भाग लेंगे। संक्षेप में बोलें

श्री महेश्वर सिंह : अध्यक्ष महोदय, इस माननीय सदन में सदन के नेता ने जो शोकोद्‌गार प्रस्ताव प्रस्तुत किया है, मैं उसके सन्दर्भ में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। गत् सत्र के समाप्त होने के बाद और आज का सत्र आरम्भ होने के बीच में हमने एक ईमानदार और कर्मठ कार्यकर्ता तथा अपनी बात स्पष्टवादिता से कहने वाला एक नेता और अपना साथी हमने खो दिया है। यह प्रकृति का नियम है कि इसमें सबको ही जाना है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपना कार्य करने में सदैव तत्पर रहते हैं और कहीं-न-कहीं उनकी कमी हमेशा अखरती रहती है। उनमें से एक स्वर्गीय श्री दिले राम जी थे। हमको लगभग सात वर्ष तक काम करने का अवसर मिला। वे बीच में मंत्री भी बने और संगठन का काम भी करते रहे। वे 6 बार अध्यक्ष रहे जैसा यहां कहा गया और मुझे भी उस समय संगठन का काम करने का अवसर मिला। मैं देखता था कि किस स्पष्टवादिता से वे अपनी बात कार्यकर्ता को कह देते थे और दृढ़ता से अपनी बात कहते थे---------------जारी

एम.एस. द्वारा जारी

5/12/2014/1130/MS/AG/1

श्री महेश्वर सिंह जारी-------------

और दृढ़ता के साथ अपनी बात कहते थे। अगर कोई अनुशासन-हीनता करता था तो कभी भी वह कार्रवाई करने से नहीं रूकते थे। यहां ठीक कहा गया कि एक कवि वह होता है जो बैठकर, सोच-विचार कर कविता तैयार करता है। लेकिन उनको भगवान की ऐसी देन थी कि सदन में भी यदि कोई ऐसा प्रसंग आए, उस पर भी बैठे-बैठे अपनी बात को कविता के रूप में कहने की क्षमता रखते थे। मुझे उनकी कविताएं आज भी याद हैं जो वह चर्चा के बीच में इस सदन में सुनाते थे लेकिन समय का अभाव है। अध्यक्ष जी, आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया, धन्यवाद। मैं इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम दूंगा कि भगवान शोक-संतप्त परिवार को इस क्षति को सहन करने की क्षमता दे और उनकी पुण्य आत्मा को स्वर्ग प्राप्ति हो। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

अध्यक्षः श्री दिले राम, पूर्व माननीय सदस्य के निधन पर जो उल्लेख इस सदन में प्रस्तुत किए गए हैं , उनमें मैं भी अपने आपको शामिल करता हूं तथा शोक-संतप्त परिवार के प्रति अपनी संवेदना प्रकट करता हूं । इस माननीय सदन की भावनाओं को शोक-संतप्त परिवार तक पहुंचा दिया जाएगा।

मैं सदन में उपस्थिति सभी से निवेदन करूंगा कि वे दिवंगत आत्मा को श्रद्धा-सुमन अर्पित करने के लिए अपने-अपने स्थान पर कुछ क्षणों के लिए मौन खड़े हो जाएं।

(सदन में उपस्थित सभी अपने-अपने स्थान पर कुछ क्षणों के लिए मौन खड़े हुए)

5/12/2014/1130/MS/AG/2

व्यवस्था का प्रश्न

श्री सुरेश भारद्वाजः अध्यक्ष महोदय, मैंने नियम 67 के अन्तर्गत एक प्रस्ताव दिया है जिसमें शिमला के तारादेवी नामक स्थान पर जो 477 पेड़ काटे गए, उसका जिक्र है। यह माननीय मुख्य मंत्री जी का विधान सभा क्षेत्र है। माननीय मुख्य मंत्री जी जब पहली बार हिमाचल प्रदेश के मुख्य मंत्री बने थे तो वन माफिया के खिलाफ जेहाद करते हुए यह यहां आए थे। लेकिन आज इनके क्षेत्र में 477 पेड़ कट गए और जाखू नामक स्थान पर भी 30पेड़ कट गए। उन पेड़ों को जला दिया गया और साथ -ही-साथ उसी क्षेत्र में आज पेड़ों को रसायन के द्वारा भी सुखाया जा रहा है। इसी तरह से चम्बा में हजारों पेड़ कट गए और उनका मुआवजा भी कहीं जमा नहीं हुआ है। ये सारे मसले हैं और हमारे वन मंत्री का इस बारे में पहला वर्शन यह है कि ये पेड़ प्राइवेट हैं, इनको काट सकते हैं। मंत्री जी के पास प्रिंसिपल कन्जरवेटर्ज ऑफ फॉरैस्ट की पूरी फौज है लेकिन कोई काम नहीं हो रहा है। पेड़ कट रहे हैं और जो वन माफिया के रूप में काम कर रहे हैं , उन लोगों को राजनीतिक और प्रशासनिक संरक्षण प्राप्त है। अध्यक्ष जी, मेरा इस सदन से निवेदन है कि वन मंत्री को अपने स्थान पर रहने का कोई अधिकार नहीं है। उनको अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। उनको सरकार में रहने का कोई अधिकार नहीं है। (व्यवधान) मेरा मुख्य मंत्री महोदय से निवेदन है कि इन्हें पद से हटा देना चाहिए तभी इस विषय पर चर्चा हो सकती है और कार्य स्थगन होना चाहिए।

अध्यक्षः माननीय सदस्य, कृपया बैठ जाइए।

मुख्य मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, जो मामला माननीय सदस्य ने उठाया है ,आज इसी पर सदन में चर्चा रखी है। इसलिए सदन के कार्य को स्थगित करने का कोई औचित्य नहीं बनता। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि ,

जारी श्री जे0के0 द्वारा-----------

5.12.2014/1135/जेके/एजी/1
मुख्य मंत्री-------ःजारी------

मैं यह भी कहना चाहता हूं कि मेरा राजनीतिक जीवन ही वन माफिया के खिलाफ लड़ने में ही लगा है। यह जो दुर्घटना हुई है यह बहुत ही शौचनीय है, मगर यहां पर इस तरह से कहना की सैंकड़ों पेड़ कट गए, ऐसी कोई बात नहीं है।
__(व्यवधान)__

अध्यक्षः माननीय सदस्य, प्लीज मुझे बोलने दीजिए। आप लोग पहले मेरी बात सुनिए।

मुख्य मंत्रीः मैं यहां पर यह कहना चाहता हूं कि मेरी सभी माननीय सदस्य विपक्ष व पक्ष के प्रति आदर की भावना है और सभी के साथ परिवार की तरह मिल कर रहता हूं और हम सभी को मिलजुल कर इस माननीय सदन में काम करना चाहिए।

अध्यक्षः श्री सुरेश भारद्वाज और श्री रविन्द्र सिंह, माननीय सदस्यों ने आज प्रातः ही 10.00 बजे नियम 67 के अन्तर्गत स्थगन नोटिस दिया है जोकि जिला शिमला में अवैध पेड़ कटानों के बारे में है। मैं माननीय सदस्यों को सूचित करना चाहता हूं कि श्री रविन्द्र सिंह, माननीय सदस्य का नाम आज ही कार्यसूची में नियम-130 के अन्तर्गत इस विषय पर चर्चा के लिए निर्धारित किया है तथा माननीय सदस्यों को इस विषय पर चर्चा करने हेतु भरपूर अवसर प्रदान किया जाएगा। लेकिन फिर भी मैंने इस सूचना को सरकार के पास तथ्य उपलब्ध करवाने हेतु भेज दिया है। मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि जो चर्चा यहां पर आज लगी है उसमें आप खुल कर बोलें। मुझे यह भी सूचना मिली कि सरकार ने इस पर स्ट्रिक्ट एक्शन लिया है और जो पेड़ों का कटान हुआ है उसके ऊपर एफ.आई.आर. दर्ज़ हुई है इसलिए उस पर आप नियम 130 के अन्तर्गत चर्चा कर सकते हैं।
__(व्यवधान)__

5.12.2014/1135/जेके/एजी/2

श्री सुरेश भारद्वाजः अध्यक्ष महोदय, वहां पर 12,13 नवम्बर, 2014 को पेड़ काटे जाते हैं। वहां पर प्लानिंग के साथ गड्डे खोदे जाते हैं और उसके बाद लकड़ी को जला दिया जाता है। उसके बाद उसको घरों में भेज दिया जाता है और मन्दिर में रख दिया जाता है। वहां पर पेड़ मशीन के साथ काटे जा रहे हैं और 21 नवम्बर, 2014 के बाद जब मीडिया में यह इश्यू उठता है, ट्रिब्यून में, अमर ऊजाला में, दैनिक भास्कर में और अन्य कई अखबारों में उठता है, उसके बाद अधिकारी वर्ग हरकत में आए और उसमें अब अन-ऑफिशियल डीमार्केशन हो रही है। एस.डी.एम. कह रहे हैं कि डीमार्केशन की रिपोर्ट मेरे पास है, लेकिन कानूनगो और पटवारी वहां पर लाईने लगा करके डीमार्केशन कर रहे हैं। यह जमीन 16 करोड़ में बीकी है और बेचने वाला कहता है कि यह पेड़ मैंने नहीं कटवाए और खरीदने वाला कहता है कि यह पेड़ मैंने नहीं कटवाए तो इसके पीछे कौन व्यक्ति है जिसने ये पेड़ कटवाए ? __(व्यवधान)__ माननीय मंत्री जी कह रहे हैं कि यह प्राईवेट पेड़ हैं इसमें कुछ नहीं हो सकता है। __(व्यवधान)__

अध्यक्षः मैं कह रहा हूं कि जो आप बात कर रहे है उस बारे में आप चर्चा में भाग ले सकते हैं। Why don't you take part in the discussion? जब इस बारे में चर्चा होगी तब आप इस बारे में बोलिए। जब चर्चा होगी उस में आप खुल कर बोलिए। This is wrong. आप लोग उस समय चर्चा में भाग ले सकते हैं। जब चर्चा शुरू होगी उस समय आप बोलिए। जब आप लोगों को माननीय मुख्य मंत्री जी ने भी कह दिया है कि आप चर्चा के समय इस विषय को उठाईये। जब चर्चा का विषय आएगा उस समय आप बोलिए। अभी इस विषय पर बहस करने की आवश्यकता नहीं है। ...(Interruption)... I will not allow you. जब चर्चा होगी मैं तभी अलाऊ करूंगा, उससे पहले नहीं। __(व्यवधान)__ मैंने आपको कह दिया है कि इस संबंध जो नोटिस आपने दिया था वह मैंने सरकार को क्लैरिफिकेशन के लिए भेज दिया है और नियम 130 पर आप चर्चा करें। __(व्यवधान)__ मैं कह रहा हूं कि जो चर्चा आपकी है आप भाग लजिए और उसमें आप डिस्कशन कीजिए। जो आपका नोटिस

5.12.2014/1135/जेके/एजी/3

है वह मैंने सरकार को क्लैरिफिकेशन के लिए भेज दिया है।

श्री एस.एस. द्वारा जारी------

11/5.12.20144/0SS-JT/1

श्री रविन्द्र सिंहः अध्यक्ष महोदय, मेरी बात सुन लीजिए।
अध्यक्षः मैं नहीं सुनूंगा। प्रश्नकाल आरम्भ।
श्री रविन्द्र सिंहः अध्यक्ष महोदय, हम विधायक आपका संरक्षण चाहते हैं। हमारी बात को रिकॉर्ड में लाने में क्या दिक्कत है? ---(व्यवधान)---
अध्यक्षः आप बैठ जाईये। मैंने जब आपको कह दिया कि I will allow you to speak when the Resolution comes. जब इस पर यहां चर्चा होगी , तब आप बोल लीजिए। Otherwise, this is wrong. मैंने यह सरकार को भेज दिया है।
---(व्यवधान)---
मुख्य मंत्रीः माननीय अध्यक्ष जी, जो यह चर्चा है उसको आपने करने की इजाज़त दी है। पहले प्रश्न काल हो जाए तो उसके बाद इस इश्यू को उठाया जाए।
अध्यक्षः प्रश्नकाल के बाद इस पर चर्चा होगी।
उद्योग मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, रवि जी की बात सुन लेंगे इस एश्योरैंस के बाद कि इसके बाद प्रश्नकाल चलेगा।
अध्यक्षः रवि जी, बोलिये, आप क्या बोलना चाहते हैं?
श्री रविन्द्र सिंहः अध्यक्ष महोदय, आपने रूलिंग दी है। मैंने नियम 130 के अन्तर्गत जंगल कटान के ऊपर नोटिस दिया था। यह 14 दिन पहले दिया था जब आपकी विधान सभा लगने की नोटिफिकेशन हुई कि सत्र आ रहा है। उसके बीच में पूरे प्रदेश में जो घटनाएं घटी हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए विषय उठा रहा हूं। अध्यक्ष महोदय, यह केवलमात्र जिला शिमला का विषय नहीं है, जिला चम्बा साफ हो गया है जहां से मंत्री हैं। मुख्य मंत्री महोदय ने आज दिल्ली जाना है मेरा आपसे निवेदन है कि जब आप हिमाचल में बतौर मुख्य मंत्री बन कर आए थे तो आपको यह जिम्मेवारी दी गई थी कि हिमाचल के जंगलों की हिफाज़त की जाए। लेकिन आज आपने ऐसे व्यक्ति को जंगलों का मुखिया बना दिया जब पूरा जंगल राज है। पूरा चम्बा काट दिया है।

11/5.12.20144/0SS-JT/2

अध्यक्ष महोदय, जब तक मंत्री जी त्याग पत्र नहीं देंगे उस समय तक हिमाचल के जंगलों का भला होने वाला नहीं है। मैं तथ्यों के साथ कह रहा हूं। मेरा मुख्य मंत्री जी आपसे निवेदन है कि मैं उन तथ्यों की इस हाउस में सी0डी0 लेकर आया हूं। आप उसको देख कर दिल्ली जाएं। आपको पता लगेगा कि चम्बा जिला की स्थिति क्या है। जब तक मंत्री जी त्याग पत्र नहीं देंगे, उस समय तक मुख्य मंत्री जी आपसे निवेदन रहेगा कि आप हिमाचल को छोड़कर न जाएं। ऐसी स्थिति चम्बा में पैदा कर दी है। ---(व्यवधान)---

अध्यक्षः रवि जी, एक मिनट ज़रा। ---(व्यवधान)---Just a minute. You sit down. मैंने आपको यह कहा कि जो आप अब बोल रहे हैं जब इस प्रस्ताव पर चर्चा होगी तो उस समय बोलिये। There is no time to speak this. प्रश्न काल आरम्भ। ---(व्यवधान)----आप चर्चा में सारी बातें कहिए। आपको कौन मना कर रहा है ? We will allow you to speak during the discussion. आपको डिस्कशन में बोलने का मौका देंगे।

श्री रविन्द्र सिंहः सर, जंगल साफ कर दिए हैं। जंगलों को बचाने के लिए जब तक मंत्री को बर्खास्त नहीं करेंगे तब तक हिमाचल के जंगलों का भला होने वाला नहीं है। लूट मची हुई है। चाहे शिमला का विषय है सारा मिलीभगत के साथ हुआ है। कितना भारी लेन-देन इसमें हुआ है। --(व्यवधान)--

Speaker: I am sorry to comment that your intention is to disrupt the House only.

उद्योग मंत्रीः ठीक 15 मिनट के बाद इस पर चर्चा शुरू हो जानी है। फिलहाल प्रश्नकाल को चलने दीजिए। --(व्यवधान)--

Speaker: You are not asking the question. मैंने कहा कि you will be given an opportunity to speak when the Resolution comes. आप खुल कर बोलिये।

11/5.12.20144/0SS-JT/3

जो बातें आप कह रहे हैं वे रेजोल्यूशन में बोलिये। अभी प्रश्न काल को चलने दीजिए। ----(व्यवधान)----

श्री रविन्द्र सिंहः आज जितने भी विषय लगे हैं उन सभी में महत्वपूर्ण विषय हिमाचल के जंगलों को बचाने का है। उस पर चर्चा होनी चाहिए। ----(व्यवधान)----

अध्यक्षः मैं कह रहा हूं कि वह विषय इसके बाद आ रहा है। वह प्रस्ताव आज ही रखा गया है। आज ही टाइम दिया गया है। उस चर्चा का टाइम आज ही है।
...(interruption).. प्रश्न काल आरम्भ। श्री रणधीर शर्मा। ----(व्यवधान)----

उद्योग मंत्रीः रवि जी, माननीय मुख्य मंत्री जी ने आग्रह किया है कि 15 मिनट बाद प्रस्ताव पर चर्चा हो जानी है प्लीज प्रश्नकाल चलने दीजिए।

श्री रविन्द्र सिंहः महोदय, मेरे पास सी0डी0 है। माननीय मुख्य मंत्री जी, आप सी0डी0 को देखकर जाईये। यह गम्भीर मामला है जहां पर निशान लगाये थे, वे पेड़ नहीं कटे। देवदार के 65 पेड़ काट दिए। ---(व्यवधान)----

Speaker: Raviji, if you want to speak untimely, I won't allow you. बैठ जाईये प्लीज। ----(व्यवधान)---- It is not to be recorded.

जारी श्रीमती के0एस0

/1145/2014/12/5केएस/जेटी/1

अध्यक्ष जारी-----

रणधीर शर्मा जी ,कृपया अपना प्रश्न पूछिए। सुरेश भारद्वाज जी आप कृपया बैठ जाएं। I am giving you time to speak when the Resolution comes. तब आप इसमें जो मर्जी बोल लेना। (Interruption).. This is wrong. Bhardwaj Ji, I am sorry to comment that you want to disrupt the House. You don't want to discuss the matter and you want to disrupt the House. यह गलत बात है। आपको समय दिया जा रहा है। जब प्रश्नकाल समाप्त हो जाएगा तो आपको समय दिया जाएगा। You speak as much as you like. यह गलत बात है।
...(व्यवधान)...जो बात आप अभी कह रहे हैं वह आप बाद में कर लेना। आपको कह रहे हैं कि आप रैज्योल्यूशन पर बोल लेना । इस वक्त आप मत बोलिए। उस समय बोलना और तब उसका आपको सरकार से जवाब मिलेगा। You are talking untimely. उस समय बोल लेना। ...(व्यवधान)...

श्री सुरेश भारद्वाज :अध्यक्ष महोदय, इससे जरूरी कोई काम नहीं हो सकता।

उद्योग मंत्री (संसदीय कार्य मंत्री): भारद्वाज जी ,हमारा आपसे आग्रह है कि इस पर 15मिनट में चर्चा शुरू हो रही है इसलिए अभी आप बैठ जाएं और प्रश्नकाल चलने दें। ---(व्यवधान)

अध्यक्षः मैंने कहा कि चर्चा के दौरान इस पर बोल लेना। Don't exhaust yourself. यह गलत बात है । चर्चा में आप बोलिए हम मना थोड़े ही कर रहे हैं। प्रश्न काल आरम्भ। श्री रणधीर शर्मा।

श्री रणधीर शर्माः अध्यक्ष महोदय, यह जो विषय श्री रविन्द्र सिंह जी और श्री सुरेश भारद्वाज जी ने चर्चा के लिए लाया है।

Speaker: You sit down. I am asking you for your question. ... (व्यवधान)... आप अपना प्रश्न करिए। (interruption).. You sit down. (interruption). Make your question. मैंने आपको क्वैश्चन करने के लिए कहा है, चर्चा शुरू करने के

/1145/2014/12/5केएस/जेटी/2

लिए नहीं कहा है। अब आप कौन सी चर्चा करना चाहते हैं ? You sit down. (interruption).. You say your question. ..(interruption).. एक बार मैंने रूलिंग दे दी है , then why you are speaking? You cannot speak regarding the same issue. आप अपना प्रश्न करिए। ....(व्यवधान)...

श्री रणधीर शर्माः अध्यक्ष जी, हमें यहां पर जनता ने चुन कर भेजा है। आप हमसे किस तरह से बात कर रहे हैं ?हमें जनता ने आपकी डांट खाने के लिए नहीं भेजा है। अध्यक्ष महोदय, अब बिल्कुल भी सहन नहीं होगा ।

उद्योग मंत्री (संसदीय कार्य मंत्री)ः रणधीर जी, हम सदन चलाना चाहते हैं। हम आपसे कह रहे हैं कि आपकी हर चर्चा का जवाब देंगें लेकिन अभी आप कृपया अपना प्रश्न पूछिए। ...(व्यवधान)...

अध्यक्षः आप प्रश्न पूछिए। ...(व्यवधान)... मैं आपको क्वैश्चन के लिए कॉल कर रहा हूं, आप क्वैश्चन करिए। ..(interruiption).. You kindly sit down.

उद्योग मंत्री (संसदीय कार्य मंत्री)ः हमारा आपसे आग्रह है कि हम आपकी हर चर्चा का जवाब देने के लिए तैयार है आप कृपया शान्त हो जाएं।

श्री रणधीर शर्मा :अध्यक्ष जी, पहले आप बोल रहे हैं कि क्वैश्चन करिए फिर आपने मुझे sit down कैसे कहा? ..(व्यवधान)..

अध्यक्षः जब आपके लीडर ने मान लिया है, then why are you raising this point again? आप अपना प्रश्न कीजिए । ....(व्यवधान) ... आप प्रश्न कीजिए। You cannot speak on the matter. मामला खत्म हो गया। आप प्रश्न कीजिए। मेरी बात सुनिए। मैं कह रहा हूं कि जब आपके साथियों ने डिसाईड कर लिया तो फिर आप

दोबारा से यही प्रश्न क्यों कर रहे हैं ? ..(व्यवधान).. क्या आप ठीक तरह से बोल रहे हैं? आप कौन सी भाषा में मुझसे बात कर रहे हैं? You make your question.

/1145/2014/12/5केएस/जेटी/3

श्री रिखी राम कौंडलः अध्यक्ष जी, पहले आपको हमारी बात सुननी पड़ेगी।

श्री रणधीर शर्मा जी श्रीमती अ0व0 द्वारा जारी---

5.12.2014/1150/ag-av/1

श्री रणधीर शर्मा : आप अच्छा व्यवहार नहीं कर रहे हैं।

अध्यक्षः आप क्या ठीक भाषा बोल रहे हैं। आप कैसा व्यवहार कर रहे हैं ? आप प्लीज प्रश्न पुछिए। (---व्यवधान---) आप अपना व्यवहार देखो। आप प्रश्न पढ़िए।

श्री रणधीर शर्मा : आप हाउस ही नहीं चलाना चाहते। हम पार्टिसिपेट ही नहीं करेंगे।

अध्यक्ष : पहले आप अपना व्यवहार देखें।

श्री रणधीर शर्मा : अध्यक्ष महोदय, अगर कोई आपको इस तरह से बोलेगा तो क्या आप उसको सहन करेंगे? हम ऐसा व्यवहार बिल्कुल बरदाश्त नहीं करेंगे।

अध्यक्ष : आप प्लीज अपना प्रश्न पुछिए।

(भारतीय जनता पार्टी के सभी सदस्य अपनी-अपनी सीटों पर खड़े होकर नारेबाजी करने लगे।)

5.12.2014/1150/ag-av/2

<u>प्रश्न संख्या : 1303</u>

अध्यक्ष : अगला प्रश्न श्री महेश्वर सिंह जी करेंगे।

श्री महेश्वर सिंह : अध्यक्ष महोदय, जो उत्तर आपने सभा पटल पर रखा है वह इतना बड़ा जत्था है और इस पर 'खोदा पहाड़ निकली चुहिया ' वाली कहावत चरितार्थ होती है।

मैं आपके माध्यम से मंत्री जी का ध्यान प्रश्न की ओर दिलाना चाहूंगा। मैंने अपने प्रश्न में पूछा था कि प्रदेश में वर्तमान में कुल कितने भेड़ पालक हैं ? प्रश्न के "ख" भाग में यह जानना चाहा था कि उनको क्या-क्या सुविधाएं दी गई हैं। इसी तरह प्रश्न के "ग" भाग में आपके किसी एक विभाग के बारे में नहीं पूछा बल्कि नाम

व पते सहित जिलाशः ब्यौरा मांगा है। मैंने पूछा है कि किस प्रकार से वितरण किया है उसका कोई उत्तर नहीं आया है। अगर आपके पास उसका उत्तर है, तो आप बताइए।

वन मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने प्रश्न पूछा है कि प्रदेश में वर्तमान में कितने परमिट धारक भेड़ पालक हैं? इस बारे में मैं यह बताना चाहूंगा कि इस समय प्रदेश में कुल 2526 परमिट धारक हैं। सरकार द्वारा भेड़ पालकों को टैंट, जूते, सोलर लाइट, दवाइयों की किट इत्यादि देने बारे कोई निर्णय नहीं लिया गया है। परंतु हिमाचल प्रदेश वूल फैडरेशन और वन विभाग की मध्य हिमालय जलागम परियोजना के अंतर्गत भेड़ पालकों को टैंट, जूते, सोलर लाइट ,दवाइयों की किट, तिरपाल, डांगरी इत्यादि वस्तुएं उपलब्ध करवाई जाती है। मिड हिमालय जलागम परियोजना के अंतर्गत पशुओं की डिवार्मिंग की जाती है। यह सुविधाएं उन भेड़ पालकों को दी जाती हैं जो मिड हिमालय जलागम परियोजना क्षेत्र से होकर गुजरते हैं। मध्य हिमाचल जलागम परियोजना के अंतर्गत परियोजना क्षेत्र में रहने वाले एवं क्षेत्र से गुजरने वाले परमिट होल्डर घुमन्तु भेड़-बकरी पालकों को जनजातीय कार्य योजना स्कीम के अंतर्गत उनके उपयोग की वस्तुएं एवं दवाइयों का वितरण केवल

5.12.2014/1150/ag-av/3

उन्हीं की मांगों के आधार पर किया जाता है। दिनांक 31.10.2014 तक लाभार्थीवार निम्नलिखित वस्तुएं वितरित की गई हैंः-

कुल भेड़-बकरी पालक लाभार्थी 1201, टैंट वितरित किए गए 490, इंटर-हंटर जूते ,490सोलर लाइट्स 490, दवाई की किट 18 ,38डांगरी 490, तिरपाल 473 (---व्यवधान---) एक मिनट, सुन लो। फिर मैं बोलता हूं। (---व्यवधान---)

(भारतीय जनता पार्टी के सभी सदस्यों ने सदन से वाकआउट किया।)

श्री महेश्वर सिंह : मैंने जो सूचना मांगी है----

श्री बी.जे.द्वारा जारी

/1155/05.12.2014नेगी/ए.जी./1

प्रश्न संख्याः 1303.. जारी..

श्री महेश्वर सिंहः मंत्री जी ,जो सूचना मैंने मांगी है आप वह सूचना दीजिए।

वन मंत्री : आपने जिलावार ब्यौरा मांगा है ,मैं जिलावार ब्यौरा दे रहा हूं। ...(व्यवधान)..

श्री महेश्वर सिंह : अभी आपने जो रिपीट किया है । मैं यह कहना चाहता हूं कि कुछ संख्या ऐसे भेड़-पालकों की है, जो गर्मियों के मौसम में भेड़-बकरियां ले कर जंगलों में जाते हैं और कुछ भेड़-पालक ऐसे हैं जो कुछ ही दिन घरों में रहते हैं और उसके बाद सर्दियों के मौसम में निचले क्षेत्रों में जाते हैं। मैंने आपसे ऐसे भेड़-पालकों की संख्या पूछी तो आपने अभी बताया 1265. जो आपने जवाब दिया है उसके अन्तर्गत आपने बतायी इनकी संख्या 630. आपने अभी जो संख्या बतायी वह ज्यादा बताया है - 2526 और अब आप उत्तर देने लगे तो आप घटकर 1201 पर आ गये। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि बाकी कहां गये? अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहूंगा, अगर आपने जिलावार ब्यौरा नहीं दिया है तो उसको आप बाद में दे दीजिए। अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न का "ख" भाग देखिए, "यह सत्य है कि सरकार ने भेड़ पालकों को टैंट, जूते, सोलर लाईट्स, दवाइयों की किट इत्यादि देने का निर्णय लिया है, यदि हां, तो इनके वितरण में क्या मापदण्ड हैं और इस कार्य को किस विभाग द्वारा किया जा रहा है" ? अभी आपने ट्राइब्ल सब-प्लान की बात कही। मेरे विचार में सबसे पहले इन्हीं लोगों को ये किट देनी चाहिए थी जो अधिकांश समय जंगलों में व्यतीत करते हैं। भेड़-पालक तो हर व्यक्ति है। जिसके पास 10 भेड़ है , वह भी भेड़ पालक है और जिसके पास 2 भेड़ है वह भी भेड़ पालक है । सरकार की मन्शा तो यह होगी कि जो भेड़-पालक अधिकांश समय जंगलों में रहते हैं उनको टैंट दिए जाएं। लेकिन जो सुबह घर से उठ कर भेड़ चराने जाता है और शाम को वापिस घर लौट आता है उसको थोड़ी न टैंट देना है। मेरी सूचना के अनुसार ऐसे लोगों को यह सामान दिया गया और जो लोग जंगलों में रहते हैं उनको इग्नोर किया गया है। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि सारे तथ्य इकट्ठे करके इस

/1155/05.12.2014नेगी/ए.जी./2

क्वैश्चन को स्थगित करें क्योंकि अभी उत्तर अधूरा है, सामान किन-किन लोगों को दिया गया उनके नाम भी नही है।

अध्यक्षः माननीय मुख्य मंत्री जी इसका जवाब देंगे।

मुख्य मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, जहां तक मेरी जानकारी है, भेड़-पालकों को जो कुछ वस्तुएं प्रदान की जा रही है वो वन विभाग के द्वारा नहीं बल्कि वूलफैड के द्वारा

प्रदान की जा रही है। वूलफैड के द्वारा उन्हीं लोगों को ये सामग्री मिलनी चाहिए जो वास्तव में भेड़-पालक हैं और वह भेड़-बकरियों के साथ जंगलों में जाते हैं और वहीं पर रहते हैं। उनके लिए यह सामान है और उनके लिए ही सामग्री निर्धारित है।

श्री महेश्वर सिंह : अध्यक्ष महोदय, जैसे कि अभी माननीय मुख्य मंत्री जी ने हस्तक्षेप करते हुए जवाब दिया है, मैं बिल्कुल इस बात से सहमत हूं और मैं आपके माध्यम से इनसे आग्रह करना चाहूंगा कि वूलफैड ने किस-किस को इस प्रकार की सामग्री वितरित की है, ये सारी सूची मुझे मिल जाए ताकि हम आगे इसपर फिर प्रश्न पूछ सकें।

वन मंत्री : अध्यक्ष जी, यह सूचना बहुत लम्बी-चौड़ी है। इसमें मिड हिमालय के अन्तर्गत सामग्री वितरित की गई है और जो उनकी ज्युरिस्डिक्शन है उसके अनुसार सर्दियों में जो भेड़-पालक लोअर बेल्ट में माइग्रेट करते हैं सिर्फ उन्हीं को यह सहायता मिल रही है, दूसरों को नहीं मिल रही है।

अध्यक्षः माननीय सदस्य कह रहे हैं कि जो भेड़ पालक सुबह घर से जा करके शाम को वापिस घर लौट आते हैं उनको भी यह सामग्री दी गई है। जबकि जो भेड़-पालक जंगलों में ही रहते हैं उन्हीं को यह सामग्री मिलनी चाहिए।

/1155/05.12.2014नेगी/ए.जी./3

श्री महेश्वर सिंहः मेरी सूचना के अनुसार, आपके मिड हिमालयन वाले में जो घर से सुबह उठ कर 10-20 भेड़ों को लेकर चराने जाते हैं उनको भी यह सामग्री दे दी गई है। इसलिए इसकी सारी छानबीन करके क्या आप इस प्रश्न का उत्तर दोबारा देंगे अथवा सदन के सभापटल पर रखेंगे?

वन मंत्री : अध्यक्ष महोदय, छानबीन करके आपको पूरी इंफोर्मेशन दे दी जाएगी।

अध्यक्षः मुझे खेद है कि जो विपक्ष का यह वॉक-आऊट है , यह उचित नही था। क्योंकि लीडर्ज़ ने एक बार फैसला कर लिया है कि इसपर चर्चा नियम-130 के अन्तर्गत कर ली जाएगी। अब इनको अपने मेम्बर्ज़ को रोकना चाहिए था। मुझे बड़ा खेद हो रहा है क्योंकि यह वाक-आऊट अनुचित तरीके से किया गया है। मैं इनसे रिक्वैस्ट करता हूं कि आप सभी इस हाऊस में आ करके पार्टिसिपेट करें। यह चर्चा होगी। जब लीडर्ज़ ने फैसला कर लिया तो उसके बाद चर्चा का विषय नहीं उठना चाहिए था।

श्री एस.एल.एस.द्वारा जारी...

05.12.2014/1200/SLS-JT-1

प्रश्न काल समाप्त

05.12.2014/1200/SLS-JT-2

साप्ताहिक शासकीय कार्यसूची बारे वक्तव्य

अध्यक्ष : अब सदन के नेता द्वारा वक्तव्य होगा।

अब माननीय मुख्य मन्त्री माननीय सदन को इस सप्ताह की शासकीय कार्यसूची बारे अवगत कराएंगे।

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं इस माननीय सदन को इस सप्ताह की शासकीय कार्यसूची से अवगत करवाता हूं जो इस प्रकार है -

शुक्रवार, 05 दिसम्बर, 2014 : शासकीय एवं विधायी कार्य।

शनिवार, 06 दिसम्बर, 2014 : शासकीय एवं विधायी कार्य।

05.12.2014/1200/SLS-JT-3

कागजात सभा पटल पर

अध्यक्ष : अब कागज़ात सभा पटल पर रखे जाएंगे।

अब माननीय मुख्य मंत्री कुछ कागज़ात सभा पटल पर रखेंगे।

मुख्य मन्त्री : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास व्यवसाय रजिस्ट्रीकरण (संशोधन) नियम, 2014 जोकि अधिसूचना संख्याः टी0एस0एम0-ए)3)-1/20-08III दिनांक 29.10.2014 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 31.10.2014 को प्रकाशित हुई है, की प्रति सभा पटल पर रखता हूं।

05.12.2014/1200/SLS-JT-4

अध्यक्ष : अब माननीय बहुउद्देश्यीय परियोजनाएं एवं ऊर्जा मन्त्री कुछ कागज़ात सभा पटल पर रखेंगे।

बहुउद्देश्यीय परियोजनाएं एवं ऊर्जा मन्त्री :अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से हिमाचल प्रदेश कृषि एवं औद्यानिकी उपज़ विपणन (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 2005 की धारा-48 (4)के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड का वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन एवं तुलन-पत्र वर्ष 2012-13 की प्रति सभा पटल पर रखता हूं।

05.12.2014/1200/SLS-JT-5

अध्यक्ष : अब माननीय वन मन्त्री कुछ कागज़ात सभा पटल पर रखेंगे।
वन मन्त्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश मत्स्यपालन विभाग ,मत्स्य क्षेत्रीय सहायक, वर्ग -IV (अराजपत्रित(भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2014 जोकि अधिसूचना संख्या-:फिश-ए(3)-5/2004-II दिनांक 08.05.2014 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 16.05.2014 को प्रकाशित हुई है, की प्रति सभा पटल पर रखता हूं।

05.12.2014/1200/SLS-JT-6

अध्यक्ष : अब माननीय शहरी विकास मन्त्री कुछ कागज़ात सभा पटल पर रखेंगे।

शहरी विकास मन्त्री : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से हिमाचल प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1994 की धारा-255 की उपधारा(1) के अन्तर्गत शहरी स्थानीय निकायों के लेखों अवधि 04/201 1 से 03/2013 तक का वार्षिक लेखा परीक्षा एवं निरीक्षण प्रतिवेदन की प्रति सभा पटल पर रखता हूं।

05.12.2014/1200/SLS-JT-7

अध्यक्ष : अब माननीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मन्त्री कुछ कागज़ात सभा पटल पर रखेंगे।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मन्त्री :अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से हिमाचल प्रदेश राज्य महिला आयोग अधिनियम, 1996 की धारा 19 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश राज्य महिला आयोग का वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन वर्ष13-2012 की प्रति सभा पटल रखता हूं।

05.12.2014/1200/SLS-JT-8

अध्यादेश

अध्यक्ष : अब अध्यादेश सभा पटल पर रखे जाएंगे।

अब श्री वीरभद्र सिंह जी, माननीय मुख्य मंत्री भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 (1) के परन्तुक के अन्तर्गत राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश द्वारा दिनांक 14.8.2014 को प्रख्यापित, अभिलाषी विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) अध्यादेश, 2014 (2014 का अध्यादेश संख्यांक 3) की प्रति उन परिस्थितियों के स्पष्टीकरण के कथन सहित जिनके कारण उक्त अध्यादेश का प्रख्यापन आवश्यक हुआ, की प्रति सभा पटल पर रखेंगे।

मुख्य मन्त्री : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 (1) के परन्तुक के अन्तर्गत राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश द्वारा दिनांक 14.8.2014 को प्रख्यापित, अभिलाषी विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) अध्यादेश, 2014 (2014 का अध्यादेश संख्यांक 3) की प्रति उन परिस्थितियों के स्पष्टीकरण के कथन सहित जिनके कारण उक्त अध्यादेश का प्रख्यापन आवश्यक हुआ, (हिन्दी-अंग्रेजी पाठ(सभा पटल पर रखता हूं।

05.12.2014/1200/SLS-JT-9

अध्यक्ष : अब श्री कौल सिंह जी, माननीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 (1) के परन्तुक के अन्तर्गत राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश द्वारा दिनांक 01.10.2014 को प्रख्यापित, हिमाचल प्रदेश न्यायालय फीस (संशोधन) अध्यादेश, 2014 (2014 का अध्यादेश संख्यांक 6) की प्रति उन परिस्थितियों के स्पष्टीकरण के कथन सहित जिनके कारण उक्त अध्यादेश का प्रख्यापन आवश्यक हुआ, की प्रति सभा पटल पर रखेंगे।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 (1) के परन्तुक के अन्तर्गत राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, द्वारा दिनांक 01.10.2014 को अनुमोदित, हिमाचल प्रदेश न्यायालय फीस(संशोधन) अध्यादेश, 2014 (2014 का अध्यादेश संख्यांक 6) की प्रति उन परिस्थितियों के स्पष्टीकरण के कथन सहित जिनके कारण उक्त अध्यादेश का प्रख्यापन आवश्यक हुआ, (हिन्दी-अंग्रेजी पाठ(सभा पटल पर रखता हूं।

अगली मद ..श्री गर्ग जी

05/12/2014/1205/RG/JT/1

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री के पश्चात

अध्यक्ष : अब माननीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री जी भारत के संविधान के अनुच्छेद 213(1) के परन्तुक के अन्तर्गत राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, द्वारा दिनांक 18.9.2014 को प्रख्यापित, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश 2014 ,(2014 का अध्यादेश संख्यांक 5) की प्रति उन परिस्थितियों के स्पष्टीकण के कथन सहित जिनके कारण उक्त अध्यादेश का प्रख्यापन आवश्यक हुआ, (हिन्दी-अंग्रेजी पाठ) सभा पटल पर रखेंगे।

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 (1) के परन्तुक के अन्तर्गत राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, द्वारा दिनांक 18.9.2014 को प्रख्यापित, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 2014 (2014 का अध्यादेश संख्यांक 5) की प्रति उन

परिस्थितियों के स्पष्टीकण के कथन सहित जिनके कारण उक्त अध्यादेश का प्रख्यापन आवश्यक हुआ, (हिन्दी-अंग्रेजी पाठ) सभा पटल पर रखता हूं।

2/-

05/12/2014/1205/RG/JT/2

सदन की समितियों के प्रतिवेदन

अध्यक्ष : अब सदन की समितियों के प्रतिवेदन सभा में उपस्थापित किए जाएंगे। सर्वप्रथम श्रीमती आशा कुमारी, **सभापति, लोक उपक्रम समिति**, के प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित करेंगी तथा सदन के पटल पर रखेंगी :-

श्रीमती आशा कुमारी : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से लोक उपक्रम समिति (वर्ष 2014-15) के निम्नलिखित प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित करती हूं तथा सदन के पटल पर रखती हूं :-

(i) समिति का 21वां मूल प्रतिवेदन (2014-15) जोकि भारत के नियन्त्रण एवं महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन वर्ष 2007-08(वाणिज्यिक) के पैरा संख्याः 4 .8 के स्वयंमेव उत्तरों की संवीक्षा पर आधारित तथा **हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत परिषद्** से सम्बन्धित है; और

(ii) समिति का 22वां मूल प्रतिवेदन (2014-15) जोकि भारत के नियन्त्रण एवं महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन वर्ष 2007-08(वाणिज्यिक) के पैरा संख्याः 4 .9 के स्वयंमेव उत्तरों की संवीक्षा पर आधारित तथा **हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत परिषद्** से सम्बन्धित है।

3/-

05/12/2014/1205/RG/JT/3

नियम समिति का प्रतिवेदन :

अध्यक्ष : अब श्री जगत सिंह नेगी, उपाध्यक्ष एवं सदस्य, नियम समिति (2014-15) (बारहवीं विधान सभा) के प्रतिवेदन की प्रति सभा में उपस्थापित करेंगे तथा सदन के पटल पर रखेंगे।

श्री जगत सिंह नेगी, उपाध्यक्ष एवं सदस्य, नियम समिति (2014-15) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से नियम समिति (2014-15) के प्रतिवेदन की एक प्रति सभा में उपस्थापित करता हूं तथा सदन के पटल पर रखता हूं।

4/-

05/12/2014/1205/RG/JT/4

नियम-130 के अन्तर्गत प्रस्ताव

अध्यक्ष : अब नियम-130 के अन्तर्गत प्रस्ताव होगा। अब श्री रविन्द्र सिंह जी नियम-130 के अन्तर्गत अपना प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे। -------(व्यवधान)-----आप क्या कहना चाहते हैं?

श्री सुरेश भारद्वाज : अध्यक्ष महोदय, सुबह आपने ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई थी, तो उसकी सैंकटिटी खराब होगी। इसलिए आप हमारी बात सुलिए।

अध्यक्ष : आप क्या कहना चाहते हैं? हां, बोलिए।

श्री सुरेश भारद्वाज : अध्यक्ष महोदय, सुबह आपने सर्वदलीय बैठक बुलाई थी जिसमें कुछ चीजों पर ऐग्रीमैंट हुआ था और उसके मुताबिक चर्चा चल ही थी। लेकिन आपने हमारे वरिष्ठ सदस्य श्री रणधीर शर्मा जी का नाम पुकारा ,वे खड़े हुए ,अपने प्रश्न को वे उस ढंग से फ्रेम करने की दिशा में आगे बढ़ रहे थे ,लेकिन आपने एकदम से जिस प्रकार से, मैं बड़े अदब से कहना चाहता हूं कि हम पीठ का आदर करते हैं, अध्यक्ष महोदय का आदर करते हैं या कोई भी पीठ पर बैठा हो, हम उसका आदर करते हैं और आप तो बहुत ही वरिष्ठ और अनुभवी व्यक्ति हैं। लेकिन जिस प्रकार की शब्दावली का उपयोग यहां हुआ है ,वह बहुत अच्छे परिप्रेक्ष्य में नहीं है। सदन चले क्योंकि सारे जरूरी मुद्दों पर सारे प्रदेश की जनता की नज़रें लगी हुई हैं इसलिए यहां सदन में सदस्य अपनी बात कहें और यह सदन विषयों पर चर्चा करे और उसके

ऊपर निर्णय करे। इसलिए मेरा यह निवेदन है कि हमारे माननीय सदस्य श्री रणधीर शर्मा जी के प्रति जो आपने बहुत कठोर शब्दों का प्रयोग किया है जोकि अनवारेंटिड है। इसलिए उनकी भावनाओं को जो आहत किया गया है उस पर आपको कुछ-न-कुछ करना चाहिए।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य ने जो कहा है, मैं उसका खण्डन इसलिए करना चाहता हूं कि जब मैंने इनको प्रश्न करने के लिए बोला ,वैसे जो आपने फैसला कर लिया, आप नेता हैं और इस समय आप यहां विपक्ष के नेता के रूप में यहां ऐक्ट कर रहे हैं। तो आपने या रवि जी ने फैसला कर लिया है कि नियम-130 के अन्तर्गत यहां चर्चा होगी। तो बजाय वह क्वेश्चन करने के उस विषय पर बोलना चाहते थे इसलिए मैंने उनको कहा। मेरा दिल भी यही करता हूं कि मैं भी सभी लोगों का आदर करूं ,लेकिन मेरी एक प्रतिबद्धता है काम करने के लिए। अगर आप कहते हैं कि मैंने उनको कुछ कहा है---------------जारी

एम.एस. द्वारा जारी

5/12/2014/1210/Ms/AG/1

अध्यक्ष जारी-----------

मेरा दिल भी करता है कि मैं सभी का आदर करूं लेकिन मैं भी अपना काम करने के लिए प्रतिबद्ध हूं। अगर आप कहते हैं कि मैंने माननीय सदस्य को कुछ कहा है तो उनको भी चाहिए कि वह इस आसन की गरिमा को बनाए रखें। जैसे ही मैंने माननीय सदस्य को बैठने के लिए कहा ,वह जोर-जोर से अपनी बात कहने लगे। यह गलत बात है। यह नियमों के विरूद्ध है। जब अध्यक्ष बोल रहे हैं तो सबको चाहिए कि अध्यक्ष की बात को बैठकर सुन लिया जाए, उसके बाद बोला जाए। मैंने तीन-चार बार उनको कहा कि बैठ जाइए, बैठ जाइए और अपना सवाल कीजिए लेकिन वह सवाल के बजाए जो आपका विषय था, उसको फिर से दोहराना चाहते थे। हालांकि आपने फैसला कर लिया था। मैं इस चीज के लिए खेद प्रकट करता हूं कि ऐसा मामला नहीं होना चाहिए we also wish कि आप हाजिर हों और आप की ही वजह से सबकुछ है। मैं यही कहना चाहता हूं कि इस आसन की गरिमा को सभी को बनाए रखना चाहिए। जब मैं बोलता हूं तो आप मेरी बात को चुपचाप सुनिए। उसके बाद आप अपनी बात रखिए। मैंने माननीय सदस्य से प्रश्न पूछने के लिए कहा और माननीय सदस्य अपने इश्यू के बारे में बोलने लग गए। इसलिए मैंने ऐसा कहा। मेरी

मंशा उनको अपमानित करने की नहीं थी। अब चर्चा शुरू है। आप जो मर्जी बोलें, आपका स्वागत है। सरकार आपकी बात का जवाब देगी।

Chief Minister: Sir, I want to make a statement in order to clarify the situation. अध्यक्ष जी, अच्छा होता अगर चर्चा पर बहस होती। दोनों तरफ से बातें चलतीं और हम उसका उत्तर देते। परन्तु मैं कुछ तथ्य सदन के सामने लाना चाहता हूं ताकि इस पर कोई (व्यवधान)चर्चा अब खत्म हो गई है। I am giving a statement on it. अब मैं केवल स्टेटमैंट दूंगा। अध्यक्ष जी, चर्चा खत्म है। क्योंकि आज बात उठी है, कल अखबारों में आएगा कि हिमाचल प्रदेश में वृक्ष कट रहे हैं, जंगल कट रहे हैं। विपक्ष ने इसके बारे में सवाल उठाया है। (व्यवधान) मैं चर्चा नहीं कर रहा हूं। मैं आपके सामने कुछ तथ्य रखना चाहता हूं।

5/12/2014/1210/Ms/AG/2

अध्यक्षः माननीय सदस्य रवि जी, एक मिनट के लिए बैठ जाइए।

मुख्य मंत्रीः आप अपनी चर्चा के बारे में बोलिए, मैं अपना प्वाइंट ऑफ व्यु रखना चाहता हूं। ...(Interruption)... You can't stop me from giving a statement.

श्री रविन्द्र सिंहः वन मंत्री जी के संरक्षण में प्रदेश में पेड़ कट रहे हैं और हमारी बात सुनने के लिए कोई तैयार नहीं है।

अध्यक्षः चर्चा आप ही करेंगे। मुख्य मंत्री जी को पहले अपनी बात रखने दीजिए। मुख्य मंत्री जी आप अपनी बात रखिए। आप क्या कहना चाहते हैं?

...(Interruption)...

Chief Minister: He can't stop me from giving a statement.

अध्यक्षः मुख्य मंत्री जी आप अपनी बात रखिए।

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, (व्यवधान)

अध्यक्षः पहले आप लोग मुख्य मंत्री जी की बात तो सुन लीजिए।

श्री रविन्द्र सिंहः अध्यक्ष जी, हम चाहते हैं कि इस चर्चा का जवाब मुख्य मंत्री जी की बजाए वन मंत्री दे।

मुख्य मंत्रीः आप लोग चाहतें हैं कि आज जो घटना घटी ,जो बातें हुई, वे सारी बातें समाचार पत्रों में छपे और जो तथ्य है, वह न छपे? (व्यवधान) आपको पूरा मौका दिया गया कि चर्चा में भाग लें लेकिन आपने भाग नहीं लिया। आप लोग प्रश्नकाल में बाहर चले गए। यह तो हो नहीं सकता। Sir, I must put the record straight.

अध्यक्षः आप लोग मुख्य मंत्री जी की बात सुन लीजिए कि वह क्या बात करना चाहते हैं। चर्चा थोड़े ही बन्द हो जाएगी। चर्चा आप करते रहिए। (व्यवधान)
मुख्य मंत्रीः (व्यवधान) मैं आपकी चर्चा का जिक्र ही नहीं करता। (व्यवधान)

5/12/2014/1210/Ms/AG/3

श्री बिक्रम सिंहः अध्यक्ष जी, पहले चर्चा होगी, फिर जवाब आएगा। (व्यवधान)

अध्यक्ष श्री जे0के0 द्वारा----

5.12.2014/1215/जेके/एजी/1

---(**व्यवधान**)---
अध्यक्षः माननीय सदस्य प्लीज मेरी बात सुनिए। मैं आप लोगों को क्लैरिफाई करना चाहता हूं कि even the Leader of the House has a right to state something. Let him speak. आप सुनिए और हम आपकी चर्चा बन्द नहीं कर रहे हैं।
मुख्य मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, यदि चर्चा अलाऊ कर दी है तो मैं चर्चा के बाद बोलता हूं, लेकिन आपने अपनी उस चर्चा का फायदा ही नहीं उठाया। जब अध्यक्ष महोदय ने आप लोगों को चर्चा के लिए बुलाया तब आप सदन से बाहर चले गए। यह बहुत ही शर्म की बात है। ---(**व्यवधान**)---
अध्यक्षः माननीय सदस्य आप चर्चा करिए।
श्री रविन्द्र सिंहः माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से आज बहुत ही गम्भीर विषय को इस माननीय सदन में , जो प्रदेश हित का है और जो इस प्रदेश में हमारी सबसे ज्यादा आर्थिकी का साधन है, जब उसके ऊपर कुठाराघात होता है तो हर किसी का ध्यान उस ओर जाता है। मैं इससे पहले कि चर्चा शुरू करुं सबसे पहले मैं इस विषय को आपके सामने यहां रखना चाहता हूं। "प्रदेश में निजी भूमि एवं वनों में हो रहे अत्यधिक अवैध कटान पर यह सदन विचार करें।"
अध्यक्षः प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि "प्रदेश में निजी भूमि एवं वनों में हो रहे अत्यधिक अवैध कटान पर यह सदन विचार करें।"
श्री रविन्द्र सिंहः माननीय अध्यक्ष जी, मुझे याद है उस समय मैं राजनीति में नहीं था। उस समय माननीय मुख्य मंत्री महोदय केन्द्र में मंत्री थे उस समय भी प्रदेश में पेड़ों का अवैध कटान हो रहा था। सरकार चाहे किसी की भी थी और किसी की भी हो

और जब-जब भी ऐसी घटनाएं प्रदेश में होती है तो निश्चित तौर पर आम नागरिक का कर्त्तव्य बन जाता है कि उस विषय पर चिन्ता की जाए। उस समय वर्तमान मुख्य मंत्री को इसी तरह के विषय पर उस समय की भारत सरकार ने वर्तमान मुख्य मंत्री को यहां पर उस समय मुख्य मंत्री के तौर पर भेजा था। आपने

5.12.2014/1215/जेके/एजी/2

अवैध कटान को रोकने के लिए कोशिश की थी और उस समय इसी तरह का एक अवैध कटान शिमला जिला में हो रहा था और आपने उसको रोका। लेकिन रोकने के साथ-साथ आज फिर वे परिस्थितियां रूकने का नाम नहीं ले रही हैं। हर साल हम पौधारोपण करते हैं। पिछली सरकारों ने भी इस विषय पर लगतार प्रयास किये हैं। हिमाचल प्रदेश को पर्यावरण की दृष्टि से पूरे विश्व में सराहा जाता है। यदि हमारे पास यहां पर कोई सम्पदा है तो वह यह जंगल हैं, वन हैं, जिनको देखने के लिए भारतवर्ष से यहां पर पर्यटक आते हैं। जब इसके ऊपर कुठाराघात होता है तो मेरा माननीय मुख्य मंत्री जी से निवेदन है कि जब आपने अवैध कटान को बन्द करने का उस समय बीड़ा उठाया था तो अब आप 32 साल बाद पीछे क्यों हट रहे हैं ? मैं यह नहीं कहता हूं कि आप इसमें सीधे तौर पर शामिल हैं लेकिन जब आपका कोई सहयोगी ऐसे काम करता है, उसके मेरे पास कई तथ्य हैं। चाहे प्रदेश का कोई भी इलाका हो और शिमला जिला में सरकार के नाक के तले इस तरह की घटना घट जाए और 470 पेड़ कट जाए, इसलिए इस पर विशेष चर्चा होना स्वाभाविक है। यहां पर कह रहे हैं कि वह निजी भूमि है। अध्यक्ष महोदय, इसके अलावा चम्बा जिला में भी अवैध कटान हुआ है। चम्बा जिला में इस तरह की एक लूट मची हुई है। हमारे पास वन विभाग और वन निगम का इतना बड़ा बेड़ा है। कर्मचारी नीचे से लेकन ऊपर तक जितनी आवश्यकता होती है उतने पद सृजित कर दिए जाते हैं। जब ऐसी चीजें सामने आती है तो इस तरह की घटनाएं कैसे घट जाती हैं ? अध्यक्ष महोदय यह चिन्ता का विषय है। मैं व्यक्तिगत तौर पर वहां गया हूं। वहां पर मुझे कई इस विषय में कागज दिए गए हैं और कुछ खबरें अखबारों में भी छपी हैं।

श्री एस.एस. द्वारा जारी----

1/5.12.201422/0SS-JT/1

श्री रविन्द्र सिंह क्रमागतः

कुछ अखबारों में छपे लेकिन चम्बा जिला की खबर यहां छप नहीं पाई इसलिए यहां पर ज्या ादा चर्चा नहीं हुई। अध्यक्ष महोदय, जंगल का नाम है "इल्मी" ,जोकि माननीय वन मंत्री महोदय के क्षेत्र में पड़ता है। रेंज पड़ती है वकान। डी0एफ0ओ0 चम्बा के अन्तर्गत आता है। इसके अन्तर्गत सन् 2012 में 1016 सूखे पेड़ों की मार्किंग हुई थी। सरकार बीच में बदल गई। 2012 में आपकी सरकार आई और आप मुख्य मंत्री बन गए लेकिन इनके कटान का काम 2013 में शुरू हुआ। अध्यक्ष जी, उसके बाद क्या होता है? जून, 2013 में कटान शुरू हुआ जब चम्बा जिला के वन मंत्री को सरकार में वन महकमे का जिम्मा सौंपा गया था। उस समय सूखे पेड़ तो कटे नहीं। अध्यक्ष महोदय, मैं यहां पर सी0डी0 लेकर आया हूं , इसमें सारे तथ्य विराजमान हैं। वहां पर देवदार के 9 पेड़ के कटान की परमिशन मिली थी लेकिन 65 पेड़ काट दिए। ये पैन ड्राइव और स्टिलफोटोग्राफी में भी है तथा सी0डी0 में भी है। मेरा मुख्य मंत्री जी से निवेदन है कि इसको समय निकाल कर देखें। आज ही देखेंगे तो अच्छा रहेगा। इस हाउस में दिखाया जाए तो और बढ़िया रहेगा। इसको यहीं पर लगाया जाए। इसमें इंवोल्वमैंट किसकी है ? अध्यक्ष महोदय, एक टी0ए0सी0 का मेम्बर है जो आपकी विचारधारा से संबंधित है। नाम है उनका शुभकर्ण जी। उनके किसके साथ क्या संबंध है? उसको किसके नाम का संरक्षण है? शुभकर्ण कोई काम नहीं कर रहा है। काम कौन कर रहा है ? अध्यक्ष महोदय, जिनको संरक्षण जिसका प्राप्त है। वह सारे का सारा जंगल उस नाले के बीच में निकाल दिया। जो वहां पर नाला है उसके दोनों तरफ के पेड़, वे पेड़ कैल के भी हैं, देवदार के भी हैं और अन्य भी हैं, कटान के बाद ढुलाई हो रही है। हिमाचल की सम्पदा को तो नुकसान हुआ ही लेकिन सरकार को भी हुआ है। साथ में उलटे जो पैसे ढुलाई के लगे नहीं हैं, उस नाले में बहाकर सारे का सारा सामान आ गया। एक करोड़ से ऊपर उसको ढुलाई के पैसे भी दे दिए। जिसको घाल बोलते हैं उसके अन्तर्गत सामान आ गया। जिला चम्बा, जंगल का नाम इल्मी, रेंज वकान ,डी0एफ0ओ0 चम्बा। मुख्य मंत्री महोदय, हुआ क्या है ? वहां पर डी0एफ0ओ0 नहीं लगाया। ए0सी0एफ0 को पावर दे दी। उसको चार्ज दे दिया।

1/5.12.201422/0SS-JT/2

पसन्द का अधिकारी। एक जगह नहीं तीन जगह ऐसा है। जब ऐसे अधिकारी को लगायेंगे तो लूट मचायेगा ही। वह लूट तो मचायेगा। अध्यक्ष महोदय, जैसे मैंने कहा कि इनको 9 पेड़ के कटान की परमिशन मिली और 65 पेड़ काट दिए। मुख्य मंत्री जी, जो यह जानकारी प्राप्त हुई है यह कटान कराने वाला ठेकेदार है। क्षमा चाहूंगा, मुझे कहना नहीं चाहिए क्योंकि व्यक्तिगत आरोप लगाने की मेरे आदत नहीं है लेकिन वह मंत्री महोदय का बड़ा करीबी है। जब किसी का संरक्षण रहेगा तो हमारा प्रदेश किस ओर जायेगा। आज के दिन यह चिन्ता करने का विषय है। मुख्य मंत्री महोदय, मेरी मांग है कि जब तक मंत्री महोदय को इस पद से नहीं हटायेंगे , हिमाचल प्रदेश के जंगल तबाह हो जायेंगे , आने वाले समय में अगर तीन साल और रहे तो। मैंने आपको कह दिया कि ये जंगल तबाह हो जायेंगे। जब बाढ़ खेत को खाने लगती है तो क्या होगा ? आजकल बड़ी भारी स्टेटमैंटस दे रहे हैं कि हमने इतने मंकी कम कर दिए। कम कर दिए। इनका विभाग है मैं इसलिए कह रहा हूं। मुख्य मंत्री महोदय, आपको इसके बारे में ज्यालदा ज्ञान है। आपसे काफी कुछ सीखा भी है। पहले एक बंदरों की टोली होती थी तो वहां पर एक मेल मंकी होता था। पिछले दो साल में उस टोली में तीन-तीन मेल मंकी, पता नहीं इन्होंने छोड़ दिए ,अब तीन-तीन मेल मंकी हो गए। ये कहां से कैसे हो गए ? पता नहीं इन्होंने कोई नई दवाई पैदा कर दी कि ऐसा वहां हो गया। जंगल में भी इन्होंने इस ढंग से काम करना शुरू कर दिया। इसलिए यह चिन्ता का विषय है। अध्यक्ष महोदय, मेरी मांग है कि जो सिक्करीधार जंगल में दर्जनों हरे पेड़ कटे, अब सिक्करीधार कहां है?

जारी के0एस0

0/1225/5.12.2014**केएस/जेटी**/1

श्री रविन्द्र सिंह जारी---

अब सिकरी धार कहां है । इसमें वन निगम ने लॉट्स के दौरान लकड़ी के तस्करों से कार्य को अंजाम दिया । सारे वहां गए लेकिन सस्पैंड कौन किए ? एक तो बेचारे जो दो चौकीदार वहां पर मौके पर थे उनको संस्पैंड कर दिया। एक गार्ड को सस्पैंड कर दिया, उसके ऊपर एक बी.ओ होता है उसको सस्पैंड कर दिया, एक डिप्टी रेंजर कर दिया । उनके हाथ में कितनी लाग लपेट होती है यह आप समझ सकते हैं कि वे क्या कर सकते हैं। अब उन चौकीदारों को सस्पैंड करने के पीछे क्या तथ्य है । वह

तो जो वहां पर सामान आता है उसकी चौकीदारी करते हैं। क्या कटान करने में उनको कोई योगदान होता है? जिन्होंने कटान किए या करवाए उनके विरूद्ध कुछ नहीं हुआ। वहां मुझे यह भी जानकारी मिली है, मुझे वहां 86 साल के एक बुजुर्ग मिले। मैं तो उनकी बात सुनकर हैरान हो गया। वह कह रहा था कि मेरी इतनी उम्र हो गई मैं खुद लकड़ी का काम करता था ,ठेकेदारी करता था। ऐसा अभद्र कटान मैंने जंगल में आज तक नहीं देखा। 86साल की उम्र में मैंने ऐसा कटान कहीं पर नहीं देखा। चम्बा जिला में आजकल ऐसे जंगल के कटान हो रहे हैं। बाकी प्रदेश में भी ऐसा हो रहा है। यहां तक कि अध्यक्ष महोदय, माननीय विधायिका श्रीमती आशा कुमारी जी ने मुख्य मंत्री जी को पत्र लिखा है लेकिन पता नहीं मुख्य मंत्री जी ने उस पर क्यों कार्रवाई नहीं की। मुख्य मंत्री जी, आपके ध्यान में आपकी ही पार्टी की वरिष्ठ विधायिका ने आपको पत्र लिखा कि चम्बा में ऐसे-ऐसे स्थान पर ऐसी -ऐसी घटना घट रही है लेकिन आपने गौर ही नहीं किया। इस मामले में अखबार में लिखा गया कि "जमुहार में 93 पेड़ों पर चली कुल्हाड़ी "। इस में लिखा गया था कि इस मामले में मैंने मुख्य मंत्री से शिकायत की थी। यही नहीं वन विभाग व एस.पी चम्बा से इसके बारे में शिकायत की गई लेकिन अभी तक कार्रवाई के नाम पर कुछ भी सामने नहीं आया है। ऐसे में यह आभास होता है कि किसी उच्च व्यक्ति के प्रभाव में आ कर ही ऐसी भूमि में मौजूद पेड़ों को अवैध रूप से काटा जा रहा है। वन विभाग उनकी रक्षा करने में पूरी तरह नाकाम नज़र आ रहा है। इस विषय को लेकर फिर से मुख्यमंत्री से शिकायत की जाएगी ताकि इस पूरे मामले की न केवल सच्चाई सामने

0/1225/5.12.2014केएस/जेटी/2

आए बल्कि इसमें संलिप्त लोगों को भी सामने लाएगा जा सके। मुझे लगता है कि यह कोई महीना- डेढ़ महीना पहले की बात है लेकिन मुख्य मंत्री जी आपने कोई कार्रवाई नहीं की। आप गलत लोगों को संरक्षण क्यों दे रहे हैं ? मुख्य मंत्री महोदय, उनकी छुटटी कर दो। बहुत अच्छे-अच्छे लोग आपके बीच में बैठे हैं। उनके अन्दर काम करने की क्षमता है। आज तक शायद किसी मंत्री के द्वारा इतना गलत काम करने के तथ्य आपके सामने नहीं आए होंगे। यह तो चम्बा जिला की बात है लेकिन शिमला में क्या हुआ ? उसके बारे में मंत्री जी जवाब दे रहे हैं कि निजी भूमि में पेड़ काट सकते हैं। अखबारों में इनका यह बयान लगा है। शिमला जिला में कैसे कटान हो गया। एक प्राईवेट फर्म पर हमारे ऊपर तो आप लोग बहुत आरोप लगाते

थे कि हिमाचल ऑन सेल, हिमाचल ऑन सेल, लेकिन आज क्या हो रहा है ? इन्होंने आज हिमाचल का सारे का सारा फोरैस्ट ही ऑन सेल कर दिया है। सेक्शन-118 में उसको तबदील करने की प्रक्रिया शुरू कर दी। सारे कानून की धज्जियां उड़ा दी। वहां पर क्या हो रहा है? पी.सी.सी.एफ. वहां पर बैठते हैं, सरकार वहां पर बैठती है। 477 पेड़ एक दिन में थोड़े ही कटे होंगें। कहते हैं कि आजकल नए-नए औजार बने हैं कि एक घण्टे में 477 पेड़ काटकर सफाई कर दी परन्तु फिर भी वहां पर कोई कुछ नहीं बोला। मंत्री महोदय हंस रहे हैं, इनको कोई असर ही नहीं है। प्रदेश की सम्पदा का कितना नुकसान हो रहा है ? फिर ये बाद में कहेंगे कि पड़ गया स्यापा, इनकी आदत ही ऐसी है लेकिन मुख्य मंत्री महोदय मेरा आपसे निवेदन है, मैं दो साल की बात नहीं कर रहा हूं, प्रदेश सरकार को बने हुए दो साल होने को आए हैं लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि आप पिछले एक साल की जांच करवाएं कि एक साल के अंदर पूरे प्रदेश में जितनी भी अवैध कटान की घटनाएं हुई है, चम्बा में ही नहीं हुई है , बैजनाथ में भी ऐसी ही घटना घटी ,वहां पर भी सफेदे के पेड़ काट दिए गए, मौके पर जांच हुई, इसमें कोई शक नहीं है। यह केस एस.डी.एम. साहब के पास आ गया। जो वहां वन विभाग के अधिकारी और कर्मचारी हैं उन्होंने उसकी पैनल्टी 89,500 रुपये लगा दी।

श्रीमती अ0व0 द्वारा जारी--

5.12.2014/1230/ag-av/1

श्री रविन्द्र सिंह : क्रमागत

उन्होंने उसकी पैनल्टी 89,500/- लगा दी। बाद में केस एस.डी.एम. के पास चला गया और उस पर प्रैशर डाला गया तथा वह जुर्माना राशि 500 - 700 रुपये कर दिया गया। सारा सामान मौके पर पकड़ा गया, केस वहां पर है तथा सारी-की-सारी फाइल वहां पर बनी हुई है। वन विभाग ने वहां पर 89,500/- रुपये जुर्माना लगाया मगर बाद में उनको 500 रुपये जुर्माना लगाकर छोड़ दिया। इस महकमें में एक नई कारस्तानी चल पड़ी है। पेड़ों को सुखाने के लिए कोई एसिड यूज़ कर रहे हैं ताकि सूखी हुई लकड़ी की ढूलान भी सस्ती पड़े। इस तरह से दो दर्जन पेड़ सूखा दिए। आए दिन कोई-न-कोई घटना घट रही है।

(उपाध्यक्ष पदासीन हुए।)

मंत्री महोदय, आपको तो अपने-आप कहना चाहिए कि मैं पद छोड़ रहा हूं ताकि निष्पक्ष जांच में तथ्य सामने आए। इस तरह से एक नया तरीका चल पड़ा है।

कोई एसिड यूज़ करके पेड़ को सूखा दिया जाता है। उस लकड़ी को भी आम आदमी को जिस को हम देना चाहते हैं उसको वह लाभ नहीं मिल रहा है बल्कि वह लकड़ी बड़े-बड़े सरमायेदारों को बेची जा रही है। इसके अतिरिक्त कैट प्लान के पैसे का विशेषकर चम्बा जिला में दुरुपयोग हो रहा है। कैट प्लान के अंतर्गत वहां पर जो खर्चा होना चाहिए था नहीं हो रहा है। वहां पर जो पेमैंट करनी होती है उसके लिए बाउचर के ऊपर किसी जंग बहादुर, संग बहादुर के साईन करवाए जा रहे हैं। ९-९ हजार रुपये के बाउचर बनाये जा रहे हैं क्योंकि अगर ९ हजार रुपये से ऊपर के बाउचर बनायेंगे तो उसकी पेमैंट बाइचैक होगी। चैक जायेगा तो वह पैसा वापिस नहीं करेगा। आप पिछले दो साल का रिकॉर्ड मंगवाकर देखें आपको पता चलेगा कि किसी को भी ९हजार रुपये से ऊपर बाई चैक पेमैंट नहीं की है। मैं आपके सामने ये तथ्य ला रहा हूं। सारा पैसा ९हजार रुपये के बाउचर बनाकर दे दिया गया। पता नहीं वह पैसा किस को गया, किस को नहीं गया। वहां काम हुआ या नहीं हुआ , कुछ पता नहीं। वहां चट्टानों के ऊपर सेपलिंग शो कर दी है मगर वहां कोई काम नहीं हो रहा

5.12.2014/1230/ag-av/2

है। चम्बा में इस तरह का दहशत का माहौल बना हुआ है। वहां एक बुजुर्ग व्यक्ति मिला और वह कह रहा था कि बेटा मेरी आयु तो हो गई है इसलिए मैं सारी बात बता रहा हूं बाकी तो सारे लोग तथ्य बताने से डरते हैं। उस व्यक्ति की वर्डिंग यह थी। वहां रास्ते चलने के लिए बहुत मुश्किल है। जब हम जा रहे थे तो मेरे साथ दूसरे लोग भी थे। उस जंगल में जाने के लिए रास्ते में 20 नाले पड़ते हैं। वहां सभी बीस-के-बीस नालों पर तरंगड़ी (पैदल चलने के लिए एक छोटा पुल)बनी हुई थीं। मगर इन सारे जंगल काटुओं ने वहां पर सारी-की-सारी लकड़ी तहस-नहस कर दी। वहां से आम लोगों का चलना मुश्किल हो गया। आम आदमी जो अपने घरों को जाते थे वहां से उनका चलना भी बंद हो गया। हम भी वहां से गुजरे। आप सारे तथ्य सी.डी. में देखेंगे तो पायेंगे कि जो 1016 पेड़ों की मार्किंग की है वे पेड़ नहीं कटे हैं बल्कि नाले के ईर्द-गिर्द कट गए , जहां से ढुलाई भी आसानी से हो सके। मुख्य मंत्री महोदय, मेरा आपसे निवेदन रहेगा कि इसकी जांच केवलमात्र विजिलैंस न करे बल्कि इसको सी.बी.आई. को दिया जाये। विशेषकर चम्बा जिला और तारा देवी (शिमला) में हुए अवैध कटान की जांच सी.बी.आई. से करवाई जाए। यह छोटा माफिया नहीं है

बल्कि बहुत बड़ा माफिया है। मुख्य मंत्री महोदय, यहां पर माफिया बहुत ज्यादा हो गये हैं। यहां पर शराब माफिया बहुत बढ़ गये हैं। इसके अतिरिक्त खनन माफिया हैं।

मुख्य मंत्री : आपकी सरकार के कार्यकाल में बैम्बलोई में जो पेड़ कटे हैं।

श्री रविन्द्र सिंह : वे तो सारे तथ्य जांच में आप के सामने आ गये हैं।

श्री बी.जे.द्वारा जारी

05.12.2014/1235/NEGI/AG/1

श्री रविन्द्र सिंह .. जारी...

मेरा मुख्य मंत्री महोदय आपसे निवेदन है। हमारा तो यह कर्तव्य बनता है कि हम सारे तथ्य सरकार के सामने ले करके आएं। हमने यह तथ्य आपके सामने लाने की कोशिश की है । मण्डी के जंगलों में भी भारी कटान हुआ है , वहां पर भी वनों की कटान में कोई कमी नही है । बजाय छोटे कर्मचारियों को तंग करने के आप इसकी जिम्मेवारी वन विभाग में जो भारी भरकम अधिकारी हैं उनको सौंपे । बेचारे जो चौकीदार हैं, उनका क्या कसूर है? जो वहां बड़े अधिकारी बैठे हुए हैं वे जंगलों में जाने के लिए आना-कानी करते हैं। वे पैदल कभी जंगल में गए ही नहीं और उनको मालूम ही नहीं है कि किस जंगल में कितने पेड़ हैं? सिर्फ वे अपने चौकीदारों से ही जानकारी लेते हैं कि वहां पेड़ कितने हैं? आप उनकी जिम्मेवारी फिक्स करें ताकि उनके ऊपर कार्रवाई की जा सके । उनके ऊपर कार्रवाई तब तक नहीं होगी जब तक आप डी.एफ.ओ. के स्थान पर ए.सी.एफ. लगाएंगे और अपने चहेते अधिकारियों को वहां पर लगाएंगे। क्योंकि उनके ऊपर कार्रवाई कौन करेगा ? फिर तो छोटे कर्मचारी ही रगड़े जाएंगे। तो मेरा मुख्य मंत्री महोदय आपसे निवेदन यह है कि हमने कोशिश की है कि आपके सामने यह तथ्य लाने की कि प्रदेश में एक बहुत बड़ा वन माफिया उग्र रूप धारण करता जा रहा है और अब उससे बचने का समय आ गया है । इसके साथ ही मेरा मुख्य मंत्री महोदय से निवेदन रहेगा कि चाहे वह कितना ही नज़दीकी किसी के क्यों न हो , जब आप इसपर कार्रवाई करेंगे तो आप इस चीज़ को न देखते हुए कि यह इसका नजदीकी है, उसका नजदीकी है, किसी को संरक्षण न देते हुए उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करें ताकि सत्य प्रदेश की जनता के सामने आ जाए। एक तथ्य और सामने आया है, आजकल जंगल कटान के जो नए ठेकेदार बनें हैं। मुख्य मंत्री महोदय ने कल स्टेटमैन्ट दी है कि हम देहरा और जसवां-परागपुर में नए नेता पैदा करेंगे। हम दोनों छोटा भाई और बड़ा भाई देहरा और जसवां-परागपुर में लोगों की सेवा करने के लिए बैठे हैं और

वहां पर जो मर्ज़ी आ जाए ,हम सभी का स्वागत करेंगे। लेकिन 6 महीने के अन्तराल में जसवां-परागपुर में वन कटान ठेकेदार 2-2, 3-3 टिप्परों के मालिक बन गए हैं।

05.12.2014/1235/NEGI/AG/2

वहां पर हर जगह जंगल कटान हो रहा है । वहां पर आजकल बांस का कटान शुरू हुआ है । हालांकि बांस कटान के लिए पहले परमिट लेने की जरूरत होती नही होती थी लेकिन मुझे लगता है कि शायद आजकल बांस के कटान के लिए परमिट देना शुरू कर दी है। हमारी सरकार ने बिना परमिशन बांस कटान शुरू कर दिया था लेकिन अब परमिशन की जरूरत है। वहां पर यह पता नहीं है कि बांस का एरिया कितना बड़ा है ? वहां पर मार्किंग छोटे कर्मचारी लगाते हैं। कभी कम निकल रहे हैं और कभी ज्यादा निकल रहे हैं। वहां पर जो किसान है क्योंकि बांस उनकी रोज़ी-रोटी का साधन है और उनको लाभ मिलना चाहिए ताकि उनका भी नुकसान न हो। लेकिन जांच करने वाली बात यह है कि जो छोटे-छोटे ठेकेदार पैदा हुए हैं ,वे कैसे 6 महीने में टिप्परों के मालिक बन रहे हैं? यह सारी जांच करने की आवश्यकता है । अध्यक्ष महोदय, नियम-130 के अन्तर्गत बहुत गम्भीर विषय मैं यहां माननीय सदन के सामने ले करके आया हूं और मेरा मुख्य मंत्री महोदय से विशेषकर अनुरोध है कि यह सी.डी. और पैन-ड्राईव दोनों है, इसको इस माननीय सदन में दिखाया जाए । इसको मीडिया भी देखे कि वहां पर कितना अवैध कटान हुआ है। मंत्री महोदय के इलाके में तो वैसे पेड़ों का संरक्षण होना चाहिए । लेकिन इस कटान को देख करके लगता है कि वहां पर भारी अवैध कटान हुआ है। ऐसे ही अन्य क्षेत्र में भी अवैध कटान हो रहा है। मेरा आपसे आग्रह रहेगा कि यह जो सी.डी. और पैन-ड्राईव है इसको सारे पब्लिक को भी दिखाया जाए, इसको सारे माननीय सदस्य, सारा मंत्री-मण्डल देखें और प्रैस के लोग भी देखें ताकि सत्य प्रदेश की जनता के सामने आए कि एक साल में यहां पर कितना भयंकर रूप धारण वन माफिया कर गया है । अंत में, जहां मैं इसकी सी.बी.आई. जांच की मांग करता हूं वहां पर मेरा आपसे निवेदन रहेगा कि माननीय वन मंत्री महोदय से तुरन्त त्याग-पत्र लें। अगर वह त्याग-पत्र नहीं देते है तो इनको मंत्री-मण्डल से बर्खास्त किया जाए और किसी युवा को मौका दिया जाए ताकि अच्छा काम प्रदेश में वन-विभाग के अन्तर्गत हो। इन्हीं शब्दों के साथ , अध्यक्ष महोदय, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री एस.एल.एस. द्वारा जारी..

05.12.2014/1240/SLS-JT-1

उपाध्यक्ष : अभी अपनी चर्चा के दौरान माननीय सदस्य श्री रविन्द्र सिंह जी ने श्रीमती आशा कुमारी माननीय सदस्य का नाम लिया है। श्रीमती आशा कुमारी जी भी इसमें अपना स्पष्टीकरण देना चाहती हैं।

श्रीमती आशा कुमारी : उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे चर्चा में भाग लेने का मौका दिया, आपका धन्यवाद।

उपाध्यक्ष महोदय, निश्चित तौर पर माननीय सदस्य ने जो विषय उठाया है , यह जिस ढंग से इन्होंने पेश किया, यह चिंता का विषय नज़र आता है। इन्होंने एक बात कही जिससे पूरा सदन और पूरा प्रदेश सहमती रखता है कि 1983 में तत्कालीन प्रधान मंत्री श्रीमती इंदिरा गान्धी जी ने ,जो कुल्लू मनाली का एक जंगल कटा था , जिसका नाम गुलाबा जंगल था ,उसकी हालत देखने के बाद वर्ष 1980 में Forest Act 1980 देश में लागू किया। हिमाचल प्रदेश में भी उस वक्त कुछ इस तरह की घटनाएं घटी और पेड़ों के अवैध कटान का मसला ज़ोरों से उठा। उस समय के कुछ विधायक भी इस सदन में हैं। ठाकुर गुलाब सिंह जी हैं, महेश्वर सिंह जी हैं और सुजान सिंह पठानिया जी हैं। चौपाल उस मामले में काफी चर्चित रहा। माननीय वीरभद्र सिंह जी उस वक्त केंद्र में उद्योग मंत्री थे। इनको श्रीमती इंदिरा गान्धी जी ने हिमाचल प्रदेश भेजा और ये यहां पर मुख्य मंत्री बनें। कई और कदमों के साथ, हरे पेड़ों के कटान पर, he was the first Chief Minister in the country जिन्होंने बैन लगाया। हिमाचल प्रदेश में सेव की फसल होती है और उस समय सेव के लिए लकड़ी की पेटियां बनती थीं। हजारों-हजार क्यूबिक मीटर लकड़ी उसके लिए लगती थी। इन्होंने उसमें भी रैवोल्यूशन लाया और लकड़ी की पेटियां बैन करके गत्ते के डिब्बे इंट्रोड्यूस किए गए। हमें याद है कि उस वक्त लोग कहते थे कि यह गत्ते के डिब्बे हैं जो गल जाएंगे ; ये कामयाब नहीं होंगे। मगर समय के साथ बढ़िया टैक्नोलोजी भी आती गई और आज वह गत्ते की पेटियां कामयाब ही नहीं हुईं बल्कि उनमें देश-विदेश में हिमाचल का सेव जाता है। इस बात से सदन, हिमाचल प्रदेश और राष्ट्र भी सहमत है कि अवैध पेड़ों के कटान के खिलाफ ही नहीं बल्कि वीरभद्र सिंह जी तो वैध पेड़ों के कटान के भी खिलाफ रहे हैं। जो कटान परमीशन से होता है, ये उसके भी खिलाफ हैं। रवि जी, जैसे आपने कहा कि माननीय मुख्य मंत्री महोदय का संरक्षण ,चाहे प्रत्यक्ष तौर पर या अप्रत्यक्ष तौर पर है ,यह बात कतई

मान्य नहीं है। यह हो सकता है, जैसे आपने कुछ चीजों का ज़िक्र किया ; आजकल मीडिया भी

05.12.2014/1240/SLS-JT-2

रिजनल मीडिया हो गया है। जो बातें मीडिया में उठती हैं वह प्रदेश हैडक्वार्टर्ज़ तक नहीं पहुंचती हैं। आपने मेरा बयान पढ़ा, यह बिल्कुल ठीक है। मैंने यह बयान दिया है। मैं माननीय मुख्य मंत्री महोदय से मिली थी। मैं इनकी आभारी हूं कि इन्होंने उसी वक्त आदेश दिए। यह जो जंवाल का जंगल है, यह भी निजी जंगल है। यह राजा चम्बा का जंगल है। उसमें मेरे जेठ, मेरे देवर, मैं स्वयं और मेरी बेटी शामिल है। यह हम-सब का जंगल है। यह ठीक है कि वहां पर लगभग सौ पेड़ निजी भूमि से अवैध रूप से काटे गए। मैंने मुख्य मंत्री महोदय से आग्रह किया और इन्होंने आदेश दिए। वीरभद्र सिंह जी ने आदेश दिए और पुलिस ने तथा वन विभाग ने भी कुछ कार्रवाई की। मगर, मुख्य मंत्री महोदय, यह बात भी ठीक है कि यह प्रवृत्ति बढ़नी नहीं चाहिए। आप तक लोग कितनी बार पहुंच पाएंगे?

जारी ..गर्ग जी

05/12/2014/1245/RG/JT/1

श्रीमती आशा कुमारी------क्रमागत

मगर मुख्य मंत्री महोदय यह बात भी ठीक है कि यह प्रवृत्ति बढ़नी नहीं चाहिए। आप तक लोग कितनी बार पहुंच पाते हैं ? मैं तो विधायक हूं, आपकी रिश्तेदार भी हूं, आपके पास आसानी से पहुंच जाती हूं, लेकिन वे, जिन लोगों का ये ज़िक्र कर रहे हैं, यह जो सीकरीधार में हुआ या जो बकान के जंगल में हुआ, इलवी का जो जंगल है या और जंगल हैं जिनका आपने जिक्र नहीं किया। आपके (विपक्ष की ओर इशारा करते हुए) विधायक जी बैठे हैं ,सीकरीधार का जंगल हंसराज जी के चुनाव क्षेत्र में पड़ता है। मुख्य मंत्री महोदय ,यह चिन्ता का विषय है चाहे बिलासपुर हो, कांगड़ा हो, चाहे शिमला या चम्बा हो ,कहीं भी इस अवैध कटान की मानसिकता बढ़नी नहीं चाहिए। जो जंगल में तस्कर थे ,आपके होते हुए, वे आपके नाम से भी कांपते थे ,अब भी ऐसा ही होगा क्योंकि आपमें यह क्षमता है और क्षमता ही नहीं, you have the determination to see, but this is put into place. मुख्य मंत्री महोदय, आपने जैसा जिक्र किया ,मैं भी जिक्र करूंगी ,ऐसा नहीं है कि पेड़ों का कटान सिर्फ अभी हुआ। बैमलोई वाला मामला आपके सामने है ,दि पैवेलियन वाला मामला भी आपके

सामने है, लेकिन प्रश्न यह है कि क्या दो गलत चीजें एक सही चीज बनाती हैं, यदि आपने (विपक्ष की ओर इशारा करते हुए) गलत किया, तो हमें गलत करने की कोई जरूरत नहीं है, हमें आपकी प्रवृत्ति को अपनाने की जरूरत नहीं है, हमें अपनी प्रवृत्ति आपको सीखाने की जरूरत है। We are committed कि कोई भी अवैध कटान नहीं होना चाहिए। मुख्य मंत्री जी ,विशेषकर चम्बा में जो हो रहा है ,मुझे इस बात का अफसोस है कि मैंने कंज़रवेटर, फॉरेस्ट को पूछा कि हजारों पेड़ कट गए, आपने क्या किया? वे कहते हैं कि हमने 88लाख रुपये का डैमेज़ बिल रेज़ कर दिया। इसका क्या मतलब है कि कोई भी पेड़ काटे और उसके बाद डैमेज़ बिल रेज़ कर दो, तो क्या सरकार या विभाग का दायित्व खत्म हो जाता है? फिर तो legalize, I totally agree with them ,फिर तो आप वापस लीगलाइज़ ही कर दीजिए , अगर ऐसा ही करना है। पेड़ नहीं कटने चाहिए ,जंगल नहीं कटने चाहिए और माननीय मुख्य मंत्री महोदय जी, सबसे दुःख की बात यह है कि चम्बा में जो पेड़ कटे, जिनका ये जिक्र कर रहे हैं। मैंने भी देखा ,मैं भी चम्बा जिले से संबंध रखती हूं ,जिस जंगल का ये जिक्र कर रहे हैं। ड्राइ ट्रीज़ तो कटे ही कटे ,लेकिन ग्रीन ट्रीज भी कटे ,ए क्लास के देवदार के ग्रीन ट्रीज कटे और यदि जंगल में एक पेड़ गिराना हो, तो unless कि यदि इलैक्ट्रिक सॉ लगे हुए हों ,तो भी पूरा दिन लग जाता है। यह आप

05/12/2014/1245/RG/JT/2

भी जानते हैं ,आपके भी बहुत जंगल हैं। ए क्लास का एक पेड़ गिराने के लिए by traditional convention methods से कम -से कम एक दिन पूरा लग जाता है। क्योंकि उसका साइज़ इतना ज्यादा होता है। लेकिन दुर्भाग्यवश आजकल इलैक्ट्रिक सॉ यूज हो रहा है। ठेकेदार के नाम से टैण्डर होता है और यह सच्चाई है कि ठेकेदार इस तरह की टैण्डैंसी रख रहे हैं कि यदि मार्किंग 1016 पेड़ की हुई ,तो दो-अढ़ाई हजार पेड़ काट दिए। मुझे मालूम नहीं कितना था, लेकिन चम्बा जिले में पेड़ कट रहे हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक मुख्य मंत्री महोदय का सवाल है, मैं फिर से कह रही हूं कि मैंने यह बयान इसलिए दिया था और मैंने मुख्य मंत्री जी से यह भी आग्रह किया था कि जहां इस तरह के जंगह हैं ,जहां से लकड़ी की तस्करी होने की आशंका रहती है वहां Forest Check Post along with the Police barrier जरूर लगाए जाएं। यह जो झुंवार का जंगल हैं यह चम्बा शहर से कोई 10 किलोमीटर

ऊपर है। यदि शॉर्टकट लें, तो अढ़ाई किलोमीटर है। तो it is so easy कि वहां से नीचे लकड़ी ले आते हैं। इसी तरह से यह सीकरीधार और बकानी का जंगल है जिसका एरिया तीन-चार हजार स्क्वेर किलोमीटर है , it is not easy कि वह पूरा जंगल कवर कर सके। स्टाफ की कमी है , गार्ड्ज नहीं है, एक चीज आपने कही जोकि तथ्यों से परे है। आपने कहा कि चम्बा में डी.एफ.ओ. नहीं है ,मैं कहना चाहूंगी कि चम्बा में डी.एफ.ओ. है और वह आई.एफ.एस. है। He is a competent young man. लेकिन मेरा आपसे यह निवेदन रहेगा कि पहले जो बहुत सारे फॉरेस्ट के डिवीजन्ज थे। उसमें डी.एफ.ओ. काडर पोस्ट थी-----------जारी

एम.एस. जारी

5/12/2014/1250/ms/ag/1

श्रीमती आशा कुमारी जारी--------

बहुत सारे जो आपके फॉरेस्ट्स के डिवीजन्ज थे, उनमें डी0एफ0ओज0 काडर पोस्ट थी। काडर पोस्ट्स के लोग ही उसमें लगते थे। अब एसीएफ रैंक के प्रमोटीज , अच्छे-अच्छे आपके डिवीजन्ज में लगे हुए हैं जोकि मैंनेजमैंट नहीं कर पाते हैं and your better IFS Officers are sitting in the offices. They are trained for the purpose. उनको भेजिए। I am sure we will have some control. Local officers जिनका अपना पॉलिटिकल कलाउट है, उनको कम-से-कम चम्बा जैसे जिले में मत लगाइए, जहां पर जंगल हैं ,जहां पर टैंडेंसी है to be subverted to local and political pressure. मुख्य मंत्री महोदय , मेरा आपसे निवेदन है कि आपका जिस चीज के लिए न केवल हिमाचल में और हिन्दुस्तान में बल्कि विश्व में नाम है as a person who believes in green, आपने ग्रीन एरियाज बनाए। आपने शिमला में ग्रीन एरियाज बनाए। आपने पेड़ के कटान पर रोक लगाई। इन सारी चीजों के लिए आप जाने जाते हैं। जिस कड़ाई के लिए आप जाने जाते हैं, उसका आप और सख्ती से पालन करेंगे, ऐसी मैं आपसे उम्मीद रखती हूं। धन्यवाद।

5/12/2014/1250/ms/ag/2

उपाध्यक्षः अब चर्चा में श्री महेश्वर सिंह जी भाग लेंगे।

श्री महेश्वर सिंहः उपाध्यक्ष जी, आज इस सदन में एक अत्यन्त गम्भीर मसले पर इस सदन के माननीय सदस्य श्री रविन्द्र सिंह जी ने नियम 130 के अन्तर्गत चर्चा उठाई है, मैं इसमें भाग लेने के लिए खड़ा हुआ हूं।

मेरे से पूर्व अभी माननीय सदस्या श्रीमती आशा कुमारी जी कुछ बातें बता रही थी, मैं इनकी बातों का समर्थन करता हूं कि मुख्य मंत्री जी का जब इस प्रदेश में मुख्य मंत्री के रूप में आगमन हुआ था, उससे पूर्व चाहे इन्होंने गुलाबा की बात कही जो कुल्लू जिला में पड़ता है, चाहे चौपाल की बात कही,

मुख्य मंत्रीः यह एक लॉगिंग स्कीम शुरू हुई थी। इस स्कीम में बड़े-बड़े ठेलों के लॉग बनाते थे। हिमाचल बनने के बाद गुलाबा फॉरैस्टश नहीं कटा है बल्कि पंजाब के समय में under a plan लॉगिंग स्कीम पर आकर सारा -का-सारा गुलाबा फॉरैस्ट खत्म हुआ। उसके बाद पार्टिशन हुई। जब मैं मुख्य मंत्री बना तो श्रीमती इंदिरा गांधी जी कई बार यहां आई। वह हमेशा जब भी मैं दिल्ली जाता था तो पूछतीं थीं कि गुलाबा फारैस्ट के नये दरख्त कितने बड़े हुए हैं। आप जानते हैं कि ऊंची जगह पर दरख्तों को बड़ा होने में समय लगता है। लेकिन आज वह इलाका कुछ हरा-भरा लग रहा है।
श्री महेश्वर सिंहः आशा जी ने झुंवार की बात कही। इनके स्वर्गीय पति मेरे मित्र थे। मैं उन दिनों वहां गया हूं। मैंने देखा है कि वह किस प्रकार का जंगल था। उसमें बर्तनदारी केवल राज परिवार की थी। हैरानी की बात है कि आज वहां जिस प्रकार से पेड़ कट गए ,सुनकर मन को बड़ा गहरा धक्का लगा है। आखिर कौन इन सारे कटानों के पीछे हैं ? बिना संरक्षण के इस प्रकार के कटान नहीं हो सकते। इन्होंने इलेक्ट्रिक सॉ की बात कही लेकिन वहां इलैक्ट्रिक सॉ नहीं जा सकता क्योंकि वहां

5/12/2014/1250/ms/ag/3

बिजली नहीं है। वहां डीजल से इलेक्ट्रिक सॉ चलता है और डीजल की केनों को लेकर इस प्रकार के वन माफिया इन जंगलों की सफाई करते हैं। अध्यक्ष महोदय, तारादेवी के ऊपर का वन जोकि निजी सम्पत्ति थी और आज भी है ,बारे मामला यहां उठाया गया है। संभवतया इसके मालिक बूटा सिंह जी थे जोकि एक सरदार थे। यह महिला उनकी पत्नी है और आज वह परमिन्द्र कौर उस जमीन की मालिक है। उन्होंने यह सारे -का-सारा क्षेत्र एक बिल्डर को बेच दिया है। जिस कम्पनी के डायरेक्टर अगर मैं गलती नहीं कर रहा हूं नागपाल जी हैं। इसका जो एग्रीमैंट बना,

जारी श्री जे0के0 द्वारा----------

5.12.2014/1255/जेके/एजी/1

श्री महेश्वर सिंहः----------**जारी**--------

उस कम्पनी के निदेशक अगर मैं गलती नहीं कर रहा हूं श्री नागपाल जी हैं। इसका जो एग्रीमैंट बना। वह एग्रीमैंट प्रेसटाईन होटल रिर्जाट कम्पनी है, जिसके ये डायरेक्टर हैं। यह इन्होंने 12.9.2014 को बनाया। एग्रीमैंट में यह शर्त रख दी कि इसमें जो वन मैन की शर्त है उसके अन्तर्गत अनुमति लेने का काम श्री नागपाल जी का है। इसके लिए अवधि भी रख दी गई है कि 21 मई, 2015 तक इसकी रजिस्ट्री होगी और 28 फरवरी, 2016 तक अनुमति सरकार से ले लेंगे। यह बात इसमें लिखी गई है। जो मुझे मालूम है कि एग्रीमैंट में यह शब्द है। मंत्री जी कह रहे हैं कि कोई अनुमति नहीं ली तो यह सत्यता होगी कि कोई अनुमति नहीं ली होगी। 20 नवम्बर, 2014 को जब यह बात ट्रिब्यून में छपी थी तब यह बात प्रकाश में आई थी और उसके बाद जो केयर टेकर है उसके बारे में बताया गया है कि वह 12.11.2014को दो आदमियों को लेकर उसने डीमार्केशन करवाई और आज भी वहां पर बुर्रजियां खड़ी हैं। उसका कहना यह है कि वहां पर पटवारी गए थे लेकिन उस दिन वहां पर कोई पटवारी नहीं गया था । लेकिन इस बात पर विश्वास करना कठिन है, क्योंकि 14 तारीख को वन विभाग ने पहली रिपोर्ट थाने में दर्ज़ की थी जिसका यह अर्थ हुआ कि रातों-रात सारे का सारा जंगल कट गया। यह सम्भव नहीं है। इन गलियों में कौन ऐसा भीम पैदा हो गया जिसने रातों-रात पेड़ों की सफाई कर दी। इस पर विश्वास नहीं किया जा सकता है। अगर आप उस जगह को विधान सभा से देखें तो सामने तारादेवी के पास ऐसा नज़र आता है कि कोई हेलीपैड बन गया है। क्या एक रात में यह सम्भव है ? इसका मतलब यह होता है कि कहीं न कहीं इन लोगों को संरक्षण प्राप्त था। यह काम चलता रहा और सारे का सारा जंगल साफ हो गया। इस बात की पुष्टि के लिए दो दिन पहले पटवारी गए थे। इस बात को एस.पी. महोदय ने भी माना है और जिलाधीश महोदय ने भी छानबीन की और उसमें भी इस बात का उल्लेख है। वहां पर 470 पेड़ काटे हुए बताए गए हैं। इसमें चील ,कैल और देवदार आदि के पेड़ हैं। प्रश्न यह उत्पन्न होता है कि चाहे जमीन निजी है ,सरकारी है उसमें इतने ज्यादा पेड़ काटने का लाईसैंस उनके पास नहीं है। केवल जीमीदारों

5.12.2014/1255/जेके/एजी/2

के लिए 3 पेड़ यदि उसकी जमीन में है उसकी परमिशन दी जाती है। लेकिन वहां पर तो लगभग 470 पेड़ देवदार और चीड़ मिला कर काट दिए गए। लेकिन ऐसा अंधाधुंध कटान हो गया और फिर उनको वहां से उठाया गया और कैसे उठाया गया और जगह-जगह उनको पहुंचाया गया ? इस तरह का काम उस गांव का कोई व्यक्ति नहीं कर सकता है। इसलिए इसमें सरंक्षण देने की बात आती है और इसकी पूरी छानबीन होनी चाहिए। यदि 14 तारीख को पुलिस विभाग को यह रिपोर्ट मिल गई थी तो फिर उसमें एफ.आई. आर. 6 दिन बाद लिखी गई इसकी भी छानबीन होनी चाहिए। आखिर पुलिस क्यों इतने दिन चुप्पी साधे बैठी रही। जब रिपोर्ट आई तब तुरन्त एफ.आई.आर. लॉज क्यों नहीं करवाई इस बात की भी छानबीन होनी चाहिए। अध्यक्ष महोदय, ऐसा लगता है कि वन विभाग का कोई न कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका सारी बात पर दबाव बना होता है ताकि कोई कार्रवाई न हो। यदि यह खबर न छपती या कुछ लोग स्टेटमैंट न देते तो यह मामला दब जाता। इस तरह का कोई यह पहला मामला नहीं है। मुख्य मंत्री जी ने हस्तक्षेप करते हुए कहा था कि बेम्लोई में क्या हुआ आखिर जो कम्पनी डी.एफ.एल बनी थी उसमें कौन-कौन पार्टनर थे?

श्री एस.एस.द्वारा जारी----------

1/5.12.2014300/SS-JT/1
श्री महेश्वर सिंह क्रमागतः

और एक नहीं उस वक्त भी 63 पेड़ काटे गए और शुद्ध रूप से देवदार के पेड़ काटे गए। कहने को एक रात है, पता नहीं कितनी रातों में कटे हैं क्योंकि एक रात में यह सम्भव नहीं होता। ---(व्यवधान)--- मैं बड़े पेड़ों की बात कर रहा हूं। जो देवदार के बड़े पेड़ हैं हैरानी की बात यह है कि जो लोग मर गए उनके अंगूठे लगाकर एप्लीकेशन तैयार की गई और उस एप्लीकेशन के आधार पर तत्कालीन डी0सी0 महोदय को दबाव डालकर अनुमति दी गई कि वहां से पैसा दो और उन सड़कों को पक्का करवाओ। वह किसने किया ? यह जानना चाहते हैं। आखिर यह सदन इस बात को भी जानना चाहता है कि कौन उसके पीछे थे। मुझे लगता है कि सम्भवतः उस वक्त जो सरकार में थे उनको जानकारी होगी और उनको वह स्पष्ट रूप से

यहां रखनी चाहिए थी क्योंकि जैसा आशा कुमारी जी ने कहा कि वन चाहे तब कटे हों या वन चाहे आज कट रहे हैं यह बंद होना चाहिए। अगर यह सिलसिला बंद नहीं हुआ तो यह सारा हिमाचल साफ हो जायेगा। अभी बात समाप्त नहीं हुई थी कि आपके जाखू में पेड़ कट गए , जिसको मान्यवर मुख्य मंत्री जी ने ग्रीन बैल्ट घोषित किया है।

उपाध्यक्षः महेश्वर सिंह जी, एक मिनट बैठ जाईये। लंच का समय हो गया है। अभी पांच सदस्य और बोलने वाले हैं और मंत्री जी ने भी जवाब देना है। अगर सदन की अनुमति हो तो कार्यवाही जारी रखी जाए या लंच के लिए सदन स्थगित किया जाए?

मुख्य मंत्रीः उपाध्यक्ष महोदय, मुझे किसी कार्य से धर्मशाला से बाहर जाना है और मैं चाहता हूं कि मैं इसके बारे में अपनी राय दूं जो हो रहा है। महेश्वर सिंह जी, पहले आप कहिए और फिर मैं अपनी बात बोलता हूं।

(अध्यक्ष महोदय पदासीन हुए।)

श्री महेश्वर सिंहः आखिर प्रश्न यह उठता है कि इस बात को कैसे रोका जाए और मुझे विश्वास है कि मुख्य मंत्री जी ने जो स्टेटमैंट दी है कि सारे मामले को गम्भीरता

1/5.12.2014300/SS-JT/2

से लिया जायेगा तो मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि दूध का दूध और पानी का पानी हो जायेगा। इसके साथ-साथ जो बैम्लोई में अभी घटित हुआ है और दोनों जगह संयोग की बात है कि विधान सभा के परिसर में खड़े हों इधर देखें तो बैम्लोई है और उधर देखें तो तारा भवगती है। यह सारा काम जो हुआ है इसमें ठीक तरीके से इंक्वायरी हो। अंत में एक बात कहना चाहूंगा। सुझाव देना चाहूंगा कि वन विभाग में अधिकारियों की कमी नहीं है। पूरा टोलैंड भरा हुआ है। जब अधिकारी के पास वन का काम नहीं है तो हैंडीक्राफ्ट में भी पहुंचेगा। क्या जरूरत है ? कोई जरूरत नहीं है। नीचे गार्डस हैं, वित्त विभाग जो आपके पास है एक निवेदन करके अपनी बात समाप्त करूंगा कि जब गार्डस, फॉरैस्टर जंगलों में नहीं होंगे, कर्मचारी नहीं होंगे यहां टॉलैंड में बैठकर अवैध कटान नहीं रूकेगा इसलिए अविलम्ब वित्त विभाग को निर्देश दें। पता नहीं क्या कारण है कि जब छोटी पोस्टें आती हैं तो वित्त विभाग भी ऑब्जैक्शन लगाता है, उन्हें भरने की परमिशन नहीं देता है। लेकिन जब

बड़ों की बात आती है तो परमिशन मिलती है। इस चीज़ को रोकना होगा। आपने मुझे बोलने के लिए अवसर दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

अध्यक्षः अब एक बज रहा है और दोपहर के भोजन का समय भी हो रहा है, मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से कहूंगा कि वे इसके बारे में कुछ कहें।

मुख्य मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने के लिए मौका दिया। जो मामला उठा है, वह गम्भीर है।

श्री रविन्द्र सिंहः ये आपके जवाब के बाद क्या बोलेंगे?

मुख्य मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, ये बहुत गम्भीर मामला है। जब भी किसी काल में या वर्तमान समय में जहां भी वृक्ष कटते हैं, वह न केवल एक कानूनी अपराध है बल्कि मानवता के खिलाफ एक कुठाराघात है।

जारी श्रीमती के0एस0

0/1305/5.12.2014केएस/जेटी/1

मुख्य मंत्री जारी----

कुठाराघात है और मेरा बहुत पहले से यही दृष्टिकोण रहा है। जब मैं हिमाचल में पहली बार मुख्य मंत्री बन कर आया, मेरी यहां आने की इच्छा नहीं थी, मैंने कोई लॉबिंग नहीं की, मैंने यह नहीं कहा कि मैं हिमाचल जाना चाहता हूं मगर उस वक्त हिमाचल में जो हालात पैदा हुए थे, उसका मुकाबला करने के लिए प्रधानमंत्री, श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने मेरे ऊपर यह जिम्मेदारी डाली और मैं हिमाचल में आया और उनका आदेश था कि जो यह एक कुल्हाड़ी की प्रथा प्रदेश में चल रही है, उसे समाप्त किया जाए। तब आरे नहीं होते थे, कुल्हाड़ी होती थी, आप जानते हैं कि उसमें हमें कामयाबी हासिल हुई थी और तब भी हमने कार्रवाई की और जो लोग उसमें संलिप्त थे उन्होंने जमकर मेरे ऊपर उलट वार किया, मुझे सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ा। वह तो अलग कहानी है लेकिन वृक्ष अगर वैध रूप में भी कटे तो भी मुझे बहुत दुख होता है और हमने इस बारे में सख्ती की जिसकी वजह से वनों की रक्षा हुई है। उसके बाद जितनी भी सैटेलाईट पिक्चर्ज़ आई हैं आप देखेंगें कि आज हिमाचल प्रदेश में ग्रीनरी बढ़ी है, घटी नहीं है।

अध्यक्ष महोदय, आज इस माननीय सदन में कुछ बातों का जिक्र हुआ, उनको हमने नोट कर लिया है। इसके बारे में गम्भीरता से विचार किया जाएगा। मगर ऐसा नहीं है कि इस पर अभी तक कोई ऐक्शन नहीं हुआ है। आप जानते हैं कि जहां तक तारादेवी में अवैध कटान का प्रश्न है भले ही वह प्राईवेट प्रॉपर्टी है लेकिन प्राईवेट

प्रॉपर्टी में भी आप कोई वृक्ष यहां तक की कोई झाड़ को भी बिना वन विभाग की अनुमति के नहीं काट सकते और शिमला में तो इतना सख्त कानून है कि अगर आपके अपने अहाते में भी वृक्ष है , उसकी एक टहनी भी अगर काटनी हो , उसको प्रून करना हो, उसके लिए भी पूर्व अनुमति प्राप्त करनी पड़ती है । कुछ लोग हैं जो पैसे की ताकत से या किसी घमण्ड से गलत काम करते हैं या क्रिमिनल मैंटालिटी के लोग हैं वे गलत काम करते हैं। तारादेवी में जो हादसा हुआ है उसके बारे में वहां का जो गार्ड है, डिप्टी रेंजर है , रेंजर और डी.एफ.ओ. हैं उन सबको सस्पैंड कर दिया

0/1305/5.12.2014केएस/जेटी/2

है। जिस रेवन्यू ऑफिसर ने, पटवारी ने उसकी डिमार्केशन की थी उसको भी सस्पैंड कर दिया है और उनके साथ सख्ती से कार्रवाई होगी। जिस व्यक्ति ने यह काम करवाया है आपको यह जानकर खुशी होगी कि उसके ऊपर भी अदालत में मुकदमा चला दिया है। He applied for bail which has been rejected by the court and he will be arrested in due course of time. किसी को भी नहीं बख्शा जाएगा।

अध्यक्ष महोदय, जहां तक मच्छी वाली कोठी के पास आग की घटना हुई है लगता है कि वहां पर स्पेस बढ़ाने के लिए छोटे-छोटे दरख्तों को काटा गया और उनको जलाने की कोशिश की गई । यहां तक कि जब वहां पर आग जलती हुई दिखी तो वहां पर फायर ब्रिगेड आग बुझाने के लिए गई । हमें मालूम है कि वह किसका कम्पाऊंड है। Action is being taken against them also.

श्रीमती अ0व0 द्वारा जारी---

5.12.2014/1310/JT-AV/1

मुख्य मंत्री ----जारी

जैसे मैंने पहले भी कहा कि जो तारादेवी और मच्छी वाली कोठी में हुआ मैं उसको जस्टिफाई नहीं कर रहा हूं। It is a heinous crime. मगर उससे बड़ा बैम्बलोई में हुआ जहां दर्जनों हरे-भरे पेड़ काटे गए। उसकी छानबीन हुई है। वह निजी भूमि है। वहां एक कम्पनी बनी और उस कम्पनी ने वे वृक्ष खरीदे। जब उस कम्पनी के बारे में जांच हुई तो पता चला कि उस कम्पनी के शेयर होल्डर कौन है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि वे शेयर होल्डर तरनतारन के हैं। वे अमृतसर के बताए गए। जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने बताया कि हमने तो शिमला देखा ही नहीं है इसलिए शेयर

होल्डर बनने का तो प्रश्न ही पैदा नहीं होता। वहां कुछ लोगो ने फर्जी कम्पनी बनाई और वह जमीन डी.एल.एफ. को बेच दी गई। वहां उस जमीन पर बिल्डिंग्ज बन गईं। सड़क बनाने के लिए वहां के तथाकथित लोगों की एक फर्जी दरख्वास्त दी गई जो कि आज जिन्दा भी नहीं हैं। जांच में पाया गया कि they do not even exist. If they existed, they were long back. फर्जी दरख्वास्त भेजी गई और फर्जी कम्पनी बनाई गई। उसकी छानबीन हो रही है। यह बहुत गलत बात है, चाहे कोई भी हो उसकी जांच होगी। चम्बा हमारा बहुत खूबसूरत जिला है। वहां कई तरह के वन्य प्राणी हैं। उनकी रक्षा होनी चाहिए। यहां कुछ दूसरे जंगलों का जिक्र भी हुआ, मैं रिकॉर्ड में भी देखुंगा। हाल में हुआ हो या कल हुआ हो या परसों हुआ हो ; उसकी निश्चित रूप से पूरी छानबीन की जायेगी। उसमें जो भी दोषी पाया जायेगा उसको सख्त-से-सख्त सजा दी जायेगी। मैं आपको यह आश्वासन दिलाना चाहता हूं। I am totally committed for the preservation of nature, for trees and for environment. इसीलिए आज हिमाचल प्रदेश के अंदर वन्य प्राणियों की संख्या बढ़ रही है। हालांकि लोगों का कहना है कि बहुत वन्य प्राणी हो गये हैं और इनसे हमारी खेती को नुकसान पहुंच रहा है। मगर मैं कहता हूं कि वन्य प्राणी भी इसी संसार के निवासी हैं। आप-हम लोगों के लिए तो पार्लियामैंट, विधान सभा और पंचायतें हैं मगर वन्य प्राणी के तो कोई नुमाईंदें नहीं हैं। इसलिए हमारा फर्ज है कि हम उनकी रक्षा करें। जहां उनको नुकसान होता है ,उसको रोके। उनकी जीवन रक्षा करना हमारा

5.12.2014/1310/JT-AV/2

फर्ज है। We are a developed species and they happen to be undeveloped species. इस भावना से हमें काम करना है। यहां पर जिस तरह से बातें हुईं तो इस प्रकार से दोषारोपण की बात नहीं होनी चाहिए। अगर कोई पुलिस कॉंस्टेबल गलती करता है या किसी भी महकमे के अंदर कोई ऑफिसर गलत करता है, कानून को तोड़ता है या कोई पुलिस वाला ही कानून तोड़ता है तो उसके लिए वह व्यक्ति जिम्मेवार ठहराया जा सकता है। उसके लिए सरकार जिम्मेवार नहीं ठहरायी जा सकती। सरकार को जैसे ही पता चलता है हम उसकी छानबीन करते हैं। मैं आपको बता दूं कि मेरी इनक्वायरी इतनी पारदर्शी होगी कि चाहे कोई भी होगा, अगर उसमें मेरा बेटा भी शामिल हो तो उसको भी नहीं बख्शा जायेगा। मैं आपको यह आश्वासन देना चाहता हूं। इसमें एक-दूसरे पर छींटाकशी करने की कोई बात नहीं है। But fact

is there that आज इकोनोमिक प्रैशर बहुत ज्यादा बढ़ गया है। आज हर नौजवान ठेकेदार बनना चाहता है। पैसे कमाना चाहता है। पैसा कमाने का आसान रास्ता अपनाना चाहता है। आज नौजवान ड्रग बेच रहा है, नारकोटिक्स बेच रहा है। 2- 4 वृक्ष काटकर के लकड़ी बेच रहा है। This is due to the new life style which has developed in our State along with the development. लोग इज़ी मनी चाहते हैं। वे चाहते हैं कि बिना मेहनत करके पैसे कमा लें वह चाहे कोई भी काम हो। लोगों के पास साधन हैं। अपने ट्रक रखे हुए हैं।---

श्री बी.जे.द्वारा जारी

/1315/05.12.2014नेगी/जे.टी./1

माननीय मुख्य मंत्री महोदय.. जारी..

अपनी electrical saws रखी हुई है जिससे वे दरख्त काट करके ले जाते हैं। इसको भी रोकना चाहिए। जहां ऑर्गेनाइज्डर तरीके से हो तो वह ऐसी चीज़ है which cannot be tolerated at all. इसलिए कृपा करके एक-दो अभी हाल ही में जो इंसिडैंट हुए हैं , चाहे वह तारादेवी में हुआ है और चाहे वह शिमला में मच्छी वाली कोठी के पास हुआ है , that should not be taken as a rule. It can be an exception. It is not a rule, and wherever such things happen I can assure you I will come down with a heavy hand, no matter who is concerned. I will not spare anybody. चाहे वह आफिसर हो , चाहे कोई और हो। जहां तक आपने कहा कि फोरेस्ट गार्डज़ की भर्ती की जाए। अभी हाल ही में कैबिनेट ने 250 पद गार्डज़ के मंजूर किए हैं। और भी कोई ऐसी बीट्स को मैनेज़ करने के लिए और पद स्वीकृत किए जाएंगे। परन्तु आवश्यक है कि वनों की रक्षा तब होगी जब हमारे गार्ड वनों में रहेंगे। पुराने ज़माने में गार्ड हट्स हर जगह जंगल के बीच में बने हैं । आज पुराने गार्ड हट्स बन्द हैं। कोई गार्ड उसमें रहता नही है । वे हट्स सड़ रहे हैं। गार्ड आज गांव में रहते हैं, आबादी के बीच में रहता है । कईयों से मैंने पूछा और उन्होंने कहा कि हमें भी खतरा महसूस होता है क्योंकि हमारे जो पुराने गार्ड हट्स हैं, वे बीच जंगल में है, आबादी से दूर है , और कोई आ करके हमें कत्ल कर दे, मार दे तो हमारे पास सुरक्षा का कोई इन्तज़ाम ही नहीं है । उन्होंने कहा कि हमें भी पिस्टल या राईफल दिया जाए जिससे हम अपनी जान की हिफाज़त कर सकें। They have got a sense in what they are saying. लेकिन दूसरी ओर लोग यह कहते हैं कि अगर आप अपने गार्डज़ को बन्दूकें देंगे तो गाड्र्स वहीं शिकार खेलेंगे

और उनसे जानवरों को खतरा ज्यादा होगा। तो इस तरह से एक डिबेट का सिलसिला चलता रहेगा। इसलिए आज फोरेस्ट गार्डज़ भी गार्ड हट्स को छोड़ कर गांव में रहना चाहते हैं। हमने जो लेडी फोरेस्ट गार्डज़ भर्ती की हैं उनको तो जंगलों में भेजना ही खतरनाक है। उनको जानवरों से भी खतरा है और टू लेग्ज़ जानवरों से भी खतरा है। इसलिए यह सारी समस्या हमारे सामने है । मगर मैं इतना कहना

/1315/05.12.2014नेगी/जे.टी./2

चाहूंगा कि please do not exaggerate, राई का पहाड़ मत बनाइये। We are committed to do it. अगर हम इसको नहीं रोक पाएंगे, इसको खत्म नहीं करेंगे तो इसको मैं अपना सबसे बड़ा फेल्योर समझुंगा। इसको इम्प्रूव किया जाएगा। And we are all committed to do it. I want your cooperation. Let us not politicize this issue. Crime is crime. We assure this has to be looked into and that too with a heavy hand. Thank you.

अध्यक्षः अब क्योंकि माननीय मुख्य मंत्री जी ने विस्तृत रूप से अपनी बात रखी है तो अब इसपर चर्चा जारी रखने का कोई औचित्य नहीं बनता है ।

श्री सुरेश भारद्वाज़ः हमने पहले कहा था कि माननीय मुख्य मंत्री जी के बोलने के बाद चर्चा का औचित्य नही बनता है लेकिन माननीय मुख्य मंत्री जी जाना चाहते थे । क्योंकि इस चर्चा का जवाब माननीय वन मंत्री देंगे इसलिए आप यह चर्चा जारी रखें और हम अपनी बात रखेंगे।

Chief Minister: I have already given reply on behalf of the Government.

Contd. by SLS___

05.12.2014/1320/ SLS-JT-1

श्री सुरेश भारद्वाज : जो मेरा नियम-67 के अंतर्गत प्रस्ताव है, वह अंडर कंसिड्रेशन है। (व्यवधान)

श्री रविन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्री महोदय चले गए जबकि मैंने स्पष्टीकरण लेना है।

अध्यक्ष : मंत्री जी माननीय मुख्य मंत्री जी के उत्तर के पश्चात क्या बोलेंगे ? (व्यवधान) माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो कहा है उसके पश्चात माननीय मंत्री जी

क्या कहेंगे? (व्यवधान) अगर आप चाहते हैं तो चर्चा जारी रखेंगे। (व्यवधान) मंत्री जी सदन में बैठे हुए हैं।

श्री सुरेश भारद्वाज : सर, अगर सदन में किसी भी विषय पर चर्चा ही नहीं करानी है तो कोई ऐसा तरीका बता दीजिए जिससे चर्चा की आवश्यकता ही न पड़े। (व्यवधान)

अध्यक्ष : यह किसी ने नहीं कहा कि चर्चा नहीं करानी है। (व्यवधान) मैं कहता हूं कि आप चर्चा करिए और बड़ी खुशी से करिए। (व्यवधान) यह चर्चा जारी रहेगी। (व्यवधान) जब चर्चा हो जाएगी उसके बाद आप स्पष्टीकरण मांगें।

अब इस सदन की बैठक दोपहर के भोजन के लिए 02.15 बजे अपराह्न तक स्थगित की जाती है। दोपहर के भोजन के बाद चर्चा पुनः शुरू होगी और उसके पश्चात मंत्री जी चर्चा का उत्तर देंगे।

(दोपहर के भोजन के पश्चात सदन की बैठक पुनः आरम्भ हुई।)

05/12/2014/1415/RG/JT/1

अध्यक्ष : मुझे लग रहा है कि शायद कोरम नहीं है। अभी तो कोरम ही नहीं है। अब नियम-130 के अन्तर्गत जो चर्चा पहले शुरू हुई थी ,उसको जारी रखते हुए मैं श्री सुरेश भारद्वाज जी को बोलने के लिए आमंत्रित करता हूं।

एम.एस. द्वारा श्री सुरेश भारद्वाज जी शुरू

5/12/2014/1420/ms/ag/1

श्री सुरेश भारद्वाजः अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद।

अध्यक्ष जी, मैं इस चर्चा में भाग लेने से पहले एक बात कहना चाहता हूं कि रूलिंग पार्टी की हालात को देखकर ऐसा लगता है कि वह सदन चलाना ही नहीं चाहती। सदन में इतने महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा हो और उनके मुख्य मंत्री चले जाएं तो सदन में कोई बैठेगा ही नहीं। कोरम पूरा करना इनकी जिम्मेदारी होती है। कोरम यह पूरा नहीं करते हैं और अध्यक्ष महोदय सदन में आ जाते हैं। इनके मंत्री और विधायक ट्रांसफर्ज करने के काम में लगे हुए हैं।

अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य श्री रविन्द्र सिंह जी ने नियम 130 के अन्तर्गत बहुत महत्वपूर्ण चर्चा इस सदन में लाई है। उसी विषय को ज्यादा एक्सपैंड करते हुए प्रातःकाल हमने नियम 67 के अन्तर्गत इस सदन की कार्यवाही स्थगित करके इस विषय पर चर्चा करने का आपको नोटिस दिया था और आपकी रूलिंग के मुताबिक अभी तक हमारा नोटिस अण्डर कन्सीड्रेशन है। उसको आपने मंत्री जी और बाकी विधायकों को भेजा है। फिर मुख्य मंत्री जी यहां स्टेटमैंट दे रहे थे। बाद में उन्होंने इंटरवीन करते हुए यहां पर अपनी बात कही है। मैंने प्रातःकाल भी कहा था कि हिमाचल प्रदेश में आज भू -माफिया और वन -माफिया का राज हो गया है। तारादेवी मंदिर के निकट 477 पेड़ कट गए। उस स्थान पर टालैंड में बैठे हुए वन विभाग के सबसे बड़े अधिकारी से लेकर निचले अधिकारी की सीधी नजर जाती है लेकिन वह कुछ नहीं करेंगे। एक बेचारी महिला फॉरैस्ट गार्ड और महिला रेंजर को सस्पैंड कर दिया गया। पूरी राजधानी से वह स्थान दिखाई देता है। जहां प्रिंसिपल कन्जरवेटर ऑफ फॉरैस्ट बैठते हैं, वहां से तारादेवी के लिए सीधी नजर जाती है, जहां पर 477 पेड़ कट गए और किसी को पता तक नहीं चला। जब पता चला तब उसके ऊपर खबर बनी। उसके बाद भी सात दिनों तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। उन सात दिनों में

5/12/2014/1420/ms/ag/2

क्यों कुछ नहीं हुआ? यह सबसे बड़ा मसला है जो मैंने अपने नियम 67 के नोटिस में दिया था कि राजनीतिक तथा प्रशासनिक दोनों प्रकार के संरक्षण प्राप्त लोग आज हिमाचल प्रदेश में वन माफिया और भू माफिया के रूप में काम कर रहे हैं।

जारी श्री जे0के0 द्वारा----------

5.12.2014/1425/जेके/एजी/1

श्री सुरेश भारद्वाजः-------**जारी**----------

38बीघा जमीन किसी परमिंदर कौंर की है। वह कह रही हैं कि मैं नहीं जानती कि ये पेड़ किसने काटे हैं ? उन्होंने एफ.आई.आर. लिखाने के लिए किसी आदमी को बालूगंज थाना में भेजा है कि मेरा एफ.आई.आर. दर्ज़ किया जाए कि इस जमीन से पेड़ किसने काटे हैं? फिर वहां पर एक दूसरा व्यक्ति नागपाल खड़ा हो जाता है। वह किसी रिजार्ट का डायरैक्टर है। वह भी कहता है कि Resort Director denies information about Tara Devi tree felling. सैंकड़ों पेड़ कट गए और किसी को

कोई खबर नहीं है। सवाल यह उठता है कि जिसकी जमीन है उसकी जमीन में वह पेड़ ऊगे हुए थे उसमें देवदार, चीड़ और दूसरी स्पिशिज के भी पेड़ थे, उस स्थान पर डिमार्केशन देने के लिए राजस्व विभाग के कर्मचारी कैसे गए ? एस.डी.एम. शिमला (रूरल) on record है कि एक एप्लीकेशन परमिन्दर कौंर ने डिमार्केशन के लिए दी है, लेकिन उस पर अभी तक कोई एक्शन नहीं हुआ है और वह अभी तक लम्बित है। जब किसी भूमि मालिक ने एप्लाई नहीं किया और साथ लगता वन विभाग ने भी एप्लाई नहीं किया है फिर वहां पर डिमार्केशन कैसे हो गई और कैसे वहां पर बाऊंडरी लग गई? उसके बाद वहां पर पेड़ कट गए, आरी चली, कुल्हाड़ा चला या कोई इलैक्ट्रिक औजार चलाया गया। उसके कारण वहां पर सैंकड़ों पेड़ कट गए। फिर वहां पर गड्ढे खोदे गए और उसमें बड़ी-बड़ी लकड़ियां जलाई गई। बड़े-बड़े लॉग वहां के आस-पास के घरों में रख दिए गए। इस सारे के सारे रिकार्ड को पुलिस व वन विभाग के अधिकारी इकट्ठा कर रहे है। जब यह मसला उठा तो उसके बाद थोड़ा-बहुत हिलजुल शुरू हुई। जो भूमि का मालिक है उसने डिमार्केशन के लिए एप्लाई किया है और उस पर भी कोई एक्शन नहीं हुआ है। जिसने वह जमीन खरीदी है और जो एग्रीमैंट है कि 16 करोड़ में परमिंदर कौंर ने वह जमीन डायरैक्टर नागपाल को बेच दी । 3 करोड़ रूपया उसका बयाना भी दे दिया। परमिंदर कौंर कहती है कि पोजैशन मेरे पास है। नागपाल कहता है कि पोजैशन हमने नहीं लिया है, फिर वह पेड़ वहां से कैसे कटे? आदरणीय

5.12.2014/1425/जेके/एजी/2

अध्यक्ष महोदय सीधा-सीधा उस स्थान को खाली कर दिया गया ,पेड़ कट गए और वहां पर खाली स्थान हो गया। 118 की परमिशन मिल जाएगी, क्योंकि आजकल ग्रीन बैल्ट की परमिशन केबिनैट से मिल रही है। शिमला में आजकल ग्रीन बैल्ट में भी पेड़ काटने की परमिशन दी जा रही है। 6-7 दिन में खबर आ गई और सूचना चली गई कि एफ.आई.आर. दर्ज़ नहीं हुई और जो पहली इन्फोरमेशन जाती है उस पर एफ.आई.आर. दर्ज़ नहीं होती है। 7-8 दिन तक कुछ नहीं होता है और किसके दबाव में कार्रवाई नहीं हो पा रही है ? इस बात की हमें जानकारी होनी चाहिए। माननीय वन मंत्री जी का आज बयान आया है। आज कह रहे हैं कि मैंने बयान नहीं दिया। लेकिन इनका जो पहला बयान आया था कि निजी भूमि पर पेड़ कटे हैं। शिमला में प्राईवेट लैंड पर एक पेड़ भी नहीं काटा जा सकता है। जैसा कि यहां पर

माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा है कि अगर पेड़ों की टहनियों की लॉपिंग भी करनी होगी तो उसके लिए भी परमिशन लेनी पड़ती है। शिमला म्युनिसिपल कार्पोरेशन में एक कमेटी बनी होती है उसका चेयरमैन मेयर होता है, डी.एफ.ओ. उसका मेम्बर होता है। शिमला के सारे फॉरेस्ट पहले म्युनिसिपल कार्पोरेशन के पास होते थे लेकिन वर्तमान सरकार ने उनको वन विभाग को सौंप दिया है। वन विभाग को सौंपने के बाद धीरे-धीरे डी.एफ.ओ को वहां से बदल करके अर्बन में लगा दिया और अर्बन वाले को रूरल में लगा दिया।

श्री एस.एस. द्वारा जारी--------

/1430/5.12.2014SS-Ag/1

श्री सुरेश भारद्वाज क्रमागतः

अर्बन वाले को रूरल में लगा दिया। फिर कहते हैं कि मैंने उसमें कंजरवेटर को सस्पैंड कर दिया है। सबको बदल रहे हैं। सस्पैंड कर रहे हैं लेकिन असली चीज़ यह है कि यहां पर प्रवीन नाम का एक व्यक्ति है वह कहता है कि मैंने ही 477 पेड़ काटे हैं। न मकान मालिक ने कहा और जिसके साथ जमीन बेचने का एग्रीमैंट हुआ है वह भी कहता है कि हम किसी व्यक्ति को जानते नहीं हैं। एकं किस्म से यह कॉंस्परेसी है कि एक ऐसा व्यक्ति स्केपगॉट बना लिया जाए, वह सब कुछ अपने ऊपर ले ले कि मैंने ये पेड़ काटे हैं। उसको छोटी-मोटी सजा हो जायेगी। जितनी सजा होगी उसको पैसे देकर कम्पनसेट कर देंगे। इनकी जमीन खाली हो जाएगी और फिर जमीन के ऊपर बड़ा रिजोर्ट बन जायेगा। ये सारे हिमाचल प्रदेश में जो नारे लगाते थे कि Himachal is on sale. Virtually, Himachal is on sale today. इस तरह से लोग हिमाचल प्रदेश में आपके सामने जंगल काट रहे हैं। एक दूसरी घटना है। साथ में जाखू क्षेत्र में एक मच्छी नामक कोठी है। सारे बड़े-बड़े लोग वहां रहते हैं वहां पर भी 38 पेड़ कट गए। उन पेड़ों के बारे में न तो म्यूनिसिपल कारपोरेशन को पता चला , न फॉरैस्ट डिपार्टमैंट को पता चला और वे पेड़ कट गए। काट करके नीचे फेंके। फेंककर उनमें आग लगा दी। जब आग लग गई और लोगों को खतरा हो गया तब जाकर इंफोरमेशन मिली। जब फायर बिग्रेड वहां पहुंची तब जाकर पता चला कि पेड़ कट गए हैं। कौन पेड़ काट रहा है? अभी तो उस पर कोई ऐक्शन भी नहीं लिया। अध्यक्ष महोदय, इतना ही नहीं है उसी क्षेत्र में एक बहुत बड़े व्यक्ति की कोठी है उसमें चारों तरफ चारदीवारी लगी हुई है। उस दीवार की बीच में उन्होंने बहुत सारे पेड़ बंद कर रखे हैं। वे वहां पर रासायन या तेजाब डाल करके पेड़ों को सूखा रहे हैं। वे सामने सब को दिखाये देते हैं क्योंकि जो भी जाखू मंदिर को जाता है उसी रास्ते

से जाता है। सब सूखे पेड़ों को देख रहे हैं। कोई ऐक्शन नहीं होता है। इसी तरह से आपका सिरमौर का शिलाई क्षेत्र है। शिलाई क्षेत्र में, पांवटा व बनौर के क्षैत्र में चूने की खाने हैं। चूने की खानें नीचे हैं, ऊपर को जंगल है। वहां पेड़ ही पेड़ हैं। वे जंगल , पेड़ कटते रहते हैं और चूने की खान ऊपर चली गई। जंगल में चली गई है। वहां पर

/1430/5.12.2014SS-Ag/2

शिकायत भी होती है लेकिन ऐक्शन नहीं होता। चूने की खानें वैसे ही चल रही हैं। इसी तरह से राजगढ़ क्षेत्र में हो रहा है। असल में सबसे बड़ा कारण यही है कि जो वन थाने बने थे, वे बन्द हो गए हैं। राजगढ़ में जो वन थाना था , वह बन्द हो गया है। उसके बाद पूरी तरह से अवैध कटान जोरों से चल रहा है। बड़ी-बड़ी जो बिल्डिंग्ज़ बनाई थीं उनका कोई उपयोग नहीं हो रहा है। चम्बा के बारे में माननीय रवि जी ने डिटेल में बात की है। इस तरह से सारे हिमाचल प्रदेश में जो इस तरह की घटनाएं हो रही हैं ये चिन्ता का विषय हैं। साथ में शिमला जो अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त टूरिस्ट प्लेस है , जो हिमाचल प्रदेश की राजधानी है , जहां पर सीट ऑफ पावर है, मुख्य मंत्री भी वहीं रहते हैं। तारादेवी क्षेत्र माननीय मुख्य मंत्री जी के ही चुनाव क्षेत्र का हिस्सा है और जाखू का क्षेत्र साथ लगता है। सारे ऑफिसर व राजनीतिज्ञ उधर से चलते हैं। लेकिन कोई ऐक्शन उस पर नहीं होता है। अब क्या इसमें connivance नहीं है ? माननीय मंत्री जी यह कहें कि प्राइवेट पेड़ कट सकते हैं यह तो प्राइवेट भूमि है इस प्रकार के रिस्पोंसिबल मिनिस्टर को सरकार में रहने का कोई अधिकार नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि ठाकुर सिंह भरमौरी जी, जो वन मंत्री हैं वे अपना काम काज करने में अक्षम साबित हुए हैं। इस सारे घटनाक्रम के लिए पूर्ण रूप से दोष उनको अपने ऊपर लेना चाहिए। जब लाल बहादुर शास्त्री एक एक्सीडैंट के कारण रिजाइन कर सकते हैं तो जब इतनी बड़ी घटना और इतना बड़ा वन माफिया प्रदेश में चल रहा है तो इनको अपने पद पर रहने का कोई अधिकार नहीं है। इनको या तो स्वयं त्याग पत्र दे देना चाहिए अथवा मंत्रिमंडल से निकाल देना चाहिए। --(व्यवधान)-- उसके लिए भी तब आप बात करते थे। तब आप यहां पर नहीं थे। तब ठाकुर कौल सिंह जी यहां पर आकर नारे लगाते थे। सदन में आकर नारे लगाते थे और इसीलिए आज हम यहां हैं और आप वहां हैं। यह प्रजातंत्र है। प्रजातंत्र में जो गलत करेगा उसका खामियाजा जनता देखती है। हम सब शायद न देखें, आप भी न मानें लेकिन आम जनता सब को देख रही है।

जारी के0एस0

0/1435/5.12.2014केएस/जेटी/1
श्री सुरेश भारद्वाज जारी----

हम सब शायद न देखें, आप भी न मानें लेकिन आम जनता सबको देख रही है कि क्या हो रहा है। हम चाहे तारादेवी के बारे में बात करें या न करें, जाखू के बारे में बात करें या न करें, चम्बा के बारे में बात करें या न करें परन्तु जनता इस बात को देखती है और वह सीधे-सीधे अपने कन्क्लूजन्ज़ निकालती है । मैं समझता हूं कि ऐसा हिमाचल प्रदेश में केवल वन ही नहीं काटे जा रहे हैं ,जैसे तारादेवी का मामला है कि वन साफ कर दो इसके बाद जमीन का उपयोग करो। एक गरीब आदमी को सजा हो जाएगी। फिर कहते हैं कि हमने डैमेज़ रिपोर्ट काट दी है । डैमेज़ रिपोर्ट में 500 रुपये जुर्माना होगा । चम्बा के केस में तो मुझे बताया गया है कि वहां जुर्माना भी जमा नहीं हुआ है। डैमेज रिपोर्ट कट जाती है तो फोरेस्ट गार्ड हो या दूसरे अधिकारी हो वह सबसे पहले यह कहते हैं कि हमने डैमेज़ रिपोर्ट काट दी है । डैमेज़ रिपोर्ट तो काट दी लेकिन पेड़ कटा कैसे ? शिमला जैसी जगह पर अगर पेड़ कटते हैं तो प्रदेश की बाकी जगह का क्या हाल होगा, यह चिन्ता का विषय है। यह पॉलिटिकल स्कोर्ज़ करने की बात नहीं है। यह किसी के लिए भी हो सकता है, चाहे हमारा हो या आपका हो। यह तो प्रदेश की बात है । पर्यावरण को बचाने की जिम्मेदारी सारे प्रदेश की है और विशेष रूप से हिमाचल प्रदेश हिमालयन क्षेत्र में आता है इसलिए हमारी सबसे ज्यादा जिम्मेवारी बनती है। यह ठीक है कि माननीय मुख्य मंत्री जी जब हिमाचल प्रदेश में आए थे तो ये इसी इश्यू को लेकर हिमाचल प्रदेश में पहली बार आए थे कि वन माफिया पर लगाम लगाई जाएगी और हम इस बात का, जो इन्होंने कही है स्वागत करते हैं और हिमाचल प्रदेश में वन माफिया पर काफी बंदिश भी लगी। सेब की पेटियों के लिए पेड़ कटना बन्द हो गया लेकिन यहां पर सबसे बड़ी बात है कि सेक्शन- 118जो है वह टैनेंसी एक्ट का इसलिए लाया गया था कि हिमाचल प्रदेश के गरीब किसान की जो छोटी-छोटी लैंड होल्डिंग्ज़ हैं, उनको वो बेच न दें और वह लैंड लैस न हो जाए। यह छोटा सा पहाड़ी प्रदेश है ,यहां छोटी-छोटी लैंड होल्डिंज़ है, डा0 वाई0एस0 परमार ने इसलिए यह एक्ट लाया था लेकिन आज इसको खत्म करने के लिए थोक में 118 की परमीशन्ज़ हो रही है और

0/1435/5.12.2014केएस/जेटी/2

वह किस चीज़ के लिए हो रही है ? औद्योगिकरण के लिए परमीशन देना एक अलग बात है लेकिन इस तरह से पेड़ों को काट दो क्योंकि इससे उनका पैसा भी बढ़ जाएगा और साथ में जगह भी खाली हो जाएगी और वहां पर रिज़ॉर्ट बन जाएगा। रिज़ॉर्ट नहीं बना तो उसमें बिल्डिंग्ज़ बन जाएंगी, वहां पर बिल्डर्ज़ आ जाएंगें या वहां पर कुछ और बन जाएगा। कौल सिंह जी जब विपक्ष में थे तो ये यहां पर भू -माफिया के बारे में बड़े जोर -शोर से कहा करते थे लेकिन आज मेरा इनसे भी निवेदन है कि इस प्रकार से जो भू-माफिया, वन माफिया पैदा हो रहा है , इसको राजनीतिक और प्रशासनिक संरक्षण प्राप्त है और इसको खत्म करने की आवश्यकता है। उसके लिए सारे सदन को इकट्ठा होने की आवश्यकता है। उसमें पक्ष की भी और विपक्ष की भी जिम्मेवारी है और हम सबको मिल कर इसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए क्योंकि अगर पेड़ कटेंगें, पर्यावरण खराब होगा तो उसका असर हम सभी के ऊपर होगा, पूरे देश के ऊपर होगा। हिमाचल प्रदेश का पानी खत्म हो रहा है ,यहां का पर्यावरण खराब हो रहा है और हम पेड़ काटे जा रहे हैं। मैं समझता हूं कि इसकी हाई-कोर्ट के जज द्वारा अथवा सी0बी0आई0 के द्वारा जांच होनी चाहिए क्योंकि आजकल निचले लैवल पर जो जांच हो रही है, फोरैस्ट डिपार्टमैंट कह रहा है कि इसमें डी.सी. इन्क्वायरी करें , कभी कहते हैं कि डी.सी. के अपने इम्पलॉय कैसे चले गए डिमार्केशन करने ,फिर कभी कहते हैं कि पुलिस की एफ.आई.आर. हो, कभी कहते हैं कि यह तो प्राईवेट जमीन है, इसमें तो केस ही नहीं बनता तो फिर पुलिस क्या करेगी। फोरैस्ट की जब इन्क्वायरी हो तो उसमें कहते हैं कि डैमेज़ रिपोर्ट कट गई है। पेड़ कट गए हैं ,उसकी डैमेज़ रिपोर्ट कट गई है, अब नागपाल साहब वहां पर रिज़ॉर्ट बना देंगें। इस पर कानून बनना चाहिए कि ऐस स्थान पर रिज़ॉर्ट न बन सके। वहां पर उस भूमि का इस प्रकार उपयोग न हो सके जिसके लिए ये पेड़ काटे गए हैं। प्रिंसिपल सैक्रेटरी, रेवन्यू के अखबारों में इस तरह के बयान आए हैं कि वहां पर कुछ नहीं बन पाएगा लेकिन वे तो अभी प्रिंसिपल सैक्रेटरी हैं, कल को क्या होता है क्या किसी को पता है? हां, मैं इनको बधाई देना चाहता हूं

0/1435/5.12.2014केएस/जेटी/3

कि अब तो ये ए.सी.एस. बन गए हैं । आपकी सरकार को भी बधाई देता हूं कि आपने तीनों ऑफिसरों को ए.सी.एस. बना दिया लेकिन इस पर विचार करने की आवश्यकता है।

श्रीमती अ0व0 द्वारा जारी---

5.12.2014/1440/JT-AV/1

श्री सुरेश भारद्वाज --------- क्रमागत
लेकिन इस पर विचार करने की आवश्यकता है। इसके लिए हाई पावर्ड जुडिशियल जांच होनी चाहिए। मंत्री महोदय को अपने पद को छोड़ देना चाहिए। पाक-साफ निकलेंगे तो दोबारा मंत्री बनाया जा सकता है। मगर अभी इनको इस बात के लिए जिम्मेवारी लेनी चाहिए क्योंकि इनकी कोठी से भी तारादेवी सीधा दिखाई देता है। चम्बा तो आपका अपना जिला है। आज यहां इस विषय पर एक सार्थक चर्चा हुई है। यहां पर हमारी वरिष्ठ विधायक श्रीमती आशा कुमारी जी ने बड़े अच्छे ढंग से तथ्य सामने रखे हैं। मेरा यह निवेदन रहेगा कि आज जब इस बात को सारा सदन मान रहा है तो युनेनिमसली हमें निर्णय लेना चाहिए कि पर्यावरण और जंगल को बचाने के लिए हम स्ट्रोंग ऐक्शन लेंगे। उसके लिए हाई पावर्ड जुडिशियल इनक्वायरी इन स्टिच्यूट करेंगे तथा मंत्री जी अपने पद से त्याग पत्र देंगे।

आपने मुझे समय दिया,धन्यवाद।

समाप्त

5.12.2014/1440/JT-AV/2

अध्यक्ष : अब श्री किशोरी लाल जी चर्चा में भाग लेंगे।
श्री किशोरी लाल : अध्यक्ष महोदय, श्री रविन्द्र सिंह जी ने नियम 130 के अंतर्गत अवैध कटान का प्रस्ताव इस सदन में रखा, मैं भी उस पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं।

यहां एक मामला सफेदों के बारे में बैजनाथ का आया है। मैं उस बारे में अवगत करवाना चाहता हूं कि यह दो भाइयों का निजी मामला है जिसे सदन में पहुंचा दिया

गया है, जो कि एक खेद की बात है। यह जो सफेदे के पेड़ कटे हैं ये चरीन ब्लॉक के है तथा आर.ओ. का ऑफिस उसके साथ है। यह जमीन कभी सरकार की थी। जब वहां कुटिया बनी तो उसके बाद वहां ये पौधे लगाये गये। लाला महाराज मल इसके महन्त थे और वह कब्जा कागजात माल में दर्ज है। उसके दूसरे भाई बलदेव राज का नाम कागजों में दर्ज नहीं है। उस वजह से उसने सारा मामला उठाया। वह पुलिस के पास भी गया मगर जब नाम कागजात माल में दर्ज है तो पुलिस में भी मामला दर्ज नहीं हुआ। उनका कसूर सिर्फ इतना है कि उन्होंने पेड़ काटने की परमिशन नहीं ली। उसका जुर्माना उन्हें लगा है।

जहां तक दूसरे कटान का सम्बंध है सरकार ने वनों की रक्षा के लिए कर्मचारी/अधिकारी तैनात किए हैं। वे लोग कहां सोये हुए थे ? रेंजर, डिप्टी रेंजर, फॉरैस्ट गार्ड इत्यादि किस लिए हैं? ये लोग वनों की रक्षा के लिए रखे गए हैं। उन्होंने क्यों रक्षा नहीं की? जिसने कटान किया है उसको कानून के मुताबिक सजा मिलेगी। इसलिए यह मामला राजनीति से प्रेरित है। हमारे विपक्ष के भाइयों के पास कोई मुद्दा नहीं है इसलिए इस मुद्दे को सदन में रखा जा रहा है। जहां तक मुख्य मंत्री जी की बात है तो मैं बताना चाहता हूं कि जब बैजनाथ में रैस्टहाउस का निर्माण होना था तो वहां पर एक सफेदे का पेड़ था। उन्होंने वहां एक भी पेड़ काटने की अनुमति नहीं दी थी। वहां पर वह सफेदे का पेड़ आज भी मौजूद है। भारतीय जनता पार्टी के पास सरकार के खिलाफ कोई मुद्दा नहीं है इसलिए इस मुद्दे को लेकर आए हैं। बैजनाथ का मामला पूरी तरह से राजनीति से प्रेरित है। वहां एक भाई रविन्द्र सिंह जी के पास

5.12.2014/1440/JT-AV/3

गया होगा और इन्होंने यह मामला चर्चा के लिए यहां ला दिया। इसलिए जो मामला बैजनाथ का है मैं उस बारे में सदन को अवगत करवा रहा हूं। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद।

समाप्त

अध्यक्ष : अब श्री रणधीर शर्मा जी बोलेंगे।

श्री रणधीर शर्मा श्री बी.जे. द्वारा जारी

/1445/05.12.2014नेगी/जे.टी./1

श्री रणधीर शर्माः अध्यक्ष महोदय, हमारे वरिष्ठ विधायक, श्री रविन्द्र सिंह रवि जी ने नियम-130 के तहत अवैध वन कटान का प्रस्ताव इस माननीय सदन में लाया है। यह इतना महत्वपूर्ण विषय है। हम तो चाहते थे इसपर स्थगन प्रस्ताव आता और सब काम रोक कर इसपर चर्चा होती क्योंकि हिमाचल प्रदेश की पहचान ही वन है। वनों से ही हिमाचल प्रदेश को पहचाना जाता है। वन भी पेड़ों के साथ ही अच्छे लगते हैं। हमारे मित्र, श्री किशोरी लाल जी द्वारा मज़ाक में शायद यह बात की होगी, मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस पार्टी का विचार वनों के बारे में या पेड़ों के विषय में इस तरह का हल्का होगा। जिस तरह से हमारे साथियों ने चर्चा की , उसी तरह से इस सदन के वरिष्ठ विधायका, श्रीमती आशा कुमारी जी ने भी इसपर चिन्ता प्रकट की और मुख्य मंत्री महोदय ने भी चिन्ता प्रकट की। निश्चित रूप से सरकार इसपर गम्भीर है ऐसा प्रतीत होता है। यहां यह भी कहा गया कि मुख्य मंत्री महोदय ने वर्ष 1982-83 में आ कर वन माफिया पर अंकुश लगाया था। अध्यक्ष महोदय, हम तो उस समय स्कूल में पढ़ते थे। क्या हुआ होगा, क्या नहीं हुआ होगा , वह तो उस समय के लोग जाने। परन्तु हमने यह जो दो साल का कार्यकाल देखा है ,इन दो साल के कार्यकाल से लगता है कि न तो यह सरकार, न माननीय मुख्य मंत्री महोदय इस विषय पर गम्भीर है। वन माफिया को रोकना तो दूर, यह सरकार तो वन माफिया को बढ़ावा दे रही है, संरक्षण दे रही है। यहां इतने विषय मेरे साथियों ने लाये, चाहे विषय शिमला का तारा देवी का होगा, चाहे चम्बा का विषय होगा और चाहे अन्य विषय होंगे मैं उनको रिपीट नहीं करना चाहता। तो सारे विषय हमारे साथियों ने यहां पर उठाए हैं। आदरणीय महेश्वर सिंह जी ने भी यह विषय उठाया है। मैं सदन का ध्यान उन विषयों की ओर दिलाना चाहता हूं जो दो साल में घटे। मेरे अपने विधान सभा क्षेत्र में घटे हैं, अपने जिले में घटे हैं। उसपर सरकार का और वन विभाग का जो रवैया रहा अध्यक्ष महोदय उससे अन्दाज़ा लगाइये कि यह सरकार कितनी गम्भीर है। अध्यक्ष महोदय मेरे विधान सभा क्षेत्र में वर्ष 2013 के शरूआत में, जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल में, फोरेस्ट डिवीजन बिलासपुर के अण्डर स्वारघाट रेंज है उसके अन्दर बस्सी-ग्वालथाई बीट में अन्धाधुंध पेड़ों का कटान हुआ। वहां पर शीशम के पेड़ काटे

/1445/05.12.2014नेगी/जे.टी./2

गए, सफेदा के पेड काटे गए और प्लाह के पेड़ काटे गए। वहां पर हजारों पेड़ों का कटान हुआ। एक व्यक्ति ने जिसका नाम राल लाल था, ऐसा न मानिए- मेरा विरोधी,

वह कोई और व्यक्ति है। उन्होंने लिखित शिकायत की और लिखित शिकायत के बाद जांच शुरू हुई। डी.एफ.ओ. परसनली वहां पर जांच करने गए। एक बीट की जांच हुई और दूसरी बीट की जांच से पहले डी.एफ.ओ. को वापिस बुलाया गया। जांच अधूरी रह गई, कोई कार्रवाई नहीं हुई। अध्यक्ष महोदय, मैंने पिछले साल मॉनसून सत्र में, अगस्त, 2013 में प्रश्न लगाया और 22 अगस्त, 2013 को प्रश्न लगा- प्रश्न संख्या-484. मंत्री जी ने स्वीकार किया कि हां, अवैध कटान की लिखित शिकायत मिली। मंत्री जी ने माना कि हां, जांच हुई और अभी जांच चल रही है। मैंने सप्लीमैन्टरी प्रश्न पूछा कि आपने क्या कार्रवाई की ? इन्होंने कहा कि एक गार्ड जो रिस्पाँसिबल माना गया उसका तबादला कर दिया गया है, आगे जांच चल रही है और आगे कार्रवाई होगी। अध्यक्ष महोदय, 22 अगस्त,2013 को बीते हुए भी अब सवा साल हो गए। उसपर आगे कार्रवाई होना तो दूर ,जांच होना तो दूर ....

श्री एस.एल.एस. द्वारा जारी...

05.12.2014/1450/ SLS-JT-1

श्री रणधीर शर्मा ...जारी

जांच होना तो दूर, जो डी . एफ. ओ. जांच कर रहा था, उसको वहां से बदल दिया गया। जो गार्ड बदला गया था, उसको भी वापिस ले आए। कोई कार्रवाई नहीं की गई। यहां पर किशोरी लाल जी बोल रहे थे कि वहां पर कोई डिप्टी रेंजर , रेंजर या गार्ड तो होगा। उनके होते हुए भी पेड़ों का कटान हो रहा है और उन्हीं की मिलीभगत से कटान हो रहा है। गार्ड के रिश्तेदार और भाई उस कटान में संलिप्त थे। लेकिन कार्रवाई दोषियों पर नहीं बल्कि स्टॉफ पर होती है। उलटे वहां पर जांच रोक दी जाती है। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि जांच किसके दबाव में रोकी गई? डी. एफ. ओ. का तबादला किसके दबाव में हुआ ? किसके दबाव से आज तक उसमें न जांच हुई और न कोई कार्रवाई हुई ? हम इस सरकार से क्या उम्मीद रखें जबकि लिखित शिकायत करने के बावजूद भी वहां सैंकड़ों पेड़ों का कटान अवैध रूप से हुआ है। वह सब जांच में आने के बावजूद भी जब दो साल तक कार्रवाई नहीं हुई तो अब क्या कार्रवाई होगी। इसलिए जो यह कहा जाता है कि ये वन माफिया को रोकने वाले हैं, मैं इस बात पर विश्वास नहीं करता। मैं मानता हूं कि उनको सरकार का पूर्णतया संरक्षण प्राप्त है जिसके कारण यह हो रहा है।

अध्यक्ष महोदय, अगर आप आगे की कहानी सुनेंगे तो रोंगटे खड़े हो जाएंगे। उस व्यक्ति ने ठाना कि जब वन विभाग जांच नहीं कर रहा है तो विजिलैंस को जांच

देंगे। अध्यक्ष महोदय, उसने विजिलैंस को एप्लिकेशन लिखी। जो डी . एफ. ओ. ये वहां पर लेकर आए, उस डी . एफ. ओ. ने उस शिकायतकर्ता को अपने दफतर में बुलाया और उस व्यक्ति को कहा कि आप जांच को आगे मत बढ़ाइए ,हम आपको फायदा देंगे। उस गरीब आदमी को 4000 सीमेंट पोल बनाने का टैंडर दे दिया गया। टैंडर के रूप में उस शिकायतकर्ता को रिश्वत दी गई। मामले को दबाने और रफ़ा-दफ़ा करने के लिए ऐसा किया गया। (व्यवधान)

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप जो बात कह रहे हैं उसमें अगर आपके पास कोई लिखित साक्ष्य है तो ठीक है, अन्यथा आप ऐलिगेशन लगा रहे हैं।

श्री रणधीर शर्मा : अध्यक्ष महोदय, यह सत्य है। पोल का टैंडर विभाग ने दिया है।

अध्यक्षः आप कह रहे हैं कि उसको दफतर में बुलाया गया और यह कहा गया। क्या यह सत्य है।

05.12.2014/1450/ SLS-JT-2

श्री रणधीर शर्मा : बिल्कुल अध्यक्ष महोदय, पोल का टैंडर विभाग ने दिया है। हमारे पास उसकी ऐप्लिकेशन है और लिखित शिकायत है। (व्यवधान) सर, इसका प्रश्न लगा था और प्रश्न का जवाब आया था। वही मैं बता रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय, उसके बाद इस व्यक्ति को सीमेंट के पोल बनाने का टैंडर मिलता है और आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। यह वन विभाग की कारगुजारी है। अध्यक्ष महोदय, यही नहीं, हमारे चीफ पार्लियामैंटरी सैक्रेटरी राजेश धर्माणी जी हैं। वह कहते हैं मैं हूं नहीं जबकि मुख्य मंत्री जी कहते हैं कि है। उनके पास वन विभाग है। वन मंत्री जी के साथ उनको जोड़ा गया है। पिछले साल बिलासपुर जिले में खैर का कटान हुआ। कटान अवैध रूप से हुआ और सरकारी जमीन से पेड़ कटने शुरू हुए। राजेश धर्माणी जी की आत्मा ने इनको झकझोरा कि आप फोरैस्ट के चीफ पार्लियामैंटरी सैक्रेटरी हो और आपके होते जंगल कट रहे हैं। इन्होंने वहां का दौरा किया और जो अवैध रूप से खैर कटे थे, उनको सील करवाया। वन मंत्री जी को मौके पर लेकर गए। इन्होंने भी देखा और कटान रोक दिया। इन्होंने कहा कि निजी भूमि से भी खैर का कटान नहीं होगा। परंतु मैं पूछना चाहता हूं कि फिर 15 दिन बाद आपने क्यों आदेश दे दिए ? बिना जांच, बिना दोषी को सजा दिए और बिना कोई कार्रवाई किए आपने फिर खैर कटान के आदेश दे दिए। जो झण्डूता विधान सभा क्षेत्र में कोहिना के जंगल में खैर सील हुए थे ,उन खैरों को किसी सत्ताधारी दल के

लीडरान को दे दिया गया ,बेच दिया गया। कोई ऑक्शन या टैंडर नहीं किया गया। खैर कटान खोल दिया गया। सी. पी. एस. धर्माणी जी ने उसके बाद फोरैस्ट विभाग में काम करना बंद कर दिया और त्यागपत्र दे दिया। सरकार अपने ही सी . पी. एस. की बात नहीं सुन रही है। मुख्य मंत्री जी अपने ही सी. पी. एस. की बात नहीं सुन रहे हैं। जब मंत्री अपने ही मुख्य संसदीय सचिव के कहने पर कार्रवाई नहीं कर रहे हैं तो फिर मुख्य संसदीय सचिव त्यागपत्र देगा ही। यह गंभीर स्थिति है। आज भी राजेश धर्माणी जी दफतर नहीं जा रहे हैं।

जारी ....गर्ग जी

05/12/2014/1455/RG/AG/1

श्री रणधीर शर्मा--------क्रमागत

और आज भी श्री राजेश धर्माणी कार्यालय नहीं जा रहे हैं। मुझे नहीं पता ,इसके कारण और भी हो सकते हैं ,परन्तु हमें यह लगता है कि सरकार के अंदर कुछ ऐसी शक्तियां हैं जो अवैध वन कटान को बढ़ावा देती हैं। बिलासपुर में तो ये पहले से ही मौजूद थीं ,लेकिन इस सरकार में और शक्तिशाली हो गई हैं और अब वे शक्तियां आगे चम्बा और शिमला में भी पहुंच गई हैं। अध्यक्ष महोदय, यह तो मैंने कुछ उदाहरण दिए ,जब इन पर कोई कार्रवाई नहीं होती, तो हम क्या मानेंगे कि तारादेवी में जिन्होंने पेड़ काटे ,उन पर कार्रवाई होगी ? जो हमारे जिले में अवैध कटान हुए, वे तो छोटे, गरीब या गांव के लोग थे जब उनको किसी ने नहीं पकड़ा, उन पर किसी ने कोई कार्रवाई नहीं की ,तो तारादेवी में अवैध कटान करने वाले लोग तो बहुत पहुंच वाले लोग हैं, ये तो बड़े लोग हैं , इन पर कार्रवाई होगी ही नहीं। इसलिए अध्यक्ष महोदय, इस सरकार से हमें कोई उम्मीद नहीं है। श्री सुरेश भारद्वाज जी ने ठीक कहा कि वन मंत्री जी को अपने पद पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। या तो ये यहां ज़ाहिर करें और सदन को बताएं कि किसके दवाब में इन्होंने शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं की ,किसके दवाब में इन्होंने इस अवैध कटान पर रोका और उसी कटान की बिना जांच करवाए 15 दिन बाद अनुमति दे दी? इसलिए मेरा यह आग्रह है कि हिमाचल प्रदेश सबका है, पूरे देश को यहीं हिमाचल से ही शुद्ध वायु जाती है ,वन हमारी पहचान है ,यहीं यदि पेड़ों का इस तरह से अंधाधुंध कटान हो और उसको सत्ताधारी दल का संरक्षण प्राप्त हो ,तो हिमाचल प्रदेश बच नहीं सकता। इसलिए हिमाचल प्रदेश के हित में हमारा आपसे आग्रह है, मुख्य मंत्री महोदय ने भी विषय को गंभीरता से नहीं लिया। चलो मान लिया कि उनको जल्दी जाना था ,परन्तु फिर भी मैं मांग करता हूं जो मैंने विषय बताए, उन पर मंत्री जी

स्पष्टीकरण दें कि किसके दवाब में ऐसा हुआ और आगे इसको टाईम बॉउण्ड करें। जैसा हमारे चीफ व्हिप ने कहा है कि हाई पॉवर जुडिशियल इन्क्वायरी इसमें हो और मुख्य मंत्री जी इस जांच को जल्दी-से-जल्दी से कराएं। दोषियों को कड़ी-से-कड़ी सजा हो ताकि आने वाले समय में ऐसे काम न हों। पहले ऐसी गतिविधियों पर कार्रवाई नहीं हुई है, इसीलिए ऐसी अवांछित गतिविधियां आगे बढ़ी हैं। इसलिए अध्यक्ष महोदय, मैं ज्यादा समय न लेता हुआ आपके माध्यम से यही आग्रह करना चाहता हूं कि इस तरह से इस सरकार ने जो अवैध रूप से पेड़ों के कटान को बढ़ावा दिया है इसके लिए इस सरकार के वन मंत्री पूर्ण रूप से दोषी हैं, उन्हें सत्ता में रहने

05/12/2014/1455/RG/AG/2

का कोई अधिकार नहीं है। वे स्वयं त्याग-पत्र दें या माननीय मुख्य मंत्री महोदय उन्हें बर्खास्त करके इन मामलों की हाई पॉवर जुडिशियल इन्क्वायरी कराएं। यही मांग करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद।

समाप्त

3/-

05/12/2014/1455/RG/AG/3

अध्यक्ष : अब श्री नन्द लाल जी, मुख्य संसदीय सचिव चर्चा में भाग लेंगे।

मुख्य संसदीय सचिव (श्री नन्द लाल) : अध्यक्ष महोदय, आज श्री रविन्द्र सिंह जी ने नियम-130 के अन्तर्गत जो प्रस्ताव यहां लाया है ,वह एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रस्ताव है। वन का जो अवैध कटान हो रहा है इसको ध्यान में रखते हुए यह बहुत जरूरी है कि इसको चैक किया जाए। लेकिन जिस तरह से यह प्रस्ताव आज यहां लाया गया , तो इनिशियली आज सुबह एक commotion क्रियेट हो गया and the Opposition had to leave the House. कौन नहीं जानता कि वन कटान एक गंभीर मसला है , पर्यावरण के लिए यह एक खतरा है और आगे हमको बहुत दिक्कतें आएंगी। सभी लोग जानते हैं कि इसको रोका जाए, लेकिन फिर भी वन कटान होते हैं। पहले भी हुए, अब हुए और आगे भी होंगे। मेरा सिर्फ इसमें इतना कहना है कि एक ऐलीगेशन न लगाया जाए कि वन कटान या वन माफिया को सरकार का संरक्षण है। यह बात हम नहीं मानेंगे। माननीय मुख्य मंत्री जी अपने वक्तव्य में साफ कह चुके हैं कि जो भी हुआ है, चाहे तारादेवी की बात हो ,जाखू की बात हो ,उस पर पूरी एक जांच होगी ,

इनवेस्टीगेशन होगी और जो भी दोषी पाया जाएगा ,उसको सजा होगी। तो इसमें मैं ज्यादा चर्चा करने की आवश्यकता नहीं समझता, लेकिन इतना जरूर है कि ऐसे मामले पहले भी हुए हैं ,बैमलोई वाले मामले की बात हुई है, एच.पी.सी.ए. की बात हुई है। हम यही कहते हैं कि तब तो आप उम्मीद करते हैं कि हमारे वन मंत्री जी आज ही रिजाइन कर दें। यह तो कोई बात नहीं होती। तब के जो वन मंत्री जी थे जब बैमलोई केस हुआ या दूसरे मामले हुए ,तब तो यह कोई बात सामने नहीं आई------------जारी

एम.एस. द्वारा जारी

5/12/2014/1500/ms/ag/1

(मुख्य संसदीय सचिव) श्री नन्दलाल जारी----------

जैसे बैम्लोई केस या दूसरे केस हुए, तब यह बात कहीं सामने नहीं आई। हम कहते हैं कि जो दोषी है, उसको सजा मिलनी चाहिए। जिसने गलत काम किया है, उसको सजा मिलनी चाहिए। लेकिन इस तरह के स्टेटवे एलीगेशन्ज लगाना कि उनको आप संरक्षण दे रहे हैं ,यह कतई भी मान्य नहीं हैं। जब शुरू में रविन्द्र जी यह प्रस्ताव लाए थे, तो इन्होंने दो बातें कही। इन्होंने तारादेवी में काटे गए पेड़ों के बारे में ज्यादा डिटेल नहीं बताई जबकि श्री सुरेश भारद्वाज जी और महेश्वर सिंह जी ने बड़े डिटेल में बताया कि क्या-क्या हुआ। रविन्द्र जी ने केवल दो बातें जाहिर की हैं। पहली यह कि वह एक 86 साल के बुजुर्ग से चम्बा में जाकर मिले और उस बुजुर्ग ने इन्हें बताया कि जैसा आज हो रहा है, वैसा कभी नहीं हुआ। दूसरी बात इन्होंने 20नदी-नालों की कही कि उन नालों को पार करने के लिए जो वहां लॉग्स रखे थे, वे रिमूव किए गए थे and he has to work out. ये दो बातें सामने आई हैं। मैं कहता हूं कि जो भी ये केसिज हुए हैं, उनमें सजा मिलनी चाहिए। आज मेरा यह कहना है, जैसा मुख्य मंत्री जी ने भी कहा कि जो भी इसके लिए दोषी है, उस पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। दूसरी जो वन विभाग की बात है Forest Department needs to be more vigilant. I agree. उनको थोड़ा और बढ़ाना पड़ेगा। In forest, you cannot protect every tree. एक पेड़ के ऊपर एक गार्ड नहीं बिठा सकते। बड़े जंगल हैं। They do their job. वन विभाग में जो कमियां या रिक्तियां हैं, उनको भरा जाए ताकि बीट के अन्दर जो भी तैनात है, वहां उसका एक प्रभावशाली कन्ट्रोल रहे। दूसरी बात यह है कि अवैयरनैस होनी चाहिए। आज कह रहे हैं कि वन माफिया ने यह किया, वह किया। एक जनरल अवैयरनैस होनी चाहिए, चाहे वन विभाग करे या

सरकार करे लेकिन जनरल अवैयरनैस चाहे वह प्लांटेशन की बात हो, उसको बढ़ावा देना चाहिए। So that there has to be some sort of check somewhere. यही मेरा कहना है। इसमें ज्यादा बात कुछ कहने की नहीं है। हम यही कहेंगे कि जो

5/12/2014/1500/ms/ag/2

ये एलीगेशन्ज हैं, इनको हम बिल्कुल नकारते हैं। एक बात माननीय विधायक रणधीर जी ने कही कि पिछले दो सालों से कुछ नहीं हो रहा है। यह बात हमें समझ में नहीं आई। सरकार की गलती स्टेटवे निकालना, वह भी बिना तथ्य के, यह सही बात नहीं है। सब जानते हैं, पूरा सदन जानता है कि वन का कटान पाप है, दोष है। यहां कहा गया कि सरकार ने कुछ नहीं किया ; जैसे पहले बहुत कुछ हो रहा था। This is also not acceptable. अध्यक्ष जी, मैं ज्यादा समय न लेता हुआ यही बातें मुझे कहनी थी। माननीय मुख्य मंत्री जी ,जिनको इस प्रदेश में वन कटान को बन्द करने के लिए , जैसा यहां पर कहा भी गया, तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा जी ने यहां भेजा था। वर्ष 1983से लगातार जिस तरह का चैक यहां पर वन माफिया पर लगा , वह सराहनीय काम है। वह आज भी वनों के प्रति उतने ही कन्सर्न्ड हैं जितने वर्ष 1983में थे। अध्यक्ष जी, आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया, धन्यवाद।

5/12/2014/1500/ms/ag/3

अध्यक्षः अब चर्चा में श्री वीरेन्द्र कंवर जी भाग लेंगे।

अनुपस्थित।

अब चर्चा में श्री हंसराज जी भाग लेंगे।

श्री हंसराजः अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद। नियम 130 के अन्तर्गत जो प्रस्ताव श्री रविन्द्र जी ने इस माननीय सदन में लाया है, मैं उस पर हो रही चर्चा में भाग लेने के लिए यहां पर खड़ा हुआ हूं।

क्योंकि विषय अत्यन्त गम्भीर है। शिमला के साथ-साथ सम्पूर्ण प्रदेश में वन माफिया द्वारा जंगलों में अवैध कटान किया जा रहा है। अभी चम्बा जिला की प्रमुखता से चर्चा हो रही थी। उस चर्चा में सम्मिलित होने से मैं अपने आपको नहीं रोक पाया हूं । जो यहां पर फैक्ट्स एण्ड फिगर्ज रखे गए हैं उसमें कुछेक चीजें मैं नई

एड करना चाहूंगा। हुआ यह है कि माननीय सदस्य जो मेरे से पूर्व बोल रहे थे ,वे कह रहे थे कि दो सालों में बहुत सारी चीजें हुई हैं। मैं मानता हूं कि ऐसा हुआ है लेकिन ऐसी चीजें भी हुई हैं जिनसे हमें लगता है कि माननीय मुख्य मंत्री जी का जो अनुभव है उसका कहीं-न-कहीं कुछेक तथाकथित व्यक्तियों द्वारा दुरूपयोग किया गया है।

जारी श्री जे0के0 द्वारा------------

5.12.2014/1505/जेके/एजी/1

श्री हंस राजः-----जारी----

वनों का कटाव एक गम्भीर समस्या है। बन्दरों के विषय पर बहुत ज्यादा चर्चाएं होती रहती हैं। वन्य प्राणियों के सन्दर्भ में बहुत ज्यादा चर्चाएं होती रहती है। अगर हम लोग इकोलोजी को प्रभावित करेंगे तो नैचुरली जो वन्य प्राणी हैं, चाहे बन्दर हों या अन्य वन्य प्राणी हों अगर वे हमारे रीहैबिटेशन में इन्टरफेयरैंस कर रहे हैं तो इसका मात्र एक ही कारण है कि हम लोगों ने उनको डिस्टर्ब किया हुआ है। मैं प्रमुखता से यह चीज यहां पर लाना चाहूंगा कि माननीय अध्यक्ष जी आपके माध्यम से इस माननीय सदन में कि जो सिकरी का मामला आया है उसमें कलैहल भी इलाका पड़ता है,नेहरा क्षेत्र का इलाका पड़ता है और बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर हाईडल पॉवर एस्टैब्लिश हो रहे हैं। वहां पर न सिर्फ जो "ए" क्लास लकड़ी का कटान हो रहा है बल्कि वहां पर ऐसी लकड़ी का भी कटान हो रहा है जिसके हक बर्तन पर स्थानीय लोगों का सीधा-सीधा प्रभाव है। यहां पर जो एक स्लोगन हम हर बार पढ़ते थे वनों से वायू और वायू से आयु , परन्तु यहां पर बोलते हुए मुझे कतई भी गुरेज नहीं होता है कि वनों से मलाई और मलाई से गाढ़ी कमाई। कुछ इस तरह से स्लोगन हम लोगों को नए बनाने पड़ेंगे यानि एस्टैब्लिश करने पड़ेंगे, क्योंकि इस तरह की परिस्थितियां प्रदेश में चली हुई हैं। मूल रूप से मैं समाज शास्त्री हूं और इसलिए मेरा समाज से काफी अर्से से सरोकार रहा है, जबसे हमने अपने आपको सम्भाला है। वर्ष 1983की बात हो रही थी। माननीय मुख्य मंत्री जी को वर्ष 1983 में इसलिए भेजा गया था कि यहां पर जो वनों का कटान हो रहा था उस टाईम के जो हमारे प्राधान मंत्री थे, उन्होंने माननीय मुख्य मंत्री जी अवैध कटान को रोकने के लिए भेजा था। वर्ष 1983 में मेरा बर्थ हुआ है। आज तक हम इस माननीय सदन में यही चर्चाएं कर रहे हैं। इससे खतरनाक स्थिति हम लोगों के लिए क्या हो सकती है ? वर्ष 1983 से आज 31 साल होने तक हम लोग ऐसा कोई स्ट्रांग लॉ या कोई स्ट्रांग चीज नहीं ला पाए

जिससे कि हमारी हरियाली या वनों को बचाया जा सके। हमें दुख होता है कि पहले क्या होता रहा है उस पर हम नहीं जाएंगे? शायद उनकी बौद्धिक मंशा ऐसी रही हो,

5.12.2014/1505/जेके/एजी/2

उनका बौद्धिक स्तर इस तरह का रहा हो। वे सोच नहीं पाए हैं। आजकल वनों की रक्षा के लिए जो भी कमेटियां बनी हैं, डिपार्टमैंटस बने हैं मुझे लगता है उनकी भी मानसिक दशाए ऐसी ही हैं। अगर उनकी मानसिक दशाएं ऐसी हैं तो उसमें हम नई चीजें क्यों करते हैं ? सलाहें एक दूसरे की ले सकते हैं। एक-दूसरे पर छींटाकशी करने से अच्छा होगा कि हम अपने गिरेबान में झांके। अभी जम्मू-कश्मीर में हम चुनावों में गए थे। हम लोग जब उनसे कहते थे कि मैं चम्बा से आया हूं और मैं फलां जगह से आया हूं। वहां के वासी हमें इतना कहते थे कि आप हिमाचल से हैं। वह बहुत अच्छा प्रदेश है। लेकिन अन्दर की बातें क्या है वे हम और आप लोगों को ही पता है ? हिमाचल प्रदेश की पूरे भारतावर्ष में अपने आप में एक पर्सनल्टी है। हिमाचल का जो अस्तित्व है उसको कायम रखने के लिए हमें हिमाचल प्रदेश की वन सम्पदाएं बचानी ही पड़ेंगी। अभी हाल ही में हमारे सामने बड़ी भयानक चीजें आई हैं, जिसमें कुछ लोगों ने सरकार का दुरूपयोग करना शूरू किया है। कुछ कमेटी के चेयरमैन बने हुए हैं, कुछ माननीय मंत्री जी के रिश्तेदार बने हुए हैं। माननीय मंत्री जी व्यक्तिगत तौर पर इस बात को लेंगे। उन लोगों ने अपने हितों को किस तरह से साधा है और किस तरह से चीजें दोहराई जा सकती है ऐसी परिस्थितियां क्रियेट की हुई हैं। चुराह से कभी भी पांगी के लिए लकड़ी सप्लाई नहीं हुई। ईमारती लकड़ी तो छोड़िए जो लकड़ी चूल्हे-चौके में इस्तेमाल होती है, ईंधन के लिए इस्तेमाल होती है वह भी सप्लाई नहीं हुई है। कालावन नामक एक स्थान है। जहां पर 1998 में एक कांड हुआ था। उसको कालावन इसीलिए कहते हैं क्योंकि दिन में भी वहां पर रोशनी नहीं हुआ करती थी। माननीय मंत्री जी इस बात से सहमत होंगे। लेकिन आज जब हम वहां जाते हैं तो अब वह कालावन नहीं है। उसका नाम हमें अब बदलना पड़ेगा क्योंकि अब वहां पर वन ही नहीं रहा। परिस्थितियां अब ऐसी हो गई है अगर हम लोग सीरियस नहीं होते हैं तो जो हमारी जनरेशन्ज हैं वह हमें माफ नहीं करेगी। मरने के बाद जो सभी के लिए शराद रखते हैं वे हमारे लिए कुराद रखेंगे। वे कोई ऐसी नई चीज निकालेंगे कि हमारे ऐसे बुजुर्ग हुए थे।

श्री एस.एस. द्वारा जारी-----

/1510/5.12.2014SS-ag/1
श्री हंस राज क्रमागतः

या हमारे ऐसे पेरैंटस थे जिन्होंने हमारे लिये एक वन सम्पदा रखी थी, वह भी नहीं बची। जिस ग्रीनरी या हरियाली की बात हिमाचल करता है विश्व के हर पटल पर या भारत के हर पटल पर, वह चीज़ ही नहीं बचेगी तो हमारी अपनी जो औकात हिमाचल की है वह भी नहीं बचेगी। इसीलिए आप लोगों से, इस सदन से और माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से आप सबसे यही गुजारिश रहेगी कि गलतियां जहां पर भी हुई हैं उनको फाइंड आउट करो। अब उसमें बेचारे चौकीदार का क्या रोल है जब उस पर प्रैशर रहेगा ? एक फॉरैस्ट गार्ड का उसमें क्या कसूर है ? बी0ओ0, रेंजर इत्यादि छोटे तबके के जो कर्मचारी हैं उनको हम क्या प्रभावित करेंगे। उनको जो बोला जायेगा वह किया जायेगा। अभी हाल ही में चम्बा हाईडल करके एक 8 मैगावाट का पावर प्रोजैक्ट चुराह में डोगरा और खजुरा पंचायत में लग रहा है। उस पंचायत में अपने निजी हितों को साधने के लिए कि रेवेन्यू की तरफ से कोई दिक्कत न हो, पटवारी को वहां से भेजा गया। एक अयूब खान नामक नये पटवारी को रात-दिन लगाकर वहां पर डिप्यूट किया गया ताकि रेवेन्यू की तरफ से कोई दिक्कत न हो। फॉरैस्ट की तरफ से दिक्कत न हो, अपने लोगों को शामिल किया जाए, इस तरह की परिस्थितियां बनाई जा रही हैं तो माननीय अध्यक्ष जी, बड़ा ही संवेदनशील मुद्दा है। अब वन अपने आप में सोच रहे हैं कि हमने तो आपको सब कुछ दिया पर आपने हमारा कुछ भी नहीं छोड़ा। इस तरह की परिस्थिति वनों की हो गई है। वनों की संवेदनाओं को हम लोगों को समझना पड़ेगा। अगर वनों की संवेदनाओं को नहीं समझेंगे तो न वायु रहेगी, न आयु रहेगी और न ही हम रहेंगे। इस तरह की परिस्थितियां हैं। यह ज्वलंत मुद्दा है इस पर पूरा हाउस हमसे एग्री करेगा। इस बात की हम लोग भरपूर उम्मीद रखते हैं। कुछ कारण जो फाइंड आउट हुए हैं, हम सभी लोग जानते हैं जैसे पूर्व में मैंने बोला ही है कि बहुत सारे ऐसे लोगों को without any base, बिना किसी पॉलिसी के अपने निजी स्वार्थों को सोचते हुए बी0ओ0, रेंजर, गार्ड, पटवारी और ईवन डी0एफ0ओ0 व सी0सी0एफ0 तक के लोगों को वहां पर डिप्यूट करवाया गया। मेरा एक निवेदन माननीय अध्यक्ष महोदय के

/1510/5.12.2014SS-ag/2

माध्यम से सरकार व हाउस से रहेगा कि किसी भी व्यक्ति को दो साल से ज्या दा बड़े पद पर मत रखो। जब आप किसी व्यक्ति को बड़े पद पर दो साल से ज्या दा रखोगे तो उससे व्यक्ति के रिलेशन बन जाते हैं। कुछ मेरी गलतियां, कुछ उनकी गलतियां, इन गलतियां में महा गलती निकल करके जो चीज़ें होनी चाहिए थीं वे नहीं हो पाती हैं। यही गुजारिश रहेगी कि कोई भी बड़ा अधिकारी ज्याादा से ज्या दा साल भर या डेढ़ साल से ज्याशदा एक जगह बड़े पद पर न रहे। चाहे आप जितने कानून बना लो, कानून इम्प्लीमैंट नहीं हो पायेंगे। इसीलिए हम चाहते हैं कि कुछ ऐसा हो कि दोबारा यहां सदन में हो-हल्ला न हो और इस तरह की परिस्थितियां रोज़ न चलती रहें। जैसे 31 साल का मैं हो गया , वैसे 83 में माननीय मुख्य मंत्री जी आए थे और फिर 83 के बाद मतलब 31 सालों के बाद फिर यहां पर चर्चा हो कि दो ही पेड़ बचे हैं, ऐसी परिस्थिति न आए और हम सभी लोग महफूज रहें। इकोलॉजी और ग्लोबल वार्मिंग से संबंधित इस तरह के वैज्ञानिक लोग जो प्रकृति के बारे में अच्छा हुनर रखते हैं वे इस चीज़ को समझेंगे। संवेदनहीनता नहीं होनी चाहिए। संवेदनशील होकर हमें इस तरफ प्रयास करने होंगे तभी हम लोग इस तरफ बढ़ेंगे। माननीय रविन्द्र रवि जी ने जो प्रस्ताव लाया है उसका हम समर्थन करते हैं। अगर इस तरह की चीज़ें आई हैं और हमें लगता है कि आ रही हैं तो माननीय वन मंत्री जी को तुरन्त इस्तीफा देना चाहिए ताकि परिस्थितियां अगर ज्यामदा गम्भीर या विकट होती हैं उससे पहले इनको स्टॉप किया जाए। इस तरह का हमारा आह्वान है। आपने हमें बोलने के लिए समय दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

समाप्त

/1510/5.12.2014SS-ag/3

अध्यक्षः अब चूंकि माननीय वन मंत्री जी ने भी चर्चा का जवाब देना है वैसे तो माननीय मुख्य मंत्री जी ने बहुत कुछ कह दिया है जो गवर्नमैंट की तरफ से कह सकते थे। अब एक सदस्य, श्री बम्बर ठाकुर जी अपने विचार रखना चाहते हैं, आप संक्षेप में अपनी बात कहिये। आज मुझे बड़ा अच्छा लगा कि इस मुद्दे पर चर्चा में आप

सब ने भाग लिया। मैंने सबको बोलने का मौका दिया। अगर आपने वाक आउट किया होता तो चर्चा करने का मौका नहीं मिलता। मुझे बहुत अच्छा लगा, ऐसे ही मुद्दे पर चर्चा होनी चाहिए। आप जितना मर्जी बोलिये मैं आपको समय दूंगा। बम्बर ठाकुर जी, अब आप बोलिये।

जारी श्रीमती के0एस0

/1515/5.12.2014केएस/जेटी/1

श्री बम्बर ठाकुरः माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे इस विषय के ऊपर बोलने का मौका दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आज जो प्रस्ताव पेड़ कटान के बारे में माननीय रविन्द्र सिंह जी ने रखा, माननीय अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो मैं आपका और माननीय मुख्य मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहूंगा कि आपने जो हमारी विधान सभा को ई-विधान प्रणाली से जोड़ा है इससे हर वर्ष छः हजार पेडों का जो कटान होता था, वह कटान बचा है। यह एक बहुत ही अच्छी पहल हमारी सरकार ने की है, इसके लिए मैं आपको मुबारकवाद देना चाहूंगा। मैं स्पीकर साहब को भी मुबारकवाद देना चाहूंगा और श्री वीरभद्र सिंह जी जो कि छठी बार हिमाचल के मुख्य मंत्री बने हैं , वे तुजुर्बे से बने हैं, अपनी लियाकत से बने हैं और वे जब से हिमाचल के मुख्य मंत्री बने हैं उसके बाद हिमाचल प्रदेश के अन्दर वनों का इजाफ़ा ही हुआ है, वन कम नहीं हुए और इसके लिए मैं उनको मुबारकवाद देना चाहता हूं। मैा व्यक्तिगत तौर पर नहीं जाना चाहता परन्तु आप लोगों ने जिन्होंने अपने घरों तक सड़कें बनाई है, आप बताएं कि आपने कितने पेड़ों को काटने की परमीशन ली ? मैं यहां पर एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि जो माननीय रणधीर शर्मा जी ने कहा कि एक ऐसे ठेकेदार को, जिसने कम्पलेंट की फिर उसके बाद उसको चार हजार पोल बनाने का ठेका दिया, वह तो आपका ही समर्थक है, वह हमारा समर्थक नहीं है। आप ही कम्पलेंट करवाते हों और आप ही उसको ब्लैकमेल करते हो ? ...(व्यवधान)..रणधीर शर्मा जी, जब आप बोल रहे थे तो मैं चुप रहा । अब आप सुनिए। जब आपमें बोलने की क्षमता है तो आप सुनने की भी हिम्मत रखें। मैं यह कह रहा हूं कि आप ही कम्पलेंट करवाते हैं ताकि आपके लोगों को ठेका मिले और उसके बाद आप ऑफिसरों को ब्लैकमेल करते हैं। अभी किशोरी लाल जी ने ठीक कहा कि एक-दो पेड़ कट गए तो उस इश्यू को यहां विधान सभा के अन्दर पहुंचा दिया। जब बैम्लोई कांड हुआ, पूरा प्रदेश जानता है कि उसमें कौन पार्टनर है। जब बड़े-बड़े लोग अपने फायदे के लिए, अपनी सम्पत्ति बनाने के लिए करोड़ों रुपये की वन रूपी

सम्पत्ति को नुक्सान पहुंचा रहे हैं तो आप स्मगलरों को भी क्या कहेंगें ? सारी दुनिया जानती है, पूरा हिमाचल प्रदेश जानता है कि किन लोगों ने अपनी सम्पत्ति बनाने के

/1515/5.12.2014केएस/जेटी/2

लिए वहां पर लाखों-करोड़ों रुपये के पेड़ों को उखाड़ा। आज आपको यहां पर इस प्रकार की बातें करने का कोई हक नहीं है। उसके कौन पार्टनर है, इस बात को भी सभी लोग जानते हैं, यदि आप हमसे यह भी बुलवाना चाहते हैं तो हम वह भी बता देंगें। इसी तरह से धर्मशाला में स्टेडियम बनाने के लिए कितने पेड़ काटे गए ? क्या आपने उसकी परमीशन ली थी ? वह भी एक निजी व्यक्ति की सम्पत्ति बने और सरकारी पेड़ों को काट दो। आप बताएं कि आपकी सरकार के समय में कितने पेड़ बढ़े, कितने जंगल बढ़े, मैं माननीय मंत्री महोदय से चाहूंगा कि यह आंकड़े भी बताए जाएं। अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के शासन में कहां-कहां जंगलों के ऊपर कुठाराघात हुआ, जंगलों पर कुल्हाड़ी चली?

अध्यक्ष महोदय, बिलासपुर के अन्दर जब मंत्री महोदय से सी.पी.एस. साहब ने कम्पलेंट की उसके बाद चार ठेकेदार ब्लैक लिस्ट हुए हैं, वे किस पार्टी के हैं, मैं इस बात को भी जानना चाहता हूं। वे चारों के चारों भारतीय जनता पार्टी के ठेकेदार ब्लैक लिस्ट हुए हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी परमीशन से कहना चाहूंगा कि यदि किसी भी व्यक्ति ने अवैध कटान किया हो, वह कोई भी हो।

श्रीमती अ0व0 द्वारा जारी----

5.12.2014/1520/JT-AV/1

श्री बम्बर ठाकुर क्रमागत

वह कोई भी हो, आपने सत्ताधारी दल की बात की, कोई भी हो उसके खिलाफ ऐक्शन होना चाहिए। जो हिमाचल प्रदेश का कानून है, हिमाचल प्रदेश का वन अधिनियम है, उसके तहत प्रावधान क्या है ? आपने अपनी सड़कें बनाने के लिए पेड़ काट दिये ,उसके लिए आपने कह दिया कि जुर्माना लगा दिया। जब जुर्माना लगा दिया तो उसको ब्लैक लिस्ट किया जा सकता है। उसके बाद क्या आपने फांसी का प्रावधान रखा है ? आप यह बताइए कि हमारे पास प्रावधान क्या है ? यदि कोई

जिम्मीदार अपने आप एक पेड़ ,दो पेड़ या दस पेड़ कटवा देता है और आपका पटवारी और गार्ड वहां पर डिमार्केशन देता है तो उसके बाद आपने क्या प्रावधान रखा है? डी.आर. कटेगी और उसके बाद ठेकेदार ब्लैक लिस्ट होगा, उसके बाद क्या आपने फांसी का प्रावधान रखा है? यदि आप ऐसा चाहते हैं तो इस मुद्दे के ऊपर भी चर्चा होनी चाहिए। पिछले पांच वर्षों से, दस वर्षों से जिस किसी भी ठेकेदार ने पांच पेड़ या दस पेड़ काटे हैं और उसके लिए कटान के आदेश भी मिले हैं। यदि इस तरह का मामला सामने आया है तो आप उसके लिए ऐक्शन लिजिए। वह चाहे किसी मुख्य मंत्री, एम.एल.ए. या मंत्री का रिश्तेदार हो ; आप ऐक्शन लिजिए। आप अपने मकानों को सड़कें पहुंचाने के लिए सैंकड़ों पेड़ों की बलि दे देते हैं और यहां पर आप माननीय मंत्री महोदय को टारगेट कर रहे हैं। इसके लिए आप सब लोग जिम्मेवार है जो अपने घरों को बनाने के लिए सैंकड़ों-सैंकड़ों पेड़ों की बलि देते हैं। यहां पर विपक्ष ने बात का बतंगड़ बनाने की कोशिश की है और केवल मात्र मुद्दा बनाने की कोशिश की है। ये लोग प्रदेश में मुद्दा विहीन हो चुके हैं इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। आप लोग अभी 26 की संख्या में हैं मगर आने वाले समय में आप 6 रह जायेंगे। ये लोग बात का बतंगड़ इसलिए बना रहे हैं ताकि झूठ बोलकर अगली बार इनकी नैया पार हो सके। आप घबराओ मत, अब नड्डा साहब आ गये हैं बिलासपुर में, अब वे आपका सारा इन्तजाम करेंगे। आप इस बात की चिन्ता मत करो। अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी बात को यहीं पर विराम देना चाहता हूं मगर मैं आपके माध्यम से यह जरूर कहना चाहूंगा कि विपक्ष को एक जिम्मेवार विपक्ष की भूमिका निभानी चाहिए। वास्तव में यदि कोई

5.12.2014/1520/JT-AV/2

मुद्दा है तो उसका मुद्दा बनाये। किसी मुद्दा विहीन विषय का मुद्दा बनाने की कोशिश न करें। इस तरह से प्रदेश की जनता का धन और समय बर्बाद करने की कोशिश न करें। जो प्रश्न आपने जनता के लिए लगाये थे उसका समय भी आज सुबह आपने बर्बाद किया है। उसके लिए आपको हिमाचल प्रदेश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। यह बात कहकर मैं अपनी बात को विराम देता हूं। धन्यवाद।

समाप्त

5.12.2014/1520/JT-AV/3

अध्यक्ष : अब माननीय वन मंत्री (---व्यवधान---) आप (श्री रणधीर सिंह जी के खड़े होने पर कहा।) फिर नाराज हो जाते हैं। मुझे भी नाराजगी हो जाती है। जब चर्चा हो जाती है तब प्रश्न नहीं कर सकते। आपने चार बातें कहीं, इन्होंने भी चार बातें कहीं। इन्होंने लांछन तो किसी पर नहीं लगाये।

श्री रणधीर शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैं एक मिनट लेना चाहता हूं।

अध्यक्ष : अच्छा आप बोलिए, क्या बोलना चाहते हैं?

श्री रणधीर शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैं बम्बर जी का धन्यवाद करता हूं। मैंने यहां पर कहा था कि स्वारघाट वन रेंज की बस्सी बीट के बारे में जिस शिकायत कर्ता ने हजारों पेड़ काटने की शिकायत की थी उस शिकायत की पूरी जांच नहीं हुई। उस पर पूरी कार्रवाई नहीं हुई। वह जब विजिलैंस में जाने लगा तो उसको पकड़कर उसको सिमैंट पोल बनाने का ठेका दे दिया गया। वह आपने कनफर्म कर दिया जिसका आपको भी डाउट था , उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। दूसरे, इन्होंने कहा कि वे मेरे समर्थक है। मेरे समर्थक तो सारे हैं, मैं तभी जीता हूं। बम्बर जी भी मेरे समर्थक है मगर कोई समर्थक गलत करें तो मैं उसको जस्टिफाई नहीं करता। जहां तक खैर कटान की बात है वह बात मैंने नहीं कही। मैंने कहा कि सी.पी.एस. राजेश धर्माणी फॉरैस्ट महकमे के थे इन्होंने अवैध कटान का विषय उठाया। ये मौके पर गये और मंत्री को लेकर गये। इन्होंने वहां जाकर खैर कटान रुकवाया। उसमें मैंने यह पूछा था कि 15 दिन बाद मंत्री जी ने उसको किसके दबाव में फिर से अलाउ किया?

अध्यक्ष श्री बी.जे. द्वारा जारी

/1525/05.12.2014नेगी/जे.टी./1

अध्यक्षः मेरा यह निवेदन है कि यह जो चर्चा है इसको इंडिविजुअल बातों से बढ़ाया न जाए। अब इस चर्चा का उत्तर माननीय वन मंत्री जी देंगे और उसके बाद यह चर्चा समाप्त हो जाएगी।

वन मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, इस सदन के मेरे साथियों ने कुछ सुझाव दिए हैं और कुछ इल्ज़ाम लगाए हैं। जहां तक चम्बा के बारे में इन्होंने जिक्र किया है कि मेरे चुनाव क्षेत्र में अवैध कटान हुआ है । माननीय अध्यक्ष महोदय, 2011-12 में फोरेस्ट कार्पोरेशन को यह लॉट- एलमि दिया गया था। जहां तक भाई रविन्द्र सिंह रवि जी ने कहा है कि मैं खुद वहां चल करके गया, ऐसा नही है। वहां जाने के लिए 3 दिन लगते हैं। That is my Constituency. I can't go there. This is very tough area, you

know. वहां नाले पर 20 पुलियां बनी हुई थी। जब बरसात आई तो उस नाले में सारा दलदल आ गया और सारी बह गई। उसके बाद फेज़पड़-मैनर में हमने वह बनाई है। वह जो ठेकेदार है उसका नाम प्रकाश है और वह बी.जे.पी. से संबंधित है। ठाकुर सिंह भरमौरी से संबंधित आज दिन तक कोई ठेकेदार नहीं है। न ही मेरे परिवार से कोई ठेकेदार है, न कोई मेरा चाहने वाला ठेकेदार है जैसे कि प्रिवियस सरकार में चाहने वाले ठेकेदार होते थे और अपने चहेतों को फोरेस्ट कार्पोरेशन के ठेके दिए जाते थे। जहां तक इन्होंने टी.ए.सी. मैम्बर की बात की है, he is a contractor. और इनका बहुत बड़ा एक लक्कड़ कट्टा है, चहेता है - मांगणी राम भरमौर से उसको फारेस्ट कार्पोरेशन ने 40 लाख रूपये फॉइन किया और उससे यह रिकवरी की गई। यह टी.ए.सी. मैम्बर की शिकायत पर हुआ। क्योंकि उसने बड़े भारी जंगल लिए हैं और आज भी उसके जंगल है। आज भी उसका घाल का ठेका है। जब टी.ए.सी. मैम्बर ने शिकायत की तो उससे वह दुःखी था, लेकिन वहां पर एलमि में भी ठेकेदार पकड़े गए। इलिसिट फैलिंग उसने की है। इनको मालूम नही है और ऐसे ही पॉलिटिकल वैनडेटा बनाया हुआ है। इनका जो एक तथाकथित स्वामी है, वह मैहला का है। वह सबका गुरू बनता है। वह माननीय प्रधान मंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को भी बदनाम करता है। वह यह कहता है कि मैं उनकी पूजा करता हूं। इस सदन के जो विपक्ष के नेता हैं-पूजनीय धूमल साहब उनको भी बदनाम करता है कि

/1525/05.12.2014नेगी/जे.टी./2

मैं उनका गुरू हूं। वह टूरिज्मा में नौकर था और वह होटल इरावति में लड़कियों के साथ पकड़ा गया और उसको आज नौकरी से बर्खास्त करके घर में बिठाया हुआ है। But he is a BJP man. एबसेंस में किसी का नाम नहीं लेना चाहिए। There should not be any exploitation. ... (व्यवधान) ... सुनिए। आप सुनने का मादा रखो। Listen to me. I am bringing before you the factual position. वह अब आर.टी.आई. का ठेकेदार बना हुआ है। वह आर.टी.आई. के तहत इंफोर्मेशन लेता है। उसने आलिशान बंगला बनाया हुआ है, उस तरह का बंगला मेरे पूरे चुनाव क्षेत्र में नही है। भटियात...

श्री एस.एल.एस. द्वारा जारी...

05.12.2014/1530/SLS-JT-1

माननीय वन मंत्री ...जारी

वह चार पंचायते पहले भटियात चुनाव क्षेत्र में थीं, अब भरमौर में है। उसने तीन मंजिल बिल्डिंग बनाई है। उसकी कोई इनकम नहीं है फिर यह पैसा कहां से आया ? उसकी जांच होनी चाहिए। वह आर . टी. आई. में सूचना लेने का काम कर रहा है और वहां का जो लोअर लेवल स्टॉफ है, अधिकारी हैं या दूसरे विभागों के अधिकारी हैं, उनसे वह पैसे मांगता है। जो रेंजर इस कांड में गलती से ससपैंड हुआ है उससे वह कह रहा था कि मुझे 60,000 रुपया दो नहीं तो मैं यह सी . डी. रविन्द्र सिंह रवि जी को दे दूंगा और विधान सभा में मंत्री जी की बदनामी करवा दूंगा। इसमें मिलीभगत है और इसी कारण यह हुआ है। मौके पर 12 दरख्त जरूर कटे हैं। अध्यक्ष महोदय, यह कैसे कटे हैं ? I went on the spot. They can't go there. उन्होंने पैसा देकर मीडिया की टीम भेजी और जब मुझे पता चला तो उसने वह टीम विद्ड्रा की और मांगणी राम को भेजा कि तू अब शुभकरण से बदला ले। This is the factual position. यही मसला है। जैसे किशोरी लाल जी ने कहा कि यह एक परसनल लड़ाई है। (व्यवधान) You listen to me. आपमें भी सुनने का मादा होना चाहिए।

जहां तक हंस राज जी ने कालाबन की बात की है, वहां फोरैस्ट कारपोरेशन का लॉट इनके समय में लगा था। यह न तो मेरे समय में लगा और न ही राजा वीरभद्र सिंह जी के समय में लगा। उस समय जो-जो फैलिंग हुई थी उन्हीं दरख्तों की यह सी. डी. बनाई गई है। यह 12 दरख्त कैसे कटे? जब ठेकेदार ने चरान किया तो पेड़ो के ऊपर वह पेड़ गिर गए। यह ठीक है। जो पेड़ डैमेज हुए, उनको ठेकेदार ने काटा और उसके लिए उसको फाईन हुआ है, एफ . आई. आर. लॉज हुई है और उसके ऊपर केस हुआ है। जहां तक बहन आशा जी का सवाल है, इन्होंने जो मुद्दा उठाया है, it is not in my knowledge. It has not been informed to me. हो सकता है कि इन्होंने माननीय मुख्य मंत्री जी को इंफार्म किया हो और उन्होंने उस पर बाकायदा कार्रवाई की हो। But it is not in my knowledge till today. अगर मेरे ध्यान में होता (व्यवधान) हमने उसमें कार्रवाई की है। (व्यवधान) सुरेश भारद्वाज जी, अगर कोई आपको इंफार्म नहीं करेगा तो क्या आपको घर बैठे ही पता चल जाएगा। जहां तक तारादेवी वाले मुद्दे की बात है (व्यवधान) आप मेरी बात सुनिए। मैं कह रहा हूं कि कानूनी कार्रवाई हुई है। वहां के ब्लॉक फोरैस्ट ऑफिसर को ससपैंड कर दिया गया है और एफ. आई. आर. लॉज हुई है। उनको फाईन हुआ है। (व्यवधान) नियमों के मुताबिक ही

05.12.2014/1530/SLS-JT-2

कार्रवाई होगी, ऐसे ही किसी को फांसी तो नहीं दी जा सकती। नियमों के अनुसार जो कार्रवाई बनती है, we are doing it. जो भी व्यक्ति दोषी होगा, सरकार उसको बिल्कुल भी नहीं बख्शेगी whosoever be. चाहे ठाकुर सिंह का बाप ही क्यों न हो। I will not spare. This Government will not spare anybody. इन दो सालों को लेकर आपने बहुत चर्चा की और बहुत बड़ा मुद्दा उठा दिया कि बहुत ज्यादा इलिसिट फैलिंग हो रही है। आपके जमाने में सरकारी जंगल कट गए और वहां पर आलीशान भवन बन गए, परसनल प्रॉपर्टी बना ली गई ,वह आपको नहीं दिखाई देती। यहां तो दो सालों में यह दो इन्सीडैंट हुए हैं और उनमें हमने कार्रवाई की है। डी. एफ. ओ. से लेकर गार्ड तक हमने ससपैंड किए हैं। 14 तारीख को ही थाने में सूचना दी गई कि यहां पर कटान हुआ है। उसके बाद ही जांच हुई। इसमें फोरैस्ट विभाग से भी अधिकारी मौके पर गए और उसके बाद पुलिस वाले भी मौके पर गए। इसमें डिमार्केशन किसने दी ? वन विभाग की गैर-हाजिरी में कानूनगो ने दी। जो दरख्त वहां बताए गए हैं उनके बारे में मैं आपको विस्तार से बताऊंगा कि वह किस किसम के पेड़ थे। पेड़ तो वह होता है जिसका घेरा तीन फुट हो और जिसका सिकुड़ निकल जाए। उसको पेड़ कहा जाता है। आप तो सबको पेड़ ही कंसीडर किए जा रहे हैं। वहां कोई सैप्लिंग्ज थी तो कोई छोटे बान के पेड़ थे। (व्यवधान) आप मेरी बात सुन लीजिए, मैं कोई यहां से जा तो नहीं रहा हूं।

जारी ...गर्ग जी

05/12/2014/1535/RG/AG/1

वन मंत्री-------क्रमागत

मैं कोई इस सदन से जा नहीं रहा हूं। You can do supplementary. What is the problem?

अध्यक्ष : इसमें सप्लीमैंट्री नहीं होती है।

वन मंत्री : सर, जो भी होता है, वह पूछ सकते हैं। स्पष्टीकरण ले सकते हैं। तो जिसका बाहर का छिलका उतर जाए, पहले आप सीख लो and you have to co-operate with me.

Speaker: Please don't waste time.

वन मंत्री : वन विभाग ने पिछले दो सालों में भलाई के काम किए हैं जिनका आप जिक्र नहीं कर रहे हैं। विभाग ने पौधारोपण किया, स्कूल के पांच लाख बच्चों से पौधारोपण करवाया, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस एवं जजिज़ भी उसमें शामिल हुए , सारे राजनीतिज्ञ उसमें शामिल हुए ,सारी जनता उसमें शामिल हुई ,हमारे सारे मंत्रियों एवं विधायकों यहां तक की वन विभाग और अन्य विभागों ने भी उसमें सहयोग किया। रवि जी यह आपके समय में नहीं होता था। This is for the first time. आपके समय में कितनी कामयाबी थी ? अब जो पौधारोपण हुआ है, हमने पांच साल के barbed wiring करके उसमें लोहे एवं सीमेंट के खंबे लगाकर पौधारोपण किया है जिसमें सरवायबल रेट 80 प्रतिशत है। चाहे, तो आपने चैक कर लेना। इसके अतिरिक्त जो फैसले हमने वन विभाग में किए हैं ,भाई रणधीर शर्मा जी का क्षेत्र वाइल्ड लाईफ सैंक्चुरी में आता है ,ऐसे ही सारे प्रदेश में वाइल्ड लाईफ सैंक्चुरी एरिया थे ,उनकी हमने सी.ई.सी. से परमीशन लेकर, सुप्रीम कोर्ट से परमीशन लेकर and with the involvement of the Hon'ble Chief Minister हमारी मेहनत से कोई 775 गांवों को बहुत बड़ा रिलीफ मिला है। वहां अब सड़कें बन सकती हैं , बिजली एवं पानी भी मिल सकता है। अगर आप सड़क बनाने के लिए अवैध कटान करते हैं आपकी मजबूरी है ,आपको आपके चुनाव क्षेत्र में लोग मजबूर करते हैं कि यहां सड़क चाहिए ,यहां मनरेगा चाहिए ,यहां यह कर दो, यहां वह कर दो।

05/12/2014/1535/RG/AG/2

अध्यक्ष महोदय, जहां तक भाई हंसराज जी ने हाइडिल प्रोजैक्ट की बात की है ,हाइडिल प्रोजैक्ट्स के मामलों में पहले एफ.सी.ए. केस सेन्टर से क्लीयर होता है ,उसके बाद फैलिंग होती है। हाइडिल प्रोजैक्ट्स में ऐसे फैलिंग नहीं होती। अगर कहीं ऐसा हो रहा है, तो हमारी जानकारी में यह बात लाएं ,Government will look

into it. Serious action will be taken against those persons who are doing this serious crime. This crime will not be allowed in this Government.

अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य द्वारा जो निम्न मुद्दा उठाया गया है 'प्रदेश में निजी भूमि एवं वनों में हो रहे भारी मात्रा में अवैध कटान पर यह सदन विचार करे। -'
--------(व्यवधान)---

श्री रविन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, अब ये पढ़ने लग गए हैं अभी यह मुद्दा तो इन्होंने टच ही नहीं किया है।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, पहले माननीय मंत्री जी को बोलने दीजिए, बाद में आप क्लैरीफिकेशन ले लेना। You can seek clarification. इनके बोलने के पश्चात आप इनसे क्लैरीफिकेशन ले सकते हैं।

वन मंत्री : अब रवि जी आप मेरी बात सुनिए ,आपका उत्तर आ रहा है। आप बाद में बोलना। जो आपने बोला था ,मैंने अभी उसका जवाब दिया है। आपने जो नियम 130 का मुद्दा उठाया था, अब आप उसका जवाब सुनिए।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी, आप एक मिनट बैठिए। रवि जी, आप क्या बोलना चाहते हैं?

श्री रविन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, जो मुद्दे हमने उठाए थे उनका मंत्री जी द्वारा कोई जवाब नहीं दिया गया। इन्होंने सारा गोल-मोल बोला है और तथ्यों को तोड़ने की कोशिश की है। एक बात इन्होंने कही, लेकिन मैं वहां सात दिन रहा हूं ,ये जो अपनी बात कह रहे हैं ,क्या ये ही जा सकते हैं, इनको मालूम है कि क्वारसी कहां है ? मैं क्वारसी जाकर आया हूं, तुलसी राम जी गए होंगे कभी, एक मिनट आप चुप

05/12/2014/1535/RG/AG/3

रहिए, आप मुझे बोलने दीजिए ,मैं वहां व्यक्तिगत तौर पर गया ,मुझे किसी ने सी.डी. दी ,जो वहां बनाई गई है। मेरा आपसे अध्यक्ष महोदय एक निवेदन रहेगा कि अभी भी इस सदन के खत्म होने से पहले इस सी.डी. को यहां पर दिखाया जाए। यह चम्बा की सी.डी. है अगर आपको या इस माननीय सदन के सदस्यों को ऐसा लगता

होगा कि मैंने गलत विषय उठाया है ,तो मंत्री जी इस सी.डी. को देख लें। इन्होंने कहा कि छिलके उतार दिए ,अध्यक्ष महोदय, कटान हो गया है, उसके पश्चात उनको छीला गया है, इस प्रकार उन पेड़ों को वहां काटा गया। वहां नंबर लगाए हैं। यह सी.डी. मेरे पास है ,इसमें सब कुछ दर्ज है। मेरा निवेदन है, माननीय मुख्य मंत्री महोदय चले गए ,उन्हें जाना नहीं चाहिए था। वे सदन को बीच में छोड़कर चले गए। मेरा उनसे बार-बार निवेदन रहेगा कि माननीय मंत्री जी प्रदेश और सदन को गुमराह कर रहे हैं। हमारे पास सच है। मैंने बिन्दु उठाए, उनका कोई जवाब नहीं आया। क्या यह सही नहीं है कि भरमौर में।

संसदीय कार्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय जवाब दे रहे हैं, उसके बाद माननीय सदस्य बोल लें। यह सही नहीं है। (व्यवधान)

अगले वक्ता एम.एस. द्वारा शुरू

5/12/2014/1540/ms/ag/1

श्री रविन्द्र सिंह संसदीय कार्य मंत्री के बाद-----

क्या यह बात सही नहीं है कि भरमौर और पांगी में डी0एफ0ओ0 नहीं है। वहां पर आप लोगों ने ए0सी0एफ0 लगाए हुए हैं। क्या यह भी सही नहीं है कि चुराह में डी0एफ0ओ0 को उसके होम डिवीजन में लगाया हुआ है। वहां उनको किसने बिठाया है? ये सारे बिन्दु हैं। हमने कैट प्लान के पैसे के बारे में भी बात की है। इन सबका जवाब हमें मंत्री जी दें। मुख्य मंत्री जी यहां कहकर चले गए हैं कि हम दोषी को बख्शेंगे नहीं। जब तक मंत्री महोदय इस पद पर विराजमान रहेंगे , तब तक हिमाचल के वन विभाग का भला होने वाला नहीं है। हमारी मांग है कि या तो तुरन्त माननीय मंत्री जी इस्तीफा दें या मुख्य मंत्री महोदय इनको बरखस्त करे। जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होती, तब तक हम इस सदन से वाकआउट करते हैं। मंत्री जी बोलते रहे जो इनको बोलना है। धन्यवाद।

(**विपक्ष के सभी माननीय सदस्यों ने सदन से नारे लगाते हुए बहिगर्मन किया**)

वन मंत्री: अध्यक्ष महोदय, मेरा ट्राइबल के नाते मंत्री बनना कुछ लोगों को भा नहीं रहा है। इस बात से ये दुःखी हैं। वे इसको निशाना बनाकर , इस चीज को ये पैदा

करना चाहते हैं कि यह मंत्री कैसे बन गया। इनका यही दुःख है। This is all political propaganda. बाकी कुछ भी नहीं है। अध्यक्ष जी, मेरे जवाब से इनको तसल्ली हो गई है और इनके पास अब बोलने के लिए कुछ नहीं है। इसलिए अब इस सदन की कार्रवाई समाप्त की जाए।

अध्यक्षः मंत्री जी ने इस पर जवाब दे दिया है। मुख्य मंत्री जी ने भी बहुत सारा जवाब दे दिया है।

5/12/2014/1540/ms/ag/2

अब इस माननीय सदन की बैठक 6 दिसम्बर, 2014 के 11.00 बजे पूर्वाह्न तक स्थगित की जाती है।

धर्मशाला-176215 **(सुन्दर सिंह वर्मा)**
दिनांकः 5 दिसम्बर, 2014 **सचिव,**
हिमाचल प्रदेश विधान सभा